


# DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

## INDIA



**1987**  
**26TH ANNUAL REPORT**

*With best compliments from*

**Ms. I. T. VAZ**  
General Manager

**DEPOSIT INSURANCE & CREDIT GUARANTEE CORPORATION.**

---

New India Centre

---

17 Cooperage Road

---

Bombay - 400 039.



**DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION**

**(Established by Act of Parliament)**

**Head Office : 6th Floor, New India Centre,**

**17, Cooperage Road, Bombay 400 039.**

**26th Annual Report of the Directors,  
Balance Sheet and Accounts  
for the year ended 31 December 1987**

## CONTENTS

	Page No.
1. Letters of Transmittal	iii & iv
2. Board of Directors	v
3. Organisation Chart	vi
4. Offices of the Corporation	vii
5. Principal Officers of the Corporation	viii
6. Corporate Profile	ix
7. Highlights - Progress at a glance	x
8. Directors' Report	1
9. Annexures to the Directors' Report	9
10. Balance Sheet & Accounts	42
11. An outline of Functions & Activities	51

## **LETTER OF TRANSMITTAL**

**(To the Reserve Bank of India)**

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT  
GUARANTEE CORPORATION

New India Centre,  
17, Cooperage Road,  
Post Box No. 1076,  
Bombay - 400 039.

29 March 1988  
9 Chaitra 1910 (Saka)

DICGC/31/BS-50(B)/88

The Secretary,  
Reserve Bank of India,  
Secretary's Department,  
Central Office,  
Central Office Building,  
Bombay 400 023.

Dear Sir,

### **Balance Sheet and Annual Report for the year 1987**

In pursuance of the provisions of Section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, I am directed by the Board of Directors to forward herewith the following documents:

- (i) a signed copy of the audited Balance Sheet and Accounts of the Corporation for the year ended 31 December 1987, together with signed copy of the Auditors' Report; and
- (ii) a signed copy of the Report of the Board of Directors on the working of the Corporation for the year 1987.

Yours faithfully,

Sd/-  
(Ms. I.T. Vaz)  
General Manager

## LETTER OF TRANSMITTAL

(To the Government of India)

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT  
GUARANTEE CORPORATION

New India Centre,  
17, Cooperage Road,  
Post Box No. 1076,  
Bombay - 400 039.

29 March 1988  
9 Chaitra 1910 (Saka)

DICGC/30/BS-50(C)/88

The Secretary to the Government of India  
Ministry of Finance,  
Department of Economic Affairs,  
(Banking Division),  
Jeevan Deep Building,  
Parliament Street,  
New Delhi - 110 001.

Dear Sir,

### **Balance Sheet and Annual Report for the year 1987**

In pursuance of the provisions of Section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, I am directed by the Board of Directors to forward herewith a signed copy each of:

- (i) the Balance Sheet and Accounts of the Corporation for the year ended 31 December 1987 together with the Auditors' Report and
  - (ii) the Report of the Board of Directors on the working of the Corporation for the year 1987.
2. Copies of the above Balance Sheet and Annual Report have been furnished to the Reserve Bank of India. Three extra copies thereof are also sent herewith.
  3. We may kindly be advised of the date/s on which the above documents are placed before each House of Parliament (viz., the Lok Sabha and Rajya Sabha), under Section 32(2) of the Act *ibid*.

Yours faithfully,

Sd/-  
(Ms. I.T. Vaz)  
General Manager

## BOARD OF DIRECTORS

### CHAIRMAN

Dr. P.D. OJHA  
*Deputy Governor, Reserve Bank of India,  
Bombay.*

### DIRECTORS

Nominated by the Reserve Bank of India under section 6(1)(b) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

U.K. SARMA  
*Executive Director, Reserve Bank of India,  
Bombay.*

Nominated under Section 6(1)(c) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

A.K. AGARWAL  
*Joint Secretary, Government of India, Ministry  
of Finance, Department of Economic Affairs,  
(Banking Division), New Delhi.*

Nominated under Section 6(1)(d) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

P.A. NAIR  
*Chartered Accountant, Bombay.*

C.N.S. SHASTRI  
*(Till 27 March 1987)*

S. KRISHNAMURTHY  
*Managing Director, General Insurance Corpora-  
tion of India, Bombay  
(From 10 August 1987)*

Nominated under Section 6(1) (e) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

S.S. NADKARNI  
*Chairman & Managing Director, Industrial  
Development Bank of India, Bombay.*


K.D. NAYAR  
*Chairman & Managing Director, United Bank of  
India, Calcutta.*

C.S. KALYANASUNDARAM  
*Managing Director, State Bank of India, Bombay.*

H.K. SAMAL  
*Co-operator, Orissa.*



# ORGANISATION CHART



(vi)

## OFFICES OF THE CORPORATION

<b>HEAD OFFICE</b>	<b>New India Centre, 6th &amp; 8th Floors, 17, Cooperage Road, Post Box No. 1076, BOMBAY-400 039.</b>	Tel Nos.	Telegram 'CREDITGARD'
	General Manager	202-7323	
	Dy. General Manager	202-2408	
	Board Section Computer Division SSI Credit Guarantee Department	202-0299	
	<b>Novelty Chambers, 4th, 5th, 6th &amp; 8th Floors, Grant Road, Post Box No. 4095, BOMBAY-400 007.</b>		'DEPOSITINS'
	Dy. General Manager	892364	
	Deposit Insurance Department	395972	
	Non-Industrial Credit Guarantee Deptt.	395973	
	Accounts Department	395974	
	Administration Department	395975	
 <b>BRANCHES</b>			
<b>(1) BOMBAY</b>	Eros Building, 5th Floor, Churchgate, BOMBAY-400 020	222321	'CREDITGARD'
<b>(2) CALCUTTA</b>	8, Council House Street, (First Floor), Post Box No.17, CALCUTTA-700 001	281154 206029	'DISINGUAR'
<b>(3) MADRAS</b>	Kuralagam Building, 3rd Floor, Esplanade, Post Box No. 5021. MADRAS-600 108.	560524 560239	'CREDITGARD'
<b>(4) NEW DELHI</b>	Reserve Bank of India, 6, Sansad Marg, Post Box No. 123, NEW DELHI-110 001.	386487 383901	'DEPOSITINS'

# PRINCIPAL OFFICERS OF THE CORPORATION

## GENERAL MANAGER

Ms. I.T. Vaz

## DY. GENERAL MANAGERS

Shri S.S. Ranade  
Shri B.A. Rao

## CHIEF ACCOUNTANT

Shri P.K. Nandi

## OTHER OFFICERS

### MANAGERS

Shri K.L. Khetarpaul  
Smt. M.A. Malshe  
Shri V.V. Herwadkar  
Shri O.P. Arora  
Shri N.K. Shaha  
Shri P.V. Sathe

### SECRETARY

Shri P.T. Kurien

## BRANCH MANAGERS

### BOMBAY

Shri H.P. Rawal

### MADRAS

Shri S. Krishnamurthy

### CALCUTTA

Shri S.P. Chatterjee

### NEW DELHI

Shri B.R. Verma

## BANKERS

RESERVE BANK OF INDIA

## AUDITORS

M/s. Dalal & Shah  
Chartered Accountants  
Bombay.



## CORPORATE PROFILE

The Deposit Insurance Corporation was established by an Act of Parliament on 1 January 1962. With effect from 15 July 1978 it took over the undertaking of the Credit Guarantee Corporation of India Limited - a public limited company promoted by Reserve Bank of India on 14 January 1971 - with a view to integrating the twin and cognate functions of giving protection to small depositors in banks and providing guarantee cover to credit facilities extended to certain categories of small borrowers particularly those belonging to the weaker sections of society. With the integration of the two organisations, the Corporation was renamed as the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation. From 1 April 1981, it extended its guarantee support to credit granted to small-scale industries also, after cancellation of the Government of India's scheme in that behalf.

Its twin objectives are to provide protection, particularly to smaller depositors, from the risk of loss of their savings in the event of any bank failure, and to provide guarantee support to credit extended by participating banks and other financial institutions to (a) certain categories of small borrowers (such as farmers, transport operators, retail traders, small business enterprises, self-employed persons etc.) and (b) small-scale industries. Presently, credit extended by commercial banks (including Regional Rural Banks), co-operative

banks, State Financial Corporations and other term lending institutions participating in the Schemes are provided guarantee support. The guarantee support is weighted in favour of smaller and weaker borrowers and small-scale industrial units established in backward areas.

The Corporation maintains separate funds for Deposit Insurance and for Credit Guarantee which are funded by the premia and guarantee fees received and are utilised exclusively for meeting the respective claims. Besides, another fund called General Fund is maintained in which the capital of the Corporation is held and the staff establishment and administrative expenses are met from the investment income out of this fund.

The authorised capital is Rs. 50 crores which is entirely issued and subscribed by the Reserve Bank of India.

The management vests in a Board of Directors comprising of nine members of which a Deputy Governor, Reserve Bank of India, is the Chairman. It is assisted by a Claims Committee. The General Manager of the Corporation is its Chief Executive.

The Head Office of the Corporation is at Bombay. It has four branches at Bombay, Calcutta, Madras and New Delhi.

## HIGHLIGHTS — PROGRESS AT A GLANCE

(Amount in crores of rupees)

At year-end	1962	1972	1978	1982	1984	1986	1987
<b>1. Capital</b>	1	1.5	10	15	50	50	50
<b>2. Deposit Insurance</b>							
(i) Deposit Insurance Fund	1	25	76	154	219	284	@
(ii) Insured Banks	276	476	1,021	1,683	1,805	1,859	1,898
(iii) Assessable Deposits	1,895	7,458	21,660	42,360	61,880	86,214	1,03,044
(iv) Insured Deposits	448	4,656	15,369	31,774	46,340	62,878	75,511
(v) Accounts (Lakhs)	77	341	931	1,598	2,026	2,360	2,569
(vi) Fully Protected Accounts (Lakhs)	60	328	916	1,581	2,000	2,320	2,518
(vii) Claims paid	—	1	2	3	3	15	44
<b>3. Credit Guarantee</b>							
(i) Credit Guarantee Fund	—	—	27	89	118	189	@
(ii) Guaranteed Advances							
(a) Small Borrowers	—	208	1,715	4,840	7,104	10,446	11,116
(b) Small-Scale Industries	—	—	—	3,822	4,891	7,498	7,738
(iii) Claims Received (For the year)							
(a) Small Borrowers	—	—	9	25	62	141	255
(b) Small-Scale Industries	—	—	—	30	71	120	149
(iv) Claims Disposed (For the year)							
(a) Small Borrowers	—	—	3	15	32	176	225
(b) Small-Scale Industries	—	—	—	27	47	109	122

@ In view of the amendments to the Form of Balance Sheet and Revenue Account on account of actuarial valuation of the Corporation's liabilities, the Credit Guarantee Fund disclosed a net deficit of Rs. 264.72 crores as on 31 December 1987, which has been adjusted against the surplus of Rs. 348.85 crores available in the Deposit Insurance Fund as on that date.

# REPORT ON THE WORKING OF THE DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 1987

In terms of Section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, the Board of Directors present herewith the 26th Annual Report of the Corporation for the year ended 31 December 1987.

## Economic Scenario

2. The year 1987 witnessed an unprecedented drought in the country which adversely affected 269 districts in 15 States and 6 Union Territories. Some of the areas were particularly hard hit because of the continuation of drought conditions over three or even four years. A comprehensive package of policies carefully planned and implemented over a wide front mitigated the adverse effects of the drought and contained the extent of economic dislocation caused by such conditions. Nevertheless one of the weaknesses brought to the fore is that Indian agriculture is still subject to the vagaries of nature and future agricultural development strategies will have to be directed towards tackling these drawbacks. A remarkable aspect noticed during the period, however, is the resilience of industrial growth in the face of a sharp decline in agricultural output, which is attributable to the combination of a number of factors such as the build up of a sound infrastructure and the various policy initiatives and long term structural changes aimed at enhancing industrial productivity. All the same, the bad agricultural season had a severe impact on the economy. As against a rise of 4.7% and 3.8% in National Income in 1985-86 and 1986-87 respectively, the growth in National Income is expected to be about 2% only during the year 1987. Since agriculture forms an important segment of priority sector lendings, which are covered under the guarantees offered by the Corporation, it is apprehended that the setback may have significant repercussions on the working of the Corporation. The reduced agricultural production and consequent impairment in the repaying capacity of the borrowers may eventually give rise to higher overdues and bad and doubtful debts with the concomitant inflow of a larger volume of claims.

## Results – An Overview

3.1 During the year under report the Corporation continued to subserve the twin objectives of giving

insurance protection to small depositors in banks and guarantee support to credit facilities extended to certain categories of small borrowers, particularly those belonging to the weaker sections of society. Besides the Deposit Insurance Scheme, the Corporation operates 5 Credit Guarantee Schemes – 4 for small borrowers (financed by commercial banks including RRBs, co-operative banks and SFCs) covering a wide range of activities and one for SSI units (financed by all the above credit institutions).

3.2 One of the most important developments during the year was the submission of the Report of the Expert Committee which was set up to undertake a comprehensive review of the working of the Deposit Insurance Scheme and Credit Guarantee Schemes. The recommendations of the Committee are under consideration.

3.3 Starting with an initial insurance cover for deposits of Rs.1,500 in the year 1961 covering hardly 55 lakhs accounts with insured deposits of Rs.392 crores, the Corporation has registered impressive growth over the years. It has progressively increased the insurance coverage to Rs.30,000 and now covers 2,518 lakhs accounts constituting 98 per cent of the total deposit accounts. The insured deposits of Rs. 75,511 crores represent 73.3 per cent of the total assessable deposits in banks. During the year under report, the number of insured banks rose from 1,859 to 1,898 and insured deposits by 20.1 per cent. The number of fully protected accounts went up by 8.5 per cent.

3.4 From a level of Rs. 441 crores (15%) as at the end of June 1969, the priority sector advances of public sector banks aggregated Rs. 25,406 crores (45%) as at the end of June 1987. Within the priority sectors, advances for agricultural purposes (both direct and indirect) aggregated Rs. 10,645 crores and formed 42 per cent of the total priority sector advances or 19 per cent of the total advances of the public sector banks at Rs.56,668 crores. Advances to small-scale industries at Rs.9,298 crores constituted 37 per cent. Advances to other priority sectors which included small transport operators, professional and self-employed persons, small business and retail trade, rose to Rs. 5,464 crores forming 22 per cent of the total priority sector advances as at the end of June 1987. Although it may be difficult to establish

any direct relationship, it could be said that the Corporation has played a significant, albeit, silent role by provision of needed support in ensuring a larger flow of credit to priority sectors.

3.5 As regards the credit guarantee schemes, the total guaranteed advances to the small borrowers (viz, farmers and agriculturists, transport operators, retail traders, professional and self-employed persons, business enterprises and other weaker sections of society) which was hardly Rs.208.39 crores at the end of June 1972 has steadily increased to as much as Rs. 11,116.22 crores at the end of June 1987 indicating an increase of 6.4 per cent over the figures of the previous year and more than a fiftythree fold increase since 1972. Similarly, the guaranteed advances to small-scale industries showed a significant increase from Rs.3,716.43 crores at the end of March 1981 to Rs.7,738.03 crores at the end of June 1987.

3.6 During the year, the Corporation received a record number of 11,20,802 claims for Rs.404.34 crores as against 6,69,002 claims for Rs.260.76 crores received in the previous year. The claims received under the Corporation's Schemes alone were 11,15,932 for Rs. 386.95 crores. 9,74,064 claims for Rs. 347.11 crores were disposed of both under the Corporation's five schemes and on behalf of the Government of India under their scheme for small-scale industries (since cancelled) registering a rise of 43 per cent in number and 21.6 per cent in amount over the previous year. The claims disposal rate has been at an all time high of 81,172 per month as against 56,774 achieved last year.

3.7 The guarantee claims lodged with the Corporation have registered a sharply rising trend both under industrial and non-industrial schemes, which is symptomatic of the general deterioration in the recovery climate in the country. In public sector banks, the percentage of overdues to aggregate advances outstanding increased from 14.5 per cent as at the end of December 1985 to 15.3 per cent as at the end of December 1986. The overdues under priority sector lendings constituted 20.1 per cent of loans outstanding to these sectors. The percentage of recovery to demand in respect of direct agricultural advances of public sector banks as at the end of June 1986 (latest available data) was 56.2 as


against 54.2 in the previous year. Among various factors that have contributed to the poor recoveries in the agricultural sector are non-observance of a schematic and area approach to lending, failure to ensure use of credit for productive investment and production, inadequate appraisal, supervision and follow-up by the banks, and inadequate support by the government machinery in the provision of required linkages as also in monitoring as well as recovery. Pronouncements regarding waiver of interest and write-off of loans have also vitiated the climate of recovery and aggravated the position.

3.8 The growing problem of industrial sickness of the country, especially in the SSI sector, is also a matter of serious concern not only to the Corporation but also to the entire economy. As on 31 December 1986, the total number of identified sick SSI units in the country financed by the banking sector increased to 1,45,776 from 1,17,783 a year earlier. Bank credit outstanding against these units aggregated Rs. 1,306.10 crores (previous year Rs. 1,070.67 crores) constituting 17.4 per cent of the total guaranteed advances at Rs. 7,497.46 crores to the SSI sector. The causes for sickness are varied and numerous and need to be tackled on all fronts. From the credit angle, inadequacy and delay in grant of finance, lack of co-ordination in disbursement of credit by term lending institutions and the banking sector and the failure of the banks to detect in a timely manner the signs of sickness and initiate prompt measures for rehabilitation of the units have also been contributory factors. In the context of the importance of SSI units in the economy, the Reserve Bank has, from time to time, issued various guidelines to banks. It has introduced a health code system to categorise various borrowal accounts so that banks can monitor the quality of the loan portfolio and initiate appropriate remedial action. The need for rehabilitation of sick units in the SSI sector with specific reference to viability norms, detection of sickness at the incipient stage, the need for proper co-ordination between banks and financial institutions in the formulation and implementation of rehabilitation packages and for substantial reliefs and concessions to potentially viable sick SSI units is being emphasized. All these measures are expected to improve the position and indirectly benefit the Corporation by bringing about a reduction in the quantum of bad debts and claims invoked.



NUMBER OF INSURED ACCOUNTS  
( AS ON LAST FRIDAY OF EACH YEAR )  
( IN LAKHS )

CHART-I



AMOUNT OF INSURED DEPOSITS  
( AS ON LAST FRIDAY OF EACH YEAR )  
( CRORES OF RUPEES )

CHART-II






CHART III

INSURANCE COVERAGE IN  
COMMERCIAL AND CO-OPERATIVE BANKS  
( LAST FRIDAY OF JUNE 1987 )

TOTAL NUMBER  
OF ACCOUNTS  
2568.51 LAKHS

TOTAL AMOUNT OF  
ASSESSABLE DEPOSITS  
RUPEES 1,03,044.16 CRORES

PARTIALLY PROTECTED ACCOUNTS ( 2% )



## Deposit Insurance Function

4.1 During the year the number of insured banks registered with the Corporation increased from 1,859 to 1,898 comprising 83 commercial banks, 196 Regional Rural Banks and 1,619 co-operative banks. While the Scheme covers all commercial banks including Regional Rural Banks, the co-operative banks in sixteen States and three Union Territories have so far been brought under its purview. (Annexures I and II). With the passing of the enabling legislation amending the State Co-operative Societies Act in Manipur, the extension of the Scheme to that State is under consideration. Similarly, with the extension of the Banking Regulation Act, 1949 to the State of Sikkim with effect from 15 December 1987, the question of extending the DICGC Act, 1961 to this State is under consideration. The number of banks which remain to be insured in the country is 69 only.

4.2 The rate of insurance premium at Re. 0.04 per cent per annum has remained unchanged. The maximum amount of insurance cover per depositor (in the same right and capacity) per bank at Rs. 30,000/- is continuing.

4.3 The category-wise break-up of the insurance premium collected during 1987 as compared with the previous year is indicated below:

(Amount in crores of rupees)

Category of banks	Insurance premium received during	
	1987	1986
1. Commercial Banks	43.13	38.85
2. Regional Rural Banks	0.71	0.53
3. Co-operative Banks	4.15	3.62
	<u>47.99</u>	<u>43.00</u>

4.4 Deposits insured by the Corporation and the extent of protection afforded to depositors as at the end of 1987 and 1986 are furnished in the following table.

(Details are given in Annexures III and IV)

@ Defined as the aggregate of unpaid balances due to a depositor (other than a Foreign Government, the Central Government, a State Government and a bank) in respect of all his accounts.

(Amount in crores of rupees)

	1987	1986
1. Assessable Deposits @	1,03,044	86,214
2. Insured Deposits *	75,511	62,878
3. Percentage of 2 to 1	73.3	72.9
4. Total number of accounts (in lakhs)	2,569	2,360
5. Fully protected Accounts (in lakhs)	2,518	2,320
6. Percentage of 5 to 4	98.0	98.0

4.5 The amount of deposits in fully protected accounts and partially protected accounts formed 57.6 per cent and 42.4 per cent respectively of the total assessable deposits.

4.6 During the year under review, the Corporation settled claims for an aggregate amount of Rs. 28.33 crores in respect of two commercial banks which were amalgamated with nationalised banks in the year 1985. Further, a provision of Rs. 26 crores has been made in the accounts in respect of the claims intimated by the Punjab National Bank on account of the Hindustan Commercial Bank Ltd., which was amalgamated with the former on 19 December 1986. Besides the above, a claim in respect of one co-operative bank in liquidation was settled by payment of Rs. 9.61 lakhs to the Liquidator and a provision of Rs. 12.35 lakhs has also been made in the accounts in respect of another co-operative bank.

4.7 As on 31 December 1987, the total amount of claims paid was Rs. 41.08 crores in respect of 17 commercial banks. Taking into account the total repayments of Rs. 0.88 crore and an amount of Rs. 0.06 crore written off in respect of four commercial banks, the balance in respect of the remaining banks stood at Rs. 40.14 crores. As regards co-operative banks, the total claims paid in respect of 17 co-operative banks amounted to Rs. 2.63 crores as on 31 December 1987. After taking into account the repayments aggregating Rs. 0.51 crore till the end of the year (including Rs. 0.20 crore received during the year) and the written back provision of Rs. 0.02 crore, the balance due to the Corporation stood at Rs. 2.12 crores. Details of claims paid, repayments received etc., till the end of December 1987 are given in Annexure V.

\* Insured deposit means deposit or any portion thereof the repayment of which is insured by the Corporation upto Rs. 30,000/- per depositor (in the same right and capacity).



## Credit Guarantee Function

### A. Credit Guarantee Schemes for Small Borrowers.

5.1 The Corporation is operating four schemes for small borrowers. Three of these were introduced in 1971 and cover advances for agricultural and other purposes extended by commercial banks, Regional Rural Banks, co-operative banks and State Financial Corporations to certain categories of small borrowers as also service co-operative societies. A fourth Scheme covering advances for non-agricultural purposes extended by urban co-operative banks (which are also registered as insured banks) was introduced from 1 July 1984.

#### (a) Small Loans Guarantee Scheme, 1971

5.2 As on 31 December 1987, there were 265 credit institutions participating in the Scheme comprising 71 commercial banks and 194 Regional Rural Banks. (Annexure VI).

The Small Loans Guarantee Scheme, 1971 continues to account for the bulk of the total guaranteed advances to small borrowers forming 98.9 per cent thereof. The year-wise position of guaranteed advances as also a sector-wise analysis of such advances is given in Annexure VII. The total guaranteed advances which stood at Rs. 205.71 crores at the end of June 1972 recorded a phenomenal rise to Rs. 10,998.22 crores at the end of June 1987. The sector-wise break-up of guaranteed advances vis-a-vis claims received is given below:

Category of borrowers	Guaranteed advances (%)	Claims received (%)
Farmers & Agriculturists	58.4	53.1
Transport Operators	15.1	16.8
Retail Traders	11.5	16.6
Professional and self employed persons	6.4	6.2
Business enterprises	6.3	3.9
Residual Category of borrowers under DRI Scheme	2.3	3.4
	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>

5.3 A record number of 10,71,178 claims for Rs. 254.98 crores were received in 1987 as against

6,30,303 claims for Rs. 140.58 crores received in 1986 registering a rise of 69.9 per cent in number and 81.4 per cent in amount. The amount of claims received till the end of 1987 aggregated Rs. 681.84 crores forming 6.2 per cent of the total guaranteed advances at Rs. 10,998.22 crores. A sector-wise break-up of claims received is given in Annexure VIII.

5.4 During the year, the Corporation disposed of a record number of 9,28,210 claims for Rs. 224.90 crores registering a rise of 44.1 per cent in number and 27.7 per cent in amount as compared to the previous year. As against an average monthly rate of disposal of 53,668 claims during 1986, the Corporation has been able to scrutinise and dispose of on an average 77,351 claims per month during 1987, clearing such claims within 10 to 12 weeks from the date of their lodgement. (Annexure IX).

5.5 Recoveries during 1987 by virtue of subrogation rights totalled Rs. 15.46 crores. The total amount recovered since the inception of the scheme amounted to Rs. 44.42 crores representing 11.4 per cent of the total amount of claims paid.

#### (b) Small Loans (Financial Corporations) Guarantee Scheme, 1971


6.1 The number of credit institutions participating in the Scheme remained unchanged at 20 (Annexure VI). The total guaranteed advances covered by the Scheme increased to Rs. 92.28 crores as at the end of June 1987 (Annexure VII). Advances to transport operators continue to constitute a major portion of the advances (99.7%).

6.2 The Corporation received 43 claims for Rs. 0.29 crore during the year in respect of 10 Corporations which are remitting guarantee fee/submission returns regularly. The amount of claims received under the Scheme till 1987 aggregated Rs. 1.45 crores forming 1.6 per cent of the total guaranteed advances at Rs. 92.28 crores. During the year, the Corporation disposed of 47 claims for Rs. 0.24 crore. A sum of Rs. 0.03 crore was received by way of recoveries in the claim paid accounts. Seven Corporations have been continuously defaulting in the payment of guarantee fee/submission of returns for the past several half years. The matter is being pursued with these Corporations.



**GROWTH OF GUARANTEED ADVANCES IN RESPECT OF  
GUARANTEE SCHEMES RELATING TO SMALL BORROWERS  
( END OF JUNE )  
( CRORES OF RUPEES )**


**CHART IV**





**SECTOR-WISE ANALYSIS OF GUARANTEED ADVANCES  
IN RESPECT OF GUARANTEE SCHEMES RELATING TO SMALL BORROWERS**

**CHART V**

( AS AT THE END OF JUNE 1987 )




# RECEIPT AND DISPOSAL OF CLAIMS IN RESPECT OF GUARANTEE SCHEMES RELATING TO SMALL BORROWERS



GROWTH OF GUARANTEED ADVANCES IN RESPECT OF  
GUARANTEE SCHEME RELATING TO SMALL-SCALE INDUSTRIES  
( CRORES OF RUPEES )

CHART VIII




RECEIPT AND DISPOSAL OF CLAIMS IN RESPECT OF CORPORATION'S GUARANTEE SCHEME FOR SMALL-SCALE INDUSTRIES

NUMBERS

CHART I CHART II

CRORES OF RUPEES





(c) **Service Co-operative Societies  
Guarantee Scheme, 1971.**

7. As on 31 December 1987, there were 177 credit institutions participating in the Scheme comprising 57 commercial banks, 83 Regional Rural Banks and 37 co-operative banks (Annexure VI). The guaranteed advances covered by the Scheme remained unchanged at 0.72 crore as at the end of June 1987 (Annexure VII). So far no claim has been received by the Corporation under this Scheme.

(d) **Small Loans (Co-operative Banks)  
Guarantee Scheme, 1984**

8. As on 31 December 1987, there were 80 primary (urban) co-operative banks participating in the Scheme (Annexure VI). The guaranteed advances covered by the Scheme increased to Rs. 25.00 crores as at the end of June 1987 (Annexure VII). Advances to transport operators constituted 34.2 per cent followed by credit to retail traders at 30.7 per cent of the guaranteed advances. The Corporation has so far received only one claim under this Scheme.

(e) **Small Loans (Cooperative Credit  
Societies) Guarantee Scheme, 1982**

9. Another Scheme for the co-operative sector viz. Small Loans (Co-operative Credit Societies) Guarantee Scheme, 1982 which was formulated for extension of guarantee support to the advances to be granted by the co-operative credit institutions at the primary level for agriculture and allied activities was offered on a pilot basis from 1 January 1983 to certain select primary agricultural credit societies (PACSS) and primary land development banks (PLDBs)/branches of state land development banks (SLDBs). Although 2,476 PACSS, 159 PLDBs and 200 branches of SLDBs were found to be eligible for participation in the Scheme, only 14 PACSS and 4 PLDBs have evinced some interest but not executed the necessary agreements.

**B. Credit Guarantee Schemes  
for Small-Scale Industries**

(a) **Government's Scheme**

10. The Corporation continues to act as an agent of the Government of India for discharge of residual functions under the Government's Credit Guarantee Scheme for Small-Scale Industries which was

cancelled as at the end of March 1981. The information received so far from the credit institutions indicates the 'accounts in default' as on 31 March 1981 at Rs. 233.71 crores. About 2,812 branches of the credit institutions have yet to submit the necessary information in this regard. The participating credit institutions have been advised to furnish this information to the Corporation latest by 31 March 1988. Region-wise and institution-wise classification of the accounts in default is given in Annexure X. During the year the Corporation received 4,870 claims for Rs. 17.39 crores and disposed of 5,601 claims for Rs. 33.81 crores on behalf of the Government of India (Annexure XII). As on 31 December 1987, 1,302 claims for Rs. 18.91 crores were pending. Of these, 757 claims for Rs. 11.59 crores have already been processed and are pending for want of certain additional information/clarifications from the credit institutions. Details of claims received and disposed and amount-wise and age-wise classification of claims pending as on 31 December 1987 is given in Annexures XIII and XIV. Since the take-over by the Corporation of the discharge of residual functions under the Government's Scheme, the Corporation has paid the following amounts and has received reimbursement as shown thereagainst.

Period	(Amount in crores of rupees)	
	Amount actually paid on behalf of Government of India	Reimbursement received from Government of India till the end of the year
April 1981 to December 1986	73.01	72.03
January-December 1987	20.17	19.04
Total	93.18	91.07 @

@ Government of India have since reimbursed the balance amount to the Corporation.

(b) **Corporation's Small Loans  
(Small-Scale Industries)  
Guarantee Scheme, 1981**

11.1 As on 31 December 1987, there were 510 credit institutions participating in the Corporation's Scheme comprising 69 commercial banks, 160 Regional Rural Banks, 14 State Financial Corporations, 8 other State

Development Agencies and 259 co-operative banks (Annexure XI). The guaranteed advances to small-scale industries amounted to Rs. 7,738.03 crores as at the end of June 1987 (Annexure VII).

11.2 The Corporation received 44,711 claims for Rs. 131.68 crores as against 33,723 claims for Rs. 104.92 crores received in the previous year (Annexure XII). During the year the Corporation disposed of 40,206 claims for Rs. 88.16 crores recording a rise of 32.7 per cent in number and 31.4 per cent in amount as compared to the previous year. Details of claims received and disposed and amount-wise/age-wise classification of pending claims are given in Annexures XIII & XIV. The recoveries received during the year aggregated Rs. 2.25 crores. Such recoveries since 1981 aggregated Rs. 5.14 crores and represent 4.3 per cent of the total claims paid.

11.3 The total amount of claims received under both the SSI Schemes at Rs. 648.65 crores formed 8.4 per cent of the total guaranteed advances to this sector at Rs. 7,738.03 crores.

11.4 For settlement of higher value claims the Board has constituted a Claims Committee comprising five members with the RBI Nominee Director as its Chairman. During the year additional powers were delegated to the General Manager and other senior officers for scrutiny of claims and it was decided with effect from 15 June 1987 that only claims for amounts exceeding Rs. 5 lakhs be placed before the Claims Committee for consideration.

#### Guarantee Fee

12. The present rate of guarantee fee for the five Schemes in operation is Re. 0.75 per cent per annum (with a concessional rate of Re. 0.50 per cent per annum in the case of small borrowers having credit facilities not exceeding Rs. 25,000 in the aggregate per borrower and Re. 0.25 per cent per annum for Regional Rural Banks for five years from the date of joining the Scheme). The details of guarantee fee receipts vis-a-vis guarantee claims in respect of the guarantee schemes are indicated alongside. (Scheme-wise break-up of guarantee fee received is given in Annexure XV).

(Amount in crores of rupees)

Year	Guarantee Fee Receipts	Guarantee Claims Receipts
1982	57.67	34.11
1983	71.17	60.42
1984	87.91	115.69
1985	105.66	186.90
1986	127.25	245.86
1987	145.17	386.95

It may be observed from the above that guarantee claims received exceeded the guarantee fees continuously from 1984 with the gap widening from year to year.

#### Accounts

##### Balance Sheets and Revenue Accounts

13.1 The Balance Sheets and Revenue Accounts showing separately the position of the three funds, viz., the Deposit Insurance Fund, the Credit Guarantee Fund and the General Fund as on 31 December 1987 together with the Auditors' Report thereon, are attached.

13.2 The Corporation has adopted during the year the system of valuation of the liability of the Deposit Insurance Fund and Credit Guarantee Fund on an actuarial basis. Accordingly, the three Funds reveal during the year a net deficit of Rs. 134.70 crores. While the Deposit Insurance Fund and the General Fund show a surplus of Rs. 65.04 crores and Rs. 2.56 crores respectively, the Credit Guarantee Fund discloses a deficit of Rs. 202.30 crores. Even without actuarial valuation, the operations of the three Funds during the year reveal excess of expenditure over income of Rs. 78.89 crores. The deficit is arrived at after making full provision for meeting the liability on account of claims lodged upto 31 December 1987. With a view to bridging the gap between the claim liability and guarantee fees the Corporation may have to consider steps like increasing guarantee fees in future.

13.3 The exemption of Income-tax enjoyed hitherto has been withdrawn from the current accounting year. The Corporation has, however, no tax liability for the year 1987 in view of excess of expenditure over income.

#### Investments

13.4 In accordance with the provision of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, the amounts held in the three Funds are



**RECEIPT AND DISPOSAL OF CLAIMS IN RESPECT OF  
GOVERNMENT'S GUARANTEE SCHEME FOR SMALL-SCALE INDUSTRIES (SINCE CANCELLED)**

NUMBERS

CHART I

CHART II

CRORES OF RUPEES





invested entirely in Central Government Securities. Particulars of these investments are given in Annexure XVI. The depreciation in the investments under the three Funds have been fully provided for.

## **Other Developments**

### **Computerisation/Delegation of Powers**

14.1 With a view to improve the operational efficiency and to expedite the disposal of the steadily rising number of claims, the Corporation has been continuously reviewing and exploring the scope for simplifying and rationalising procedures and gearing up its existing machinery, for the purpose. Accordingly, the Corporation has effected certain changes in the computer processing of claims, including upgradation of the capacity of the computer. The limit for computerised disposal of claims was raised from Rs. 10,000/- to Rs. 25,000/- with effect from 9 September 1987. The Corporation has also acceded to the request of credit institutions and started accepting claims on magnetic tapes. So far the Corporation has received 50,000 claims on magnetic tapes from various credit institutions. This process has significantly reduced the time lag between lodgement and disposal of claims. The Corporation has also sought to expedite disposal of SSI claims by a more effective delegation of powers to officers at various levels in the Head Office/Branches.

### **Income-Tax**

14.2 One of the decisions of the Government of India which has important financial implications for the Corporation is the withdrawal of the exemption from income-tax which was available to it right from its inception. The matter is being pursued with the Government of India. The Corporation has suitably revised its accounting procedures and has worked out its liabilities on an actuarial basis for the current year.

### **General**

#### **Auditors**

15.1 In terms of Section 29(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 the Board of Directors, with the prior approval of Reserve Bank of India appointed M/s. Dalal & Shah, Chartered Accountants, Bombay, as Auditors of the Corporation for the year 1987.

## **Promotion of Hindi/Publicity**

15.2 The Corporation is taking positive action for promotion of Hindi in its operations and towards this end brings out its Annual Report, Circulars etc., bilingually. Maximum encouragement is also given to the staff to popularise the conduct of work in Hindi. The Corporation continues to supply free of cost to all insured banks, copies of posters in Hindi, English and other regional languages publicising the protection afforded to bank depositors. Attractive leaflets are brought out in regional languages to spread the message of deposit insurance and these are supplied to indenting banks at subsidised rates for distribution among the public.

## **Training**

15.3 Officials from three foreign Central Banks of Sri Lanka, Tanzania and Zambia as also from the Industrial Finance Corporation, Thailand and Asian Development Bank, Manila visited the Corporation to study its working. As arranged by the National Institute of Small Industry Extension Training, Hyderabad, a group of international participants also visited the Corporation. The Corporation also deputed its officers to various training institutions of commercial banks and Reserve Bank of India for explaining the provisions of various schemes.

15.4 Cognisant of the fact that productivity and efficiency cannot be increased without a thorough appreciation and understanding of all aspects of the work involved, the Corporation instituted a special training programme for its officers. About 32 officers of the Corporation participated in the programme which was conducted at the Reserve Bank Staff College, Madras. The staff of the Corporation at other levels were also exposed to the training facilities offered by the Reserve Bank of India at its training centres.

## **Management**

16. Shri S. Krishnamurthy, Managing Director, General Insurance Corporation of India was nominated as a Director with effect from 10 August 1987 vice Shri C.N.S. Shastri. Shri S.S. Nadkarni, Chairman and Managing Director, Industrial Development Bank of India has been renominated as a Director for a further period beginning 13 November 1987 and ending 18 September 1988. The Board places on record its sincere appreciation of



the valuable contribution made by Shri C.N.S. Shastri and welcomes the new Directors.

17. Four meetings of the Board, one meeting of the Executive Committee and ten meetings of the Claims Committee were held during the year under report.

18. The Board records its appreciation of the efforts put in by the General Manager and other officers and staff at all levels in coping with the increased range and volume of work.

DEPOSIT INSURANCE AND  
CREDIT GUARANTEE  
CORPORATION,  
BOMBAY 400 039.

DATED : 28 MARCH 1988.

For and on  
behalf of the  
Board of  
Directors

(P.D. Ojha)  
Chairman

**ANNEXURE — I**

**STATEMENT SHOWING THE NAMES OF THE BANKS REGISTERED AND DEREGISTERED  
AS INSURED BANKS DURING THE YEAR ENDED DECEMBER 1987**

**(A) Names of banks registered as insured banks during the year 1987**

**Regional Rural Banks :**

1. Godavari Grameena Bank
2. Hindon Gamin Bank

**Co-operative Banks**

**Andhra Pradesh**

1. Gooty Co-operative Town Bank Ltd.
2. Darus Salam Co-operative Urban Bank Ltd. Hyderabad

**Gujarat**

1. Bhavnagar Mahila Sahakari Bank Ltd.

**Haryana**

1. Haryana State Co-operative Bank Ltd.
2. Ambala Central Co-operative Bank Ltd.
3. Bhiwani Central Co-operative Bank Ltd.
4. Gurgaon Central Co-operative Bank Ltd.
5. Faridabad Central Co-operative Bank Ltd.
6. Jind Central Co-operative Bank Ltd.
7. Karnal Central Co-operative Bank Ltd.
8. Kurukshetra Central Co-operative bank Ltd.
9. Mahendergarh Central Co-operative Bank Ltd.
10. Sonapat Central Co-operative Bank Ltd.
11. Sirsa Central Co-operative Bank Ltd.
12. Rohtak Central Co-operative Bank Ltd.
13. Rewari Central Co-operative Bank Ltd.
14. Hissar District Central Co-operative Bank Ltd.
15. Sonapat Urban Co-operative Bank Ltd.
16. Yamuna Nagar Urban Co-operative Bank Ltd.
17. Panchakula Urban Co-operative Bank Ltd.
18. Hissar Urban Co-operative Bank Ltd.
19. Panipat Urban Co-operative Bank Ltd.
20. Karan Urban Co-operative Bank Ltd.

21. Postal & R.M.S. Urban Co-operative Bank Ltd. Ambala Cantt.
22. Kurukshetra Urban Co-operative Bank Ltd.

**Jammu & Kashmir :**

1. Urban Co-operative Bank Ltd., Anantnag Kerala

1. Meenachil East Co-operative Bank Ltd., Poonjar
2. Ponani Co-operative Urban Bank Ltd.

**Maharashtra :**

1. Jawhar Urban Co-operative Bank Ltd.
2. Siddhartha Sahakari Bank Ltd., Jalgaon
3. Indira Shramik Mahila Nagari Sahakari Bank Ltd., Solapur

**Orissa :**

1. Urban Co-operative Bank Ltd., Bhubaneswar
2. Kendrapara Urban Co-operative Bank Ltd.

**Rajasthan**

1. Bhilwara Urban Co-operative Bank Ltd. Uttar Pradesh

1. National Urban Co-operative Bank Ltd., Pratapgarh
2. Urban Co-operative Bank Ltd., Allahabad
3. Bijnor Urban Co-operative Bank Ltd., Bijnor
4. Urban Co-operative Bank Ltd., Basti
5. Mercantile Urban Co-operative Bank Ltd., Meerut
6. Rajdhani Nagar Sahakari Bank Ltd., Lucknow.

**(B) Statement showing the names of the banks deregistered during the year 1987**

**Co-operative Banks**

**Karnataka**

1. Manihal Urban Co-operative Credit Bank Ltd. Maharashtra

1. Dohad Saifee Co-operative Bank Ltd., Bombay

**Uttar Pradesh**

- Hind Urban Co-operative Bank Ltd., Lucknow.

**SUMMARY OF INSURED BANKS**

(As on 31 December 1987)

<b>I. Commercial Banks</b> .....	<b>83</b>
<b>II. Regional Rural Banks</b> .....	<b>196</b>
<b>III. Co-operative Banks</b> (Break-up as under)	

State	Apex	Central	Primary	Total
Andhra Pradesh	1	27	60	88
Goa	1	—	5	6
Gujarat	1	21	289	311
Haryana	1	13	8	22
Himachal Pradesh	1	2	4	7
Jammu & Kashmir	1	3	2	6
Karnataka	1	22	205	228
Kerala	1	13	57	71
Madhya Pradesh	1	45	36	82
Maharashtra	1	31	370	402
Orissa	1	17	12	30
Rajasthan	1	26	17	44
Tamil Nadu	1	18	134	153
Tripura	1	—	1	2
Uttar Pradesh	1	56	30	87
West Bengal	1	17	48	66
<b>Union Territories</b>				
Delhi	1	—	11	12
Pondicherry	1	—	1	2
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Total (Co-operative Banks)	18	311	1,290	1,619
<b>TOTAL (I, II &amp; III)</b>				<b>1,898</b>

## ANNEXURE — II

### STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF BANKS (COMMERCIAL, REGIONAL RURAL AND CO-OPERATIVE) COVERED UNDER THE DEPOSIT INSURANCE SCHEME, SINCE 1962

Year	No. of registered banks at the commencement of the year	No. of banks registered during the year	No. of banks deregistered where Corporation's liability			No. of registered banks at the close of the year (2 + 3 - 6)
			was attracted	was not attracted	Total (4+5)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1962	287	—	2	9	11	276
1963	276	—	1	25	26	250
1964	250	1	6	88	94	157
1965	157	—	—	48	48	109
1966	109	1	2	8	10	100
1967	100	—	—	9	9	91
1968	91	—	—	3	3	88
1969	88	—	2	1	3	85
1970	85	—	1	1	2	83
1971	83	385	—	3	3	465
1972	465	16	—	5	5	476
1973	476	18	—	2	2	492
1974	492	37	—	3	3	526
1975	526	88	—	3	3	611
1976	611	155	3	6	9	757
1977	757	223	2	3	5	975
1978	975	51	4	1	5	1,021
1979	1,021	375	—	4	4	1,392
1980	1,392	191	—	1	1	1,582
1981	1,582	69	1	3	4	1,647
1982	1,647	44	1	7	8	1,683
1983	1,683	55	—	2	2	1,736
1984	1,736	71	1	1	2	1,805
1985	1,805	41	5	4	9	1,837
1986	1,837	27	2	3	5	1,859
1987	1,859	42	3	—	3	1,898

**Note : Break-up of insured banks at the end of 1985-87**

Year	No. of insured banks			
	Commercial	Regional Rural	Co-operative	Total
1985	83	187	1,567	1,837
1986	83	194	1,582	1,859
1987	83	196	1,619	1,898

**ANNEXURE — III**

**STATEMENT SHOWING THE EXTENT OF PROTECTION AFFORDED TO THE DEPOSITORS OF INSURED BANKS**

(Commercial Banks, Regional Rural Banks and Co-operative Banks)

(As on the last Fridays of December 1961, September each of 1967, 1970, 1971, 1976,  
1st July 1980 and the last working day of June 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, and 1987)

Year	No. of fully protected accounts @ (in lakhs)	Total No. of accounts (in lakhs)	Percentage of (2) to (3)	Insured deposits £ (Rs. in crores)	Total assess-able deposits (Rs. in crores)	Percentage of (5) to (6)
1	2	3	4	5	6	7
1961	55.42	70.58	78.5%	392.32	1,693.74	23.1%
1967	118.67	155.26	76.4	942.88	3,603.47	26.2
1970	230.38	239.79	96.1	3,410.62	5,447.88	62.6
1971	298.86	310.20	96.3	4,224.49	6,801.42	62.1
1976	718.01	730.23	98.3	11,827.43	16,587.85	71.3
1980	1,273.67	1,284.77	99.1	24,233.50	32,569.60	74.4
1981	1,364.62	1,377.07	99.1	25,859.20	35,004.43	73.9
1982	1,580.98	1,598.24	98.9	31,773.92	42,360.41	75.0
1983	1,784.97	1,815.82	98.3	37,746.39	50,796.54	74.3
1984	2,000.19	2,025.94	98.7	46,339.53	61,880.23	74.8
1985	2,145.16	2,238.37	95.8	56,211.15	76,517.22	73.5
1986	2,320.05	2,359.60	98.0	62,878.13	86,213.96	72.9
1987	2,518.01	2,568.51	98.0	75,511.19	103,044.16	73.3

@ i.e., number of accounts with balances not exceeding Rs. 1,500 till the end of 1967, Rs. 5,000 till 31 March 1970, Rs. 10,000 till 30 June 1976, Rs. 20,000 till 30 June 1980 and Rs. 30,000 thereafter.

£ i.e., deposits upto Rs. 1,500 in all accounts till the end of 1967, Rs. 5,000 till 31 March 1970, Rs. 10,000/- till 30 June 1976, Rs. 20,000 till 30 June 1980 and Rs. 30,000 thereafter.

## ANNEXURE — IV

STATEMENT SHOWING THE EXTENT OF PROTECTION AFFORDED TO THE DEPOSITORS OF INSURED BANKS  
(CATEGORY-WISE) FOR THE YEARS 1985, 1986 AND 1987)

Year	Category of Banks	Total No. of Banks	No. of Reporting Banks	Insured Deposits (Rs. in crores)	Total assessable Deposits (Rs. in crores)	Percentage of 5 to 6
1	2	3	4	5	6	7
<b>1985</b>	Commercial Banks	83	65	50,114.79	68,173.58	73.5
	Regional Rural Banks	187	143	746.81	804.08	92.9
	Co-operative Banks	1,567	1,200	5,349.55	7,539.56	70.9
	<b>Total:</b>	<b>1,837</b>	<b>1,408</b>	<b>56,211.15</b>	<b>76,517.22</b>	<b>73.5</b>
<b>1986</b>	Commercial Banks	83	70	55,973.95	77,161.51	72.5
	Regional Rural Banks	194	163	1,327.70	1,420.30	93.5
	Co-operative Banks	1,582	1,116	5,576.48	7,632.15	73.1
	<b>Total:</b>	<b>1,859</b>	<b>1,349</b>	<b>62,878.13</b>	<b>86,213.96</b>	<b>72.9</b>
<b>1987</b>	Commercial Banks	83	72	67,236.46	92,184.45	72.9
	Regional Rural Banks	196	176	1,351.76	1,453.50	93.0
	Co-operative Banks	1,619	1,236	6,922.97	9,406.21	73.6
	<b>Total :</b>	<b>1,898</b>	<b>1,484</b>	<b>75,511.19</b>	<b>103,044.16</b>	<b>73.3</b>



**ANNEXURE — V**

**DEPOSIT INSURANCE CLAIMS PAID AND PROVIDED FOR AND  
REIMBURSEMENTS RECEIVED AS ON 31 DECEMBER 1987**

(Amount in lakhs of rupees)

Sr. No.	Name of bank (indicating in brackets the year in which the claims were met)	Total insured deposits paid & provided for	Repayments received by the Corporation	Balance (3)–(4)
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I. COMMERCIAL BANKS</b>				
i) Particulars relating to banks in respect of which the Corporation has been reimbursed in full.				
\$	1. Bank of China, Calcutta (1963)	9.25	9.25	—
*	2. Shree Jadeya Shankarling Bank Ltd., Bijapur (1965)	0.12	0.12	—
*	3. Bank of Behar Ltd., Patna (1970)	46.32	46.32	—
	Total 'A' :	<b>55.69</b>	<b>55.69</b>	<b>—</b>
ii) Particulars relating to banks in respect of which the Corporation had been paid in part and balance due has been written off				
*	4. Unity Bank Ltd., Madras (1963)	2.53	1.37	@ @
*	5. Unnao Commercial Bank Ltd., Unnao (1964)	1.08	0.31	@ @
*	6. Chawla Bank Ltd., Dehradun (1969)	0.18	0.14	@ @
*	7. Metropolitan Bank Ltd., Calcutta (1964)	8.80	4.41	@ @
	Total 'B' :	<b>12.59</b>	<b>6.23</b>	<b>@ @</b>
iii) Particulars relating to banks in respect of which the Corporation has not been reimbursed in full				
*	8. Bank of Alagapuri Ltd., Alagapuri (1963)	0.28	0.18	0.10
*	9. Cochin Nayar Bank Ltd., Trichur (1964)	7.10	4.15	2.95
*	10. Latin Christian Bank Ltd., Ernakulam (1964)	2.08	1.14	0.94
*	11. Southern Bank Ltd., Calcutta (1964)	7.34	3.26	4.08
+	12. National Bank of Pakistan, Calcutta (1966)	0.99	0.88	0.11
		(0.85)		(0.85)
+	13. Habib Bank Ltd., Bombay (1966)	17.26	16.78	0.48
		(1.18)		(1.18)
*	14. National Bank of Lahore Ltd., Delhi (1970)	9.69	—	9.69
*	15. Bank of Cochin Ltd., Cochin (1986)	1,162.78	—	1,162.78
*	16. Miraj State Bank Ltd., Miraj (1987)	146.59	—	146.59
*	17. Lakshmi Commercial Bank Ltd., Delhi (1987) (part claim settled)	2,685.91	—	2,685.91
	Total 'C'	<b>4,040.02</b> <b>(2.03)</b>	<b>26.39</b>	<b>4,013.63</b> <b>(2.03)</b>
	Total : 'A' + 'B' + 'C' :	<b>4,108.30</b> <b>(2.03)</b>	<b>88.31</b>	<b>4,013.63</b> <b>(2.03)</b>

**ANNEXURE--V (Contd.)**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>II. CO-OPERATIVE BANKS</b>				
i) Particulars relating to banks in respect of which the Corporation has been reimbursed in full				
\$\$	18. Malvan Co-op. Urban Bank Ltd., Malvan (1977)	1.86	1.84	++
%	19. Bombay Peoples Co-op. Bank Ltd., Bombay (1978)	10.72	10.72E	-- ++
	Total 'D' :	<b>12.58</b>	<b>12.56</b>	—
ii) Particulars relating to banks in respect of which the Corporation has not been reimbursed in full				
@	20. Bombay Commercial Co-op. Bank Ltd., Bombay (1976)	5.73	—	5.73
@	21. Ghatkopar Janata Sahakari Bank Ltd., Bombay (1977)	2.76	—	2.76
@	22. Aarey Milk Colony Co-op. Bank Ltd., Bombay (1978)	0.60	—	0.60
*	23. Ratnagiri Urban Co-op. Bank Ltd., Ratnagiri (1978)	46.43	10.95	35.48
*	24. Vishwakarma Co-op. Bank Ltd., Bombay (1979)	11.57	—	11.57
*	25. Prabhadevi Janata Sahakari Bank Ltd., Bombay (1979)	4.22	—	4.22
*	26. Kalavihar Co-op. Bank Ltd., Bombay (1979)	13.16	2.41	10.75
@	27. Ramdurg Urban Co-op. Credit Bank Ltd., Ramdurg (1981)	2.30	—	2.30
*	28. Vysya Co-op. Bank Ltd., Bangalore (1982)	91.31	11.74	79.57
@	29. Dadhich Sahakari Bank Ltd., Bombay (1984)	18.51	7.87	10.64
@	30. Kollur Parvathi Co-op. Bank Ltd., Kollur (1985)	13.96	—	13.96
@	31. Adarsha Co-op. Bank Ltd., Mysore (1985)	2.74	0.33	2.41
*	32. Kurduwadi Merchants Urban Co-op. Bank Ltd., Kurduwadi (1986)	4.85	2.06	2.79
@	33. Gadag Urban Co-op. Bank Ltd., Gadag (1986)	22.85	3.00	19.85
@	34. Manihal Urban Co-op. Credit Bank Ltd., Manihal (1987)	9.61	—	9.61
	Total 'E' :	<b>250.60</b>	<b>38.36</b>	<b>212.24</b>
	Total 'D' + 'E' :	<b>263.18</b>	<b>50.92</b>	<b>212.24</b>
	Total 'A' + 'B' + 'C' + 'D' + 'E' :	<b>4,371.48</b>	<b>139.23</b>	<b>@ @ 4,225.87</b>
		<b>(2.03)</b>		<b>(2.03)</b>

\$ Licence to carry on banking business cancelled by the Reserve Bank of India.

@ @ Balances aggregating Rs. 6.36 lakhs have been written off. These include a sum of Rs. 0.07 lakh not paid but only provided for.

\* Scheme of Amalgamation.

@ Banks taken into liquidation + Scheme of arrangement.

++ Provision of Rs. 0.02 lakh made in respect of untraceable depositors written back.

+++ Provision of Rs. 2.07 lakhs made in respect of untraceable deposits written back.

\$\$ The bank was revived and voluntarily amalgamated with the Saraswat Co-operative Bank Ltd., in 1984.

% The bank was voluntarily amalgamated with the Saraswat Co-operative Bank Ltd., in 1987.

NOTES : (a) The figures of claims given above are after effecting adjustments.

(b) Figures given within brackets denote prohibited liabilities in respect of Pakistani Nationals.



## ANNEXURE — VI

### LIST OF CREDIT INSTITUTIONS PARTICIPATING IN THE CORPORATION'S CREDIT GUARANTEE SCHEMES RELATING TO SMALL BORROWERS AS ON 31 DECEMBER 1987.

#### I. SMALL LOANS GUARANTEE SCHEME, 1971

##### State Bank Group

1. State Bank of India
2. State Bank of Bikaner & Jaipur
3. State Bank of Hyderabad
4. State Bank of Indore
5. State Bank of Mysore
6. State Bank of Patiala
7. State Bank of Saurashtra
8. State Bank of Travancore

##### Nationalised Banks

9. Allahabad Bank
10. Andhra Bank
11. Bank of Baroda
12. Bank of India
13. Bank of Maharashtra
14. Canara Bank
15. Central Bank of India
16. Corporation Bank
17. Dena Bank
18. Indian Bank
19. Indian Overseas Bank
20. New Bank of India
21. Oriental Bank of Commerce
22. Punjab National Bank
23. Punjab & Sind Bank
24. Syndicate Bank
25. Union Bank of India
26. United Bank of India
27. UCO Bank
28. Vijaya Bank

##### Foreign Banks

29. Algemene Bank Nederland N.V.
30. American Express Bank Ltd.
31. Bank of America National Trust and Savings Association
32. Bank of Tokyo Ltd.
33. Banque Nationale de Paris
34. British Bank of the Middle East
35. Chartered Bank
36. Citibank N.A.
37. Grindlays Bank p.l.c.

38. Hongkong & Shanghai Banking Corporation
39. Mitsui Bank Ltd.

##### Other Indian Scheduled Commercial Banks

40. Bank of Karad Ltd.
41. Bank of Madura Ltd.
42. Bank of Rajasthan Ltd.
43. Bank of Tamilnad Ltd.
44. Bank of Thanjavur Ltd.
45. Bareilly Corporation (Bank) Ltd.
46. Benares State Bank Ltd.
47. Bharat Overseas Bank Ltd.
48. Catholic Syrian Bank Ltd.
49. Dhanalakshmi Bank Ltd.
50. Federal Bank Ltd.
51. Jammu & Kashmir Bank Ltd.
52. Karnataka Bank Ltd.
53. Karur Vysya Bank Ltd.
54. Kumbakonam City Union Bank Ltd.
55. Lakshmi Vilas Bank Ltd.
56. Lord Krishna Bank Ltd.
57. Naini Tal Bank Ltd.
58. Nedungadi Bank Ltd.
59. Parur Central Bank Ltd.
60. Punjab Co-operative Bank Ltd.
61. Purbanchal Bank Ltd.
62. Ratnakar Bank Ltd.
63. Sangli Bank Ltd.
64. South Indian Bank Ltd.
65. Tamilnad Mercantile Bank Ltd.
66. Traders' Bank Ltd.
67. United Industrial Bank Ltd.
68. United Western Bank Ltd.
69. Vysya Bank Ltd.

##### Non-scheduled Commercial Banks

70. Ganesh Bank of Kurundwad Ltd.
71. Kashi Nath Seth Bank Ltd.

##### Regional Rural Banks

72. Adhiyaman Grama Bank

ANNEXURE — VI (Contd.)

- |   |   |
|---|---|
| 73. Akola Gramin Bank                         | 122. Ellaquai Dehati Bank                           |
| 74. Alaknanda Gramin Bank                     | 123. Etah Gramin Bank                               |
| 75. Aligarh Gramin Bank                       | 124. Etawah Kshetriya Gramin Bank                   |
| 76. Allahabad Kshetriya Gramin Bank           | 125. Faizabad Kshetriya Gramin Bank                 |
| 77. Alwar-Bharatpur Anchalik Gramin Bank      | 126. Faridkot-Bathinda Kshetriya Gramin Bank        |
| 78. Ambala Kurukshetra Gramin Bank            | 127. Farrukhabad Gramin Bank                        |
| 79. Aravali Kshetriya Gramin Bank             | 128. Fatehpur Kshetriya Gramin Bank                 |
| 80. Arunachal Pradesh Rural Bank              | 129. Ganga Yamuna Gramin Bank                       |
| 81. Aurangabad-Jalna Gramin Bank              | 130. Gaur Gramin Bank                               |
| 82. Avadh Grameen Bank                        | 131. Giridih Kshetriya Gramin Bank                  |
| 83. Baitarani Gramya Bank                     | 132. Godavari Grameena Bank                         |
| 84. Balasore Gramya Bank                      | 133. Golconda Grameena Bank                         |
| 85. Ballia Kshetriya Gramin Bank              | 134. Gomati Gramin Bank                             |
| 86. Banaskantha-Mehsana Gramin Bank           | 135. Gopalganj Kshetriya Gramin Bank                |
| 87. Bara Banki Gramin Bank                    | 136. Gorakhpur Kshetriya Gramin Bank                |
| 88. Bardhaman Gramin Bank                     | 137. Gurdaspur-Amritsar kshetriya Gramin Vikas Bank |
| 89. Bareilly Kshetriya Gramin Bank            | 138. Gurgaon Gramin Bank                            |
| 90. Bastar Kshetriya Gramin Bank              | 139. Gwalior Datia Kshetriya Gramin Bank            |
| 91. Basti Gramin Bank                         | 140. Hadoti Kshetriya Gramin Bank                   |
| 92. Begusarai Kshetriya Gramin Bank           | 141. Haryana Kshetriya Gramin Bank                  |
| 93. Bhagalpur-Banka Kshetriya Gramin Bank     | 142. Hazaribag Kshetriya Gramin Bank                |
| 94. Bhagirath Gramin Bank                     | 143. Himachal Gramin Bank                           |
| 95. Bhandara Gramin Bank                      | 144. Hisar-Sirsa Kshetriya Gramin Bank              |
| 96. Bhilwara-Ajmer Kshetriya Gramin Bank      | 145. Howrah Gramin Bank                             |
| 97. Bhojpur Rohtas Gramin Bank                | 146. Indore-Ujjain Kshetriya Gramin Bank            |
| 98. Bijapur Gramin Bank                       | 147. Jaipur Nagaur Anchalik Gramin Bank             |
| 99. Bikaner Kshetriya Gramin Bank             | 148. Jammu Rural Bank                               |
| 100. Bilaspur-Raipur Kshetriya Gramin Bank    | 149. Jamnagar Gramin Bank                           |
| 101. Bolangir Anchalik Gramya Bank            | 150. Jamuna Gramin Bank                             |
| 102. Buldhana Gramin Bank                     | 151. Jhabua-Dhar Kshetriya Gramin Bank              |
| 103. Bundelkhand Kshetriya Gramin Bank        | 152. Junagadh-Amreli Gramin Bank                    |
| 104. Bundi Chittorgarh Kshetriya Gramin Bank  | 153. Kakathiya Grameena Bank                        |
| 105. Cachar Gramin Bank                       | 154. Kalahandi Anchalik Gramya Bank                 |
| 106. Cauvery Grameena Bank                    | 155. Kalpatharu Grameena Bank                       |
| 107. Chambal Kshetriya Gramin Bank            | 156. Kamraz Rural Bank                              |
| 108. Champaran Kshetriya Gramin Bank          | 157. Kanpur Kshetriya Gramin Bank                   |
| 109. Chaitanya Grameena Bank                  | 158. Kapurthala-Ferozepur Kshetriya Gramin Bank     |
| 110. Chandrapur Gadchiroli Gramin Bank        | 159. Kashi Gramin Bank                              |
| 111. Chhatrasal Gramin Bank                   | 160. Khasi Jaintia Rural Bank                       |
| 112. Chhindwara Seoni Kshetriya Gramin Bank   | 161. Kisan Gramin Bank                              |
| 113. Chickmagalur-Kodagu Grameena Bank        | 162. Kolar Gramin Bank                              |
| 114. Chitradurga Gramin Bank                  | 163. Koraput Panchabati Gramya Bank                 |
| 115. Cuttack Gramya Bank                      | 164. Kosi Kshetriya Gramin Bank                     |
| 116. Damoh-Panna-Sagar Kshetriya Gramin Bank  | 165. Krishna Grameena Bank                          |
| 117. Devi Patan Kshetriya Gramin Bank         | 166. Kshetriya Gramin Bank                          |
| 118. Dewas-Shajapur Kshetriya Gramin Bank     | 167. Kshetriya Kisan Gramin Bank                    |
| 119. Dhenkanal Gramya Bank                    | 168. Kutch Gramin Bank                              |
| 120. Dungarpur-Banswara Kshetriya Gramin Bank | 169. Lakhimi Gaonlia Bank                           |
| 121. Durg-Rajnandgaon Gramin Bank             |   |

**ANNEXURE — VI (Contd.)**

- |  |   |
|--|---|
| 170. Langpi Dehangi Rural Bank             | 218. Sabarkantha Gandhinagar Gramin Bank  |
| 171. Madhubani Kshetriya Gramin Bank       | 219. Sagar Gramin Bank                    |
| 172. Magadh Gramin Bank                    | 220. Sahyadri Gramin Bank                 |
| 173. Mahakaushal Kshetriya Gramin Bank     | 221. Samastipur Kshetriya Gramin Bank     |
| 174. Malaprabha Grameena Bank              | 222. Samyut Kshetriya Gramin Bank         |
| 175. Mallabhum Gramin Bank                 | 223. Sangameshwara Grameena Bank          |
| 176. Malwa Gramin Bank                     | 224. Santhal Pargana Gramim Bank          |
| 177. Mandla Balaghat Kshetriya Gramin Bank | 225. Saran Kshetriya Gramin Bank          |
| 178. Manipur Rural Bank                    | 226. Saryu Gramin Bank                    |
| 179. Manjira Grameena Bank                 | 227. Sharda Gramin Bank                   |
| 180. Marathwada Gramin Bank                | 228. Shahdol Kshetriya Gramin Bank        |
| 181. Marudhar Kshetriya Gramin Bank        | 229. Shahjahanpur Kshetriya Gramin Bank   |
| 182. Marwar Gramin Bank                    | 230. Shekhavati Gramin Bank               |
| 183. Mayurakshi Gramin Bank                | 231. Shivalik Kshetriya Gramin Bank       |
| 184. Mewar Anchalik Gramin Bank            | 232. Shivpuri-Guna Kshetriya Gramin Bank  |
| 185. Mithila Kshetriya Gramin Bank         | 233. Shri Venkateswara Grameena Bank      |
| 186. Mizoram Rural Bank                    | 234. Singbhum Kshetriya Gramin Bank       |
| 187. Monghyr Kshetriya Gramin Bank         | 235. Siwan Kshetriya Gramin Bank          |
| 188. Murshidabad Gramin Bank               | 236. Solapur Gramin Bank                  |
| 189. Muzaffarnagar Kshetriya Gramin Bank   | 237. South Malabar Gramin Bank            |
| 190. Nadia Gramin Bank                     | 238. Sravasthi Grameena Bank              |
| 191. Nagaland Rural Bank                   | 239. Sree Anantha Grameena Bank           |
| 192. Nagarjuna Grameena Bank               | 240. Sri Ganganagar Kshetriya Gramin Bank |
| 193. Nainital-Almora Kshetriya Gramin Bank | 241. Sri Kanaka Durga Grameena Bank       |
| 194. Nalanda Gramin Bank                   | 242. Sri Rama Grameena Bank               |
| 195. Netravati Grameena Bank               | 243. Sri Saraswathi Grameena Bank         |
| 196. Nimar Kshetriya Gramin Bank           | 244. Sri Sathavahana Grameena Bank        |
| 197. North Malabar Gramin Bank             | 245. Sri Visakha Gramin Bank              |
| 198. Palamau Kshetriya Gramin Bank         | 246. Subansiri Gaonlia Bank               |
| 199. Panchmahal Gramin Bank                | 247. Sultanpur Kshetriya Gramin Bank      |
| 200. Pandyan Grama Bank                    | 248. Surat Bharuch Gramin Bank            |
| 201. Patliputra Gramin Bank                | 249. Surendranagar Bhavnagar Gramin Bank  |
| 202. Pinakini Grameena Bank                | 250. Surguja Kshetriya Gramin Bank        |
| 203. Pithoragarh Kshetriya Gramin Bank     | 251. Thane Gramin Bank                    |
| 204. Pragjyotish Gaonlia Bank              | 252. Thar Anchalik Gramin Bank            |
| 205. Pratapgarh Kshetriya Gramin Bank      | 253. Tripura Gramin Bank                  |
| 206. Prathama Bank                         | 254. Tulsi Gramin Bank                    |
| 207. Puri Gramya Bank                      | 255. Tungabhadra Gramin Bank              |
| 208. Rae Bareli Kshetriya Gramin Bank      | 256. Uttar Banga Kshetriya Gramin Bank    |
| 209. Raigarh Kshetriya Gramin Bank         | 257. Vaishali Kshetriya Gramin Bank       |
| 210. Rajgarh Kshetriya Gramin Bank         | 258. Vallalur Grama Bank                  |
| 211. Ranchi Kshetriya Gramin Bank          | 259. Valsad Dangs Gramin Bank             |
| 212. Rani Lakshmbai Kshetriya Gramin Bank  | 260. Varada Grameena Bank                 |
| 213. Ratlam Mandsaur Kshetriya Gramin Bank | 261. Vidisha-Bhopal Kshetriya Gramin Bank |
| 214. Ratnagiri Sindhudurg Gramin Bank      | 262. Vidur Gramin Bank                    |
| 215. Rayalaseema Grameena Bank             | 263. Vindhya Vasini Gramin Bank           |
| 216. Rewa Sidhi Gramin Bank                | 264. Visveshvaraya Grameena Bank          |
| 217. Rushikulya Gramya Bank                | 265. Yavatmal Gramin Bank                 |

## ANNEXURE — VI (Contd.)

### II. SMALL LOANS (FINANCIAL CORPORATIONS) GUARANTEE SCHEME, 1971

1. Andhra Pradesh State Financial Corporation
2. Assam Financial Corporation
3. Bihar State Financial Corporation
4. Delhi Financial Corporation
5. Gujarat State Financial Corporation
6. Haryana Financial Corporation
7. Himachal Pradesh Financial Corporation
8. Jammu & Kashmir State Financial Corporation
9. Karnataka State Financial Corporation
10. Kerala Financial Corporation
11. Madhya Pradesh Financial Corporation
12. Maharashtra State Financial Corporation
13. Meghalaya Industrial Development Corporation Ltd.
14. Orissa State Financial Corporation
15. Pondicherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation Ltd.
16. Punjab Financial Corporation
17. Rajasthan Financial Corporation
18. Tamilnadu Industrial Investment Corporation Ltd.
19. Uttar Pradesh Financial Corporation
20. West Bengal Financial Corporation

### III. SERVICE CO-OPERATIVE SOCIETIES GUARANTEE SCHEME, 1971

#### State Bank group

1. State Bank of India
2. State Bank of Bikaner & Jaipur
3. State Bank of Hyderabad
4. State Bank of Indore
5. State Bank of Mysore
6. State Bank of Patiala
7. State Bank of Saurashtra
8. State Bank of Travancore

#### Nationalised Banks

9. Allahabad Bank
10. Andhra Bank
11. Bank of Baroda
12. Bank of India
13. Bank of Maharashtra
14. Canara Bank
15. Central Bank of India
16. Corporation Bank

17. Dena Bank
18. Indian Bank
19. Indian Overseas Bank
20. New Bank of India
21. Oriental Bank of Commerce
22. Punjab National Bank
23. Punjab & Sind Bank
24. Syndicate Bank
25. Union Bank of India
26. United Bank of India
27. UCO Bank
28. Vijaya Bank

#### Foreign Banks

29. American Express Bank Ltd.
30. Bank of America National Trust & Savings Association
31. British Bank of the Middle East
32. Citibank N.A.
33. Mitsui Bank Ltd.

#### Other Indian Scheduled Commercial Banks

34. Bank of Karad Ltd.
35. Bank of Madura Ltd.
36. Bank of Rajasthan Ltd.
37. Bank of Tamilnad Ltd.
38. Bank of Thanjavur Ltd.
39. Bareilly Corporation (Bank) Ltd.
40. Benares State Bank Ltd.
41. Bharat Overseas Bank Ltd.
42. Catholic Syrian Bank Ltd.
43. Federal Bank Ltd.
44. Jammu & Kashmir Bank Ltd.
45. Karnataka Bank Ltd.
46. Karur Vysya Bank Ltd.
47. Kumbakonam City Union Bank Ltd.
48. Lakshmi Vilas Bank Ltd.
49. Lord Krishna Bank Ltd.
50. Nedungadi Bank Ltd.
51. Purbanchal Bank Ltd.
52. Ratnakar Bank Ltd.
53. Sangli Bank Ltd.
54. South Indian Bank Ltd.
55. Tamilnad Mercantile Bank Ltd.
56. United Industrial Bank Ltd.
57. United Western Bank Ltd.



**ANNEXURE — VI (Contd.)**

- Regional Rural Banks**
58. Adhiaman Grama Bank
  59. Akola Gramin Bank
  60. Aligarh Gramin Bank
  61. Ambala Kurukshetra Gramin Bank
  62. Aravali Kshetriya Gramin Bank
  63. Aurangabad-Jalna Gramin Bank
  64. Basti Gramin Bank
  65. Begusarai Kshetriya Gramin Bank
  66. Bhandara Gramin Bank
  67. Bhilwara-Ajmer Kshetriya Gramin Bank
  68. Bhojpur Rohtas Gramin Bank
  69. Bijapur Grameena Bank
  70. Bilaspur Raipur Kshetriya Gramin Bank
  71. Bolangir Anchalik Gramya Bank
  72. Buldhana Gramin Bank
  73. Cachar Gramin Bank
  74. Cauvery Grameena Bank
  75. Chandrapur Gadchiroli Gramin Bank
  76. Cuttack Gramya Bank
  77. Durg-Rajnandgaon Gramin Bank
  78. Ganga Yamuna Gramin Bank
  79. Giridih Kshetriya Gramin Bank
  80. Gorakhpur Kshetriya Gramin Bank
  81. Gurdaspur-Amritsar Kshetriya Gramin Vikas Bank
  82. Gurgaon Gramin Bank
  83. Hadoti Kshetriya Gramin Bank
  84. Haryana Kshetriya Gramin Bank
  85. Himachal Gramin Bank
  86. Howrah Gramin Bank
  87. Jaipur Nagaur Anchalik Gramin Bank
  88. Jamnagar Gramin Bank
  89. Jamuna Gramin Bank
  90. Jhabua Dhar Kshetriya Gramin Bank
  91. Kakathiya Grameena Bank
  92. Kalpatharu Grameena Bank
  93. Kanpur Kshetriya Gramin Bank
  94. Kapurthala Ferozepur Kshetriya Gramin Bank
  95. Kosi Kshetriya Gramin Bank
  96. Koraput Panchabati Gramya Bank
  97. Kshetriya Gramin Bank
  98. Lakhimi Gaonlia Bank
  99. Mandla-Balaghat Kshetriya Gramin Bank
  100. Manipur Rural Bank
  101. Marathwada Gramin Bank
  102. Mayurakshi Gramin Bank
  103. Mewar Anchalik Gramin Bank
  104. Mithila Kshetriya Gramin Bank
  105. Mizoram Rural Bank
  106. Monghyr Kshetriya Gramin Bank
  107. Nagarjuna Grameen Bank
  108. Nainital-Almora Kshetriya Gramin Bank
  109. Nalanda Gramin Bank
  110. North Malabar Grameen Bank
  111. Palamau Kshetriya Gramin Bank
  112. Panchmahal Gramin Bank
  113. Pandyan Grama Bank
  114. Pragjyotish Gaonlia Bank
  115. Puri Gramya Bank
  116. Ranchi Kshetriya Gramin Bank
  117. Rajgarh Kshetriya Gramin Bank
  118. Rayalaseema Grameena Bank
  119. Rushikulya Gramya Bank
  120. Sabarkantha-Gandhinagar Gramin Bank
  121. Samastipur Kshetriya Gramin Bank
  122. Sangameshwara Grameena Bank
  123. Saryu Gramin Bank
  124. Shri Venkateswara Grameena Bank
  125. Singhbhum Kshetriya Gramin Bank
  126. Siwan Kshetriya Gramin Bank
  127. Solapur Gramin Bank
  128. Sree Anantha Grameena Bank
  129. Sri Saraswathi Grameena Bank
  130. Sri Sathavahana Grameena Bank
  131. Surendranagar-Bhavnagar Gramin Bank
  132. Surguja Kshetriya Gramin Bank
  133. Thar Anchalik Gramin Bank
  134. Tungabhadra Gramin Bank
  135. Uttar Banga Kshetriya Gramin Bank
  136. Vallalur Grama Bank
  137. Valsad Dangs Gramin Bank
  138. Varada Grameena Bank
  139. Vidisha-Bhopal Kshetriya Gramin Bank
  140. Visveshvaraya Grameena Bank
- Co-operative Banks**
- Andhra Pradesh**
141. Adilabad Jila Kendra Sahakari Bank Ltd.
  142. Bhongir Co-operative Central Bank Ltd.
  143. Chittoor District Co-operative Central Bank Ltd.
  144. Co-operative Central Bank Ltd., Nellore
  145. Co-operative Central Bank Ltd., Vizianagaram
  146. Khammam District Co-operative Central Bank Ltd.

**ANNEXURE — VI (Contd.)**

147. Kurnool District Co-operative Central Bank Ltd.

**Gujarat**

148. Gujarat State Co-operative Bank Ltd.  
149. Kaira District Central Co-operative Bank Ltd.  
150. Panchmahals District Co-operative Bank Ltd.

**Jammu & Kashmir**

151. Jammu Central Co-operative Bank Ltd.  
152. Jammu & Kashmir State Co-operative Bank Ltd.

**Karnataka**

153. District Co-operative Central Bank Ltd., Bidar  
154. Kanara District Central Co-operative Bank Ltd.

**Kerala**

155. Malabar Co-operative Central Bank Ltd.

**Madhya Pradesh**

156. Bastar Central Co-operative Bank Ltd.  
157. Bishnudatta Co-operative Central Bank Ltd.  
158. Gwalior District Co-operative Central Bank Ltd.  
159. Mandla District Co-operative Central Bank Ltd.  
160. Raigarh Co-operative Central Bank Ltd.  
161. Raipur Co-operative Central Bank Ltd.  
162. Shujalpur Central Co-operative Bank Ltd.

**Maharashtra**

163. Ahmednagar District Central Co-operative Bank Ltd.  
164. Aurangabad District Central Co-operative Bank Ltd.  
165. Bhir District Central Co-operative Bank Ltd.  
166. Buldhana District Central Co-operative Bank Ltd.  
167. Dhulia District Central Co-operative Bank Ltd.  
168. Kolhapur District Central Co-operative Bank Ltd.  
169. Maharashtra State Co-operative Bank Ltd.  
170. Ratnagiri District Central Co-operative Bank Ltd.  
171. Sholapur District Industrial Co-operative Bank Ltd.  
172. Yeotmal District Central Co-operative Bank Ltd.

**Orissa**

173. Sambalpur District Co-operative Central Bank Ltd.

**Rajasthan**

174. Bharatpur Central Co-operative Bank Ltd.  
175. Chittorgarh Kendriya Sahakari Bank Ltd.

**Tamil Nadu**

176. Tirunelveli Central Co-operative Bank Ltd.

**Uttar Pradesh**

177. Roorkee Co-operative Bank Ltd.

**IV. SMALL LOANS (CO-OPERATIVE BANKS) GUARANTEE SCHEME, 1984**

**Primary (Urban) Co-operative Banks**

**Andhra Pradesh**

1. Andhra Pradesh Mahesh Co-operative Urban Bank Ltd.  
2. Charminar Co-operative Urban Bank Ltd.

**Gujarat**

3. Ahmedabad Mercantile Co-operative Bank Ltd.  
4. Ankaleshwar Nagaric Sahakari Bank Ltd.  
5. Bavla Nagaric Sahakari Bank Ltd.  
6. Bharuch Nagaric Sahakari Bank Ltd.  
7. Nawanagar Co-operative Bank Ltd.  
8. Nutan Nagaric Sahakari Bank Ltd.  
9. Porbandar Vibhagiya Nagaric Sahakari Bank Ltd.  
10. Shree Deesa Nagrik Sahakari Bank Ltd.  
11. Textile Traders' Co-operative Bank Ltd.  
12. Veraval Mercantile Co-operative Bank Ltd.

**Karnataka**

13. City Co-operative Bank Ltd.  
14. Grain Merchants' Co-operative Bank Ltd.  
15. Janatha Co-operative Bank Ltd.  
16. National Co-operative Bank Ltd.  
17. Shri Vijay Mahantesh Co-operative Bank Ltd.

**Kerala**

18. Kasaragod Co-operative Town Bank Ltd.



**ANNEXURE — VI (Contd.)**

19. Koduvayur Co-operative Urban Bank Ltd.
20. Manjeri Co-operative Urban Bank Ltd.
21. Perintalmanna Co-operative Bank Ltd.
22. Tirur Urban Co-operative Bank Ltd.

**Maharashtra**

23. Akola Urban Co-operative Bank Ltd.
24. Anjangaon Surji Nagari Sahakari Bank Ltd.
25. Cosmos co-operative Bank Ltd.
26. Ichalkaranji Janata Sahakari Bank Ltd.
27. Jai-Hind Co-operative Bank Ltd.
28. Kalwa-Belapur Sahakari Bank Ltd.
29. Mahad Co-operative Urban Bank Ltd.
30. Mandvi Co-operative Bank Ltd.
31. Nav-Jeevan Co-operative Bank Ltd.
32. New India Co-operative Bank Ltd.
33. North Kanara G.S.B. Co-operative Bank Ltd.
34. Pratap Co-operative Bank Ltd.
35. Rupee Co-operative Bank Ltd.
36. Shamrao Vithal Co-operative Bank Ltd.
37. Shree Warana Sahakari Bank Ltd.
38. Thane People's Co-operative Bank Ltd.
39. Vartaknagar-Majiwade Nagari Sahakari Bank Ltd.
40. Yashwant Sahakari Bank Ltd.

**Tamil Nadu**

41. Ambasamudram Co-operative Urban Bank Ltd.
42. Ariyalur Co-operative Urban Bank Ltd.
43. Arkonam Co-operative Urban Bank Ltd.
44. Arni Co-operative Town Bank Ltd.
45. Attur Town Co-operative Bank Ltd.
46. B. Komarapalayam Co-operative Urban Bank Ltd.
47. Bhavanikudal Co-operative Urban Bank Ltd.
48. Bhupathiraju Co-operative Credit Bank Ltd.
49. Big Kancheepuram Co-operative Town Bank Ltd.
50. Chennimalai Co-operative Urban Bank Ltd.
51. Dindigul Urban Co-operative Bank Ltd.

52. George Town Co-operative Bank Ltd.
53. Kallidaikuruchi Co-operative Urban Bank Ltd.
54. Karur Town Co-operative Bank Ltd.
55. Kovilpatti Co-operative Bank Ltd.
56. Madurai Urban Co-operative Bank Ltd.
57. Mayuram Co-operative Urban Bank Ltd.
58. Mukkuperi Co-operative Bank Ltd.
59. Pattukkottai Co-operative Urban Bank Ltd.
60. Pudukkottai Co-operative Town Bank Ltd.
61. Purasawalkam Co-operative Bank Ltd.
62. Prakasapuram Co-operative Urban Bank Ltd.
63. Salem Urban Co-operative Bank Ltd.
64. Sankari Co-operative Urban Bank Ltd.
65. Sirkali Co-operative Urban Bank Ltd.
66. Sivakasi Co-operative Urban Bank Ltd.
67. Srivilliputtur Co-operative Urban Bank Ltd.
68. Sri Kamalambika Co-operative Bank Ltd.
69. Sri Lakshminarayana Co-operative Urban Bank Ltd.
70. Thyagarayanagar Co-operative Bank Ltd.
71. Tiruchirapalli City Co-operative Bank Ltd.
72. Tirumangalam Co-operative Urban Bank Ltd.
73. Tuticorin Melur Co-operative Bank Ltd.
74. Uthamapalayam Co-operative Urban Bank Ltd.

**Uttar Pradesh**

75. Lucknow Urban Co-operative Bank Ltd.
76. United Mercantile Co-operative Bank Ltd.

**West Bengal**

77. Bhatpara-Naihati Co-operative Bank Ltd.

**Jammu & Kashmir**

78. Citizens Co-operative Bank Ltd.

**Madhya Pradesh**

79. Sehore Nagarik Sahakari Bank Ltd.
80. Ujjain Paraspar Sahakari Bank Ltd.

**ANNEXURE — VI (Concluded)**

**CATEGORY-WISE POSITION OF CREDIT INSTITUTIONS PARTICIPATING IN THE CORPORATION'S CREDIT GUARANTEE SCHEMES FOR SMALL BORROWERS AS ON 31 DECEMBER 1987**

Schemes/Category of Credit Institutions	Credit institutions participating as on 31 December 1986				Credit institutions joined during the year 1987				Total number of participants as on 31 December 1987			
	Commer- cial Banks	RRBs	Co-op. Banks	Total	Commer- cial Banks	RRBs	Co-op. Banks	Total	Commer- cial Banks	RRBs	Co-op. Banks	Total
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1. Small Loans Guarantee Scheme, 1971.	71	187	—	258	—	7	—	7	71	194	—	265
2. Small Loans (Financial Corporations) Guarantee Scheme, 1971 @	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	20
3. Service Co-operative Societies Guarantee Scheme, 1971.	57	81	37	175	—	2	—	2	57	83	37	177
4. Small Loans (Co-operative Credit Societies) Guarantee Scheme, 1982*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984	—	—	56	56	—	—	24	24	—	—	80	80

@ Only State Financial Corporations are eligible for participation in the Scheme.

\* The credit institutions eligible for participation in the Scheme are primary agricultural credit societies and primary land development banks/branches of state land development banks. So far no such credit institution has joined the scheme.

## ANNEXURE — VII

SECTOR-WISE DISTRIBUTION OF GUARANTEED ADVANCES UNDER THE CORPORATION'S  
CREDIT GUARANTEE SCHEMES

(Amount in crores of rupees)

Scheme/Category of borrowers	As at the end of June									
	1972	1978	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	Percentage to the total of I, II, III & IV in Col. (10)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>SMALL BORROWERS</b>										
<b>(A) SCHEMES RELATING TO NON-INDUSTRIAL SECTOR</b>										
I. Small Loans Guarantee Scheme, 1971	205.71	1,706.29	3,546.24	4,819.77	5,736.44	7,045.38	8,842.29	10,345.10	10,998.22	98.94
(i) Farmers & Agriculturists	134.67	1,057.04	2,267.52	3,041.59	3,594.84	4,181.98	5,057.75	6,020.34	6,428.29	57.83
(ii) Transport Operators	28.29	282.66	477.56	731.31	937.68	1,239.58	1,510.21	1,606.00	1,664.73	14.97
(iii) Retail Traders	28.34	178.92	398.86	511.83	574.80	709.84	972.45	1,191.85	1,257.99	11.32
(iv) Professional & Self-employed Persons	9.14	87.96	165.66	199.12	240.76	326.94	484.88	656.56	700.15	6.30
(v) Business Enterprises	5.27	68.07	150.08	209.70	239.62	322.51	473.42	609.51	694.64	6.25
(vi) Residual category of borrowers under the Differential Rate of Interest Scheme	—	31.64	86.56	126.22	148.74	264.53	343.58	260.84	252.42	2.27
II. Small Loans (Financial Corporations) Guarantee Scheme, 1971	2.56	8.66	10.89	18.58	35.64	52.68	69.24	85.19	92.28	0.83
(i) Transport Operators	2.35	7.97	10.33	18.35	35.40	52.28	68.93	84.88	91.97	0.83
(ii) Business Enterprises	0.21	0.69	0.56	0.23	0.24	0.40	0.31	0.31	0.31	—
III. Service Co-operative Societies Guarantee Scheme, 1971	0.12	0.22	1.32	1.53	1.75	0.50	0.72	0.72	0.72	0.01
IV. Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984	—	—	—	—	—	5.69 @	10.76	14.96	25.00	00.22
(i) Transport Operators	—	—	—	—	—	1.84	3.63	5.49	8.54	0.08
(ii) Retail Traders	—	—	—	—	—	2.64	4.51	5.53	7.67	0.07
(iii) Professional & Self-employed Persons	—	—	—	—	—	1.05	1.55	1.87	4.08	0.03
(iv) Business Enterprises	—	—	—	—	—	0.16	1.07	2.07	4.71	0.04
<b>Total of I, II, III &amp; IV :-</b>	<b>208.39</b>	<b>1,715.17</b>	<b>3,558.45</b>	<b>4,839.88</b>	<b>5,773.83</b>	<b>7,104.25</b>	<b>8,923.01</b>	<b>10,445.97</b>	<b>11,116.22</b>	<b>100.00</b>
<b>SSI BORROWERS</b>										
<b>(B) SCHEME RELATING TO INDUSTRIAL (SSI) SECTOR</b>										
V. Small Loans (Small-Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981										
All SSI units including cottage industries etc.	—	—	3,716.43*	3,822.13	4,153.73	4,890.86	5,843.69	7,497.46	7,738.03	
<b>GRAND TOTAL : (A) + (B)</b>	<b>208.39</b>	<b>1,715.17</b>	<b>7,274.88</b>	<b>8,662.01</b>	<b>9,927.56</b>	<b>11,995.11</b>	<b>14,766.70</b>	<b>17,943.43</b>	<b>18,854.25</b>	

@ As on 31 December 1984

\* As on 31 March 1981

**ANNEXURE — VIII**

**SECTOR-WISE BREAK-UP OF CLAIMS RECEIVED UNDER THE CORPORATION'S CREDIT GUARANTEE  
SCHEMES RELATING TO SMALL BORROWERS**

(Amount in crores of rupees)

Sr. No.	Category of borrowers	Total claims received upto 31 December 1986		Claims received During 1987		% to total Amount in Column (6)	Total		% to total Amount in column (9)
		Number	Amount	Number	Amount		Number (3 + 5)	Amount (4 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Farmers & Agriculturists	10,37,451	232.83	5,68,170	130.05	50.95	16,05,621	362.88	53.10
II.	Transport Operators	89,271	74.45	45,352	40.40	15.83	1,33,623	114.85	16.81
III.	Retail Traders	3,17,902	67.09	1,82,103	46.21	18.10	5,00,005	113.30	16.58
IV.	Professional and Self employed persons	1,88,592	24.85	85,064	17.15	6.72	2,73,656	42.00	6.15
V.	Business Enterprises	80,401	15.76	54,229	10.90	4.27	1,34,630	26.66	3.90
VI.	Residual category of borrowers under the DRI Scheme	1,93,595	12.76	1,36,157	10.38	4.06	3,29,752	23.14	3.39
VII.	Credit facilities for consump- tion and for purchase or construction of house or tenement	2,291	0.28	1,146	0.18	0.07	3,437	0.46	0.07
<b>TOTAL :</b>		<b>19,09,503</b>	<b>428.02</b>	<b>10,71,221</b>	<b>255.27</b>	<b>100.00</b>	<b>29,80,724</b>	<b>683.29</b>	<b>100.00</b>

## ANNEXURE — IX

**STATEMENT SHOWING RECEIPT AND DISPOSAL OF CLAIMS UNDER THE CORPORATION'S  
CREDIT GUARANTEE SCHEMES RELATING TO SMALL BORROWERS** (Amount in crores of rupees)

Period	Claims received		Claims disposed of		Of the Claims disposed of vide Columns 4 & 5						Claims pending at	
	No.	Amount	No.	Amount	Claims Paid		Claims withdrawn		Claims rejected		the end of the year	
					No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Upto end of 1977	21,638	6.70	12,410	3.30	11,606	2.94	423	0.13	381	0.23		
During 1978	29,925	8.76	14,623	3.34	13,825	3.03	407	0.07	391	0.24		
During 1979	36,535	11.30	25,739	6.95	23,930	5.69	1,054	0.41	755	0.85		
During 1980	83,557	14.90	47,481	7.20	45,303	6.50	214	0.08	1,964	0.62		
During 1981	1,00,669	18.25	74,030	11.14	72,216	9.08	582	0.28	1,232	1.77		
During 1982	1,50,926	24.71	1,05,513	14.50	1,02,141	12.49	1,369	0.59	2,003	1.43		
During 1983	1,47,474	27.84	1,27,714	19.64	1,23,202	17.94	1,643	0.52	2,869	1.18		
During 1984	2,54,692	61.71	2,36,625	32.09	2,28,419	30.99	741	0.22	7,465	0.88		
During 1985	4,53,722	114.91	4,66,611	114.45	3,36,663	71.80	1,19,770	41.97	10,178	0.68		
During 1986	6,30,365	140.94	6,44,090	176.39	4,84,852	86.86	1,47,419	87.18	11,819	2.35		
<b>Sub Total 'A'</b> (1971 to 1986)	<b>19,09,503</b>	<b>428.02</b>	<b>17,54,836</b>	<b>389.00</b>	<b>14,42,157</b>	<b>247.32</b>	<b>2,73,622</b>	<b>131.45</b>	<b>39,057</b>	<b>10.23</b>	<b>1,54,667</b>	<b>39.02</b>
During 1987												
i) Old format	43	0.29	47	0.24	39	0.17	7	0.06	1	0.01		
ii) New format NI-11	10,71,178	254.98	7,67,033	148.17	7,42,022	141.75	18	0.01	24,993	6.41		
<b>Sub Total 'B' (i + ii)</b>	<b>10,71,221</b>	<b>255.27</b>	<b>7,67,080</b>	<b>148.41</b>	<b>7,42,061</b>	<b>141.92</b>	<b>25</b>	<b>0.07</b>	<b>24,994</b>	<b>6.42</b>		
<b>Grand Total (A+B)</b> (1971 to 1987)	<b>29,80,724</b>	<b>683.29</b>	<b>25,21,916</b>	<b>537.41</b>	<b>21,84,218</b>	<b>389.24</b>	<b>2,73,647</b>	<b>131.52</b>	<b>64,051</b>	<b>16.65</b>	<b>4,58,808</b>	<b>145.88</b>
<b>Break-up of Pending Claims :-</b>							<b>No.</b>	<b>Amount</b>				
To be Processed							2,97,631	69.15				
Processed and to be settled for want of clarification							1,61,177	76.73				
<b>Total :</b>							<b>4,58,808</b>	<b>145.88</b>				



**ANNEXURE — X**

**STATEMENT SHOWING THE PARTICULARS OF ACCOUNTS IN DEFAULT IN RESPECT OF THE GOVERNMENT'S  
CREDIT GUARANTEE SCHEME FOR SMALL-SCALE INDUSTRIES (SINCE CANCELLED) AS ON 31 MARCH 1981 @**

(Amount in crores of rupees)

	Bombay		Calcutta		Madras		New Delhi		Total	
	Number	Amount	Number	Amount	Number	Amount	Number	Amount	Number	Amount
1. State Bank Group	5,292	12.58	4,388	9.00	15,726	19.44	8,947	14.31	34,353	55.32
2. Nationalised Banks	6,450	39.36	6,977	21.58	17,252	41.77	7,058	38.58	37,737	141.30
3. Scheduled Commercial Banks	194	1.42	96	2.07	761	5.07	322	2.29	1,373	10.85
4. Regional Rural Banks	240	0.01	1	*	403	0.02	—	—	644	0.03
5. Non-Scheduled Commercial Banks	2	*	—	—	16	0.07	—	—	18	0.07
6. State Financial Corporations	404	3.80	63	1.59	490	8.91	415	8.04	1,372	22.34
7. State Co-operative Banks	77	0.35	—	—	—	—	—	—	77	0.35
8. Co-operative Banks	12,604	3.37	2	*	—	—	73	0.08	12,679	3.45
<b>Total :</b>	<b>25,263</b>	<b>60.89</b>	<b>11,527</b>	<b>34.24</b>	<b>34,648</b>	<b>75.28</b>	<b>16,815</b>	<b>63.30</b>	<b>88,253</b>	<b>233.71</b>

@ Information received upto 31 December 1987

\* Amount in thousands of rupees

N.B. The information, however, is incomplete as about 2,812 branches of credit institutions are yet to report the figures.



## ANNEXURE — XI

### LIST OF CREDIT INSTITUTIONS PARTICIPATING IN THE SMALL LOANS (SMALL-SCALE INDUSTRIES) GUARANTEE SCHEME, 1981 AS ON 31 DECEMBER 1987

#### State Bank Group

1. State Bank of India
2. State Bank of Bikaner & Jaipur
3. State Bank of Hyderabad
4. State Bank of Indore
5. State Bank of Mysore
6. State Bank of Patiala
7. State Bank of Saurashtra
8. State Bank of Travancore

#### Nationalised Banks

1. Allahabad Bank
2. Andhra Bank
3. Bank of Baroda
4. Bank of India
5. Bank of Maharashtra
6. Canara Bank
7. Central Bank of India
8. Corporation Bank
9. Dena Bank
10. Indian Bank
11. Indian Overseas Bank
12. New Bank of India
13. Oriental Bank of Commerce
14. Punjab National Bank
15. Punjab & Sind Bank
16. Syndicate Bank
17. Union Bank of India
18. United Bank of India
19. UCO Bank
20. Vijaya Bank

#### Foreign Banks

1. Algemene Bank Nederland N.V.
2. American Express Bank Ltd.
3. Bank of America National Trust and Savings Association
4. Bank of Tokyo Ltd.
5. Banque Nationale de Paris
6. British Bank of Middle East
7. Citibank N.A.
8. Abu Dhabi Commercial Bank Ltd.
9. Grindlays Bank p.l.c.

10. Hongkong & Shanghai Banking Corporation
11. Mitsui Bank Ltd.

#### Other Indian Scheduled Commercial Banks

1. Bank of Madura Ltd.
2. Bank of Rajasthan Ltd.
3. Bank of Tamilnad Ltd.
4. Bank of Thanjavur Ltd.
5. Bareilly Corporation Bank Ltd.
6. Benares State Bank Ltd.
7. Bharat Overseas Bank Ltd.
8. Catholic Syrian Bank Ltd.
9. Dhanalakshmi Bank Ltd.
10. Federal Bank Ltd.
11. Jammu & Kashmir Bank Ltd.
12. Karnataka Bank Ltd.
13. Karur Vysya Bank Ltd.
14. Kumbakonam City Union Bank Ltd.
15. Lakshmi Vilas Bank Ltd.
16. Lord Krishna Bank Ltd.
17. Nainital Bank Ltd.
18. Nedungadi Bank Ltd.
19. Parur Central Bank Ltd.
20. Punjab Co-operative Bank Ltd.
21. Purbanchal Bank Ltd.
22. Ratnakar Bank Ltd.
23. Sangli Bank Ltd.
24. South Indian Bank Ltd.
25. Tamilnad Mercantile Bank Ltd.
26. Traders' Bank Ltd.
27. United Industrial Bank Ltd.
28. United Western Bank Ltd.
29. Vysya Bank Ltd.

#### Non-scheduled Commercial Banks

1. Kashi Nath Seth Bank Ltd.

#### Regional Rural Banks

1. Adhiyaman Grama Bank
2. Akola Gramin Bank
3. Alakananda Gramin Bank

ANNEXURE — XI

- |  |  |
|--|--|
| 4. Alwar Bharatpur Anchalik Gramin Bank      | 53. Haryana Kshetriya Gramin Bank              |
| 5. Aligarh Gramin Bank                       | 54. Hazaribag Kshetriya Gramin Bank            |
| 6. Allahabad Kshetriya Gramin Bank           | 55. Himachal Gramin Bank                       |
| 7. Ambala Kurukshetra Gramin Bank            | 56. Howrah Gramin Bank                         |
| 8. Aravali Kshetriya Gramin Bank             | 57. Indore-Ujjain Kshetriya Gramin Bank        |
| 9. Aurangabad-Jalna Gramin Bank              | 58. Jaipur Nagaur Anchalik Gramin Bank         |
| 10. Baitarani Gramya Bank                    | 59. Jamnagar Gramin Bank                       |
| 11. Balasore Gramya Bank                     | 60. Jamuna Gramin Bank                         |
| 12. Barabanki Gramin Bank                    | 61. Jhabua-Dhar Kshetriya Gramin Bank          |
| 13. Bardhaman Gramin Bank                    | 62. Junagadh-Amreli Gramin Bank                |
| 14. Bastar Kshetriya Gramin Bank             | 63. Kakathiya Grameena Bank                    |
| 15. Begusarai Kshetriya Gramin Bank          | 64. Kalahandi Anchalik Gramya Bank             |
| 16. Bhagalpur-Banka Kshetriya Gramin Bank    | 65. Kalpatharu Grameena Bank                   |
| 17. Bhandara Gramin Bank                     | 66. Kamraz Rural Bank                          |
| 18. Bhilwara-Ajmer Kshetriya Gramin Bank     | 67. Kanakadurga Grameena Bank                  |
| 19. Bhojpur Rohtas Gramin Bank               | 68. Kanpur Kshetriya Gramin Bank               |
| 20. Bijapur Grameena Bank                    | 69. Kapurthala-Ferozepur Kshetriya Gramin Bank |
| 21. Bikaner Kshetriya Gramin Bank            | 70. Kashi Gramin Bank                          |
| 22. Bilaspur-Raipur Kshetriya Gramin Bank    | 71. Khasi Jaintia Rural Bank                   |
| 23. Bolangir Anchalik Gramya Bank            | 72. Kisan Gramin Bank                          |
| 24. Buldhana Gramin Bank                     | 73. Kolar Gramin Bank                          |
| 25. Bundelkhand Kshetriya Gramin Bank        | 74. Koraput Panchabati Gramya Bank             |
| 26. Bundi Chittorgarh Kshetriya Gramin Bank  | 75. Kosi Kshetriya Gramin Bank                 |
| 27. Cachar Gramin Bank                       | 76. Krishna Grameena Bank                      |
| 28. Cauvery Grameena Bank                    | 77. Kshetriya Gramin Bank Hoshangabad          |
| 29. Chaitanya Grameena Bank                  | 78. Kutch Gramin Bank                          |
| 30. Chambal Kshetriya Gramin Bank            | 79. Lakhimi Gaonlia Bank                       |
| 31. Chhatrasal Gramin Bank                   | 80. Langpi Dehangi Rural Bank                  |
| 32. Chhindwara Seoni Kshetriya Gramin Bank   | 81. Magadh Gramin Bank                         |
| 33. Chickmagalur-Kodagu Grameena Bank        | 82. Malaprabha Grameena Bank                   |
| 34. Chitradurga Gramin Bank                  | 83. Mallabhum Gramin Bank                      |
| 35. Cuttack Gramya Bank                      | 84. Malwa Gramin Bank                          |
| 36. Damoh-Panna-Sagar Kshetriya Gramin Bank  | 85. Mandla Balaghat Kshetriya Gramin Bank      |
| 37. Devi Patan Kshetriya Gramin Bank         | 86. Manipur Rural Bank                         |
| 38. Dewas-Shajapur Kshetriya Gramin Bank     | 87. Manjira Grameena Bank                      |
| 39. Dhenkanal Gramya Bank                    | 88. Marathwada Gramin Bank                     |
| 40. Dungarpur-Banswara Kshetriya Gramin Bank | 89. Marwar Gramin Bank                         |
| 41. Durg-Rajnandgaon Gramin Bank             | 90. Marudhar Kshetriya Gramin Bank             |
| 42. Ellaquai Dehati Bank                     | 91. Mayurakshi Gramin Bank                     |
| 43. Etah Gramin Bank                         | 92. Mewar Anchalik Gramin Bank                 |
| 44. Faridkot Bhatinda Kshetriya Gramin Bank  | 93. Mithila Kshetriya Gramin Bank              |
| 45. Faizabad Kshetriya Gramin Bank           | 94. Mizoram Rural Bank                         |
| 46. Farrukhabad Gramin Bank                  | 95. Monghyr Kshetriya Gramin Bank              |
| 47. Gaur Gramin Bank                         | 96. Murshidabad Gramin Bank                    |
| 48. Golconda Grameena Bank                   | 97. Nadia Gramin Bank                          |
| 49. Gomati Gramin Bank                       | 98. Nagaland Rural Bank                        |
| 50. Gorakhpur Kshetriya Gramin Bank          | 99. Nagarjuna Grameena Bank                    |
| 51. Gurgaon Gramin Bank                      | 100. Nainital Almora Kshetriya Gramin Bank     |
| 52. Gwalior Datia Kshetriya Gramin Bank      | 101. Nalanda Gramin Bank                       |

## ANNEXURE — XI (Contd.)

102. Netravati Grameena Bank
103. Nimar Kshetriya Gramin Bank
104. North Malabar Gramin Bank
105. Palamau Kshetriya Gramin Bank
106. Panchmahal Gramin Bank
107. Pandyan Grama Bank
108. Parvatiya Gramin Bank
109. Patliputra Gramin Bank
110. Pragjyotish Gaonlia Bank
111. Prathama Bank
112. Puri Gramya Bank
113. Raigarh Kshetriya Gramin Bank
114. Rajgarh Kshetriya Gramin Bank
115. Ranchi Kshetriya Gramin Bank
116. Rani Lakshmbai Kshetriya Gramin Bank
117. Ratlam Mandsaur Kshetriya Gramin Bank
118. Ratnagiri Sindhudurg Gramin Bank
119. Rayalaseema Grameena Bank
120. Rewa Sidhi Gramin Bank
121. Rushikulya Gramya Bank
122. Sabarkantha Gandhinagar Gramin Bank
123. Sagar Gramin Bank
124. Sahyadri Gramin Bank
125. Samastipur Kshetriya Gramin Bank
126. Sangameshwara Grameena Bank
127. Santhal Parganas Gramim Bank
128. Saryu Gramin Bank
129. Sharda Gramin Bank
130. Shekhavati Kshetriya Gramin Bank
131. Shivalik Kshetriya Gramin Bank
132. Shivpuri-Guna Kshetriya Gramin Bank
133. Siwan Kshetriya Gramin Bank
134. Solapur Gramin Bank
135. South Malabar Gramin Bank
136. Sravasthi Grameena Bank
137. Sree Anantha Grameena Bank
138. Sri Ganganagar Kshetriya Gramin Bank
139. Sri Rama Grameena Bank
140. Sri Saraswathi Grameena Bank
141. Sri Sathavahana Grameena Bank
142. Shri Venkateswara Grameena Bank
143. Sri Visakha Gramin Bank
144. Subansiri Gaonlia Bank
145. Sultanpur Kshetriya Gramin Bank
146. Surendranagar Bhavnagar Gramin Bank
147. Surguja Kshetriya Gramin Bank
148. Thane Gramin Bank
149. Thar Anchalik Gramin Bank
150. Tripura Gramin Bank

151. Tulsi Gramin Bank
152. Tungabhadra Gramin Bank
153. Uttar Banga Kshetriya Gramin Bank
154. Valsad Dangas Gramin Bank
155. Vallar Grama Bank
156. Varada Grameena Bank
157. Vidisha-Bhopal Kshetriya Gramin Bank
158. Vindhya Vasini Gramin Bank
159. Visveshvaraya Grameena Bank
160. Yavatmal Gramin Bank

### State Financial Corporations

1. Bihar State Financial Corporation
2. Delhi Financial Corporation
3. Gujarat State Financial Corporation
4. Haryana Financial Corporation
5. Himachal Pradesh Financial Corporation
6. Jammu & Kashmir State Financial Corporation
7. Karnataka State Financial Corporation
8. Kerala Financial Corporation
9. Maharashtra State Financial Corporation
10. Orissa State Financial Corporation
11. Punjab Financial Corporation
12. Rajasthan Financial Corporation
13. Tamilnadu Industrial Investment Corporation Ltd.
14. West Bengal Financial Corporation

### Other Term Lending Institutions

1. Arunachal Pradesh Industrial Development and Financial Corporation Ltd.
2. Economic Development Corporation of Goa, Daman and Diu Ltd.
3. Manipur Industrial Development Corporation Ltd.
4. Meghalaya Industrial Development Corporation Ltd.
5. Nagaland Industrial Development Corporation Ltd.
6. Pondicherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation Ltd.
7. Sikkim Industrial Development and Investment Corporation Ltd.
8. Tripura Industrial Development Corporation Ltd.

### Co-Operative Banks

#### State Co-Operative Banks (5)

1. Andhra Pradesh State Co-op. Bank Ltd.
2. Gujarat State Co-op. Bank Ltd.

**ANNEXURE — XI (Contd.)**

3. Kerala State Co-op. Bank Ltd.
4. Madhya Pradesh Rajya Sahakari Bank Maryadit
5. Maharashtra State Co-op. Bank Ltd.

**Central Co-Operative Banks (74)**

**Andhra Pradesh**

1. Viziavada Co-op. Central Bank Ltd.

**Bihar**

1. Dhanbād Central Co-op. Bank Ltd.

**Gujarat**

1. Ahmedabad Dist. Co-op. Bank Ltd.
2. Gujarat Industrial Co-op. Bank Ltd.
3. Jamnagar Dist. Co-op. Bank Ltd.
4. Kachchh Dist. Central Co-op. Bank Ltd.
5. Sabārkantha Dist. Central Co-op. Bank Ltd.

**Haryana**

1. Brayne Central Co-op. Bank Ltd.

**Himachal Pradesh**

1. Kangra Central Co-op. Bank Ltd. ✓

**Jammu & Kashmir**

1. Jammu Central Co-op. Bank Ltd.

**Karnataka**

1. Kanara Dist. Central Co-op. Bank Ltd.
2. District Co-op. Central Bank Ltd., Bidar

**Kerala**

1. Alleppey Dist. Co-op. Bank Ltd.
2. Cannanore Dist. Co-op. Central Bank Ltd.
3. Ernakulam Dist. Co-op. Bank Ltd.
4. Idukki Dist. Co-op. Bank Ltd.
5. Kottayam Dist. Co-op. Bank Ltd.
6. Malabar Co-op. Central Bank Ltd.
7. Malappuram Dist. Co-op. Bank Ltd.
8. Palghat Co-op. Central Bank Ltd.
9. Pathanamthitta Dist. Co-op. Bank Ltd.
10. Quilon Dist. Co-op. Bank Ltd.
11. Trichur Dist. Co-op. Bank Ltd.
12. Trivandrum Dist. Co-op. Bank Ltd.
13. Wynad Dist. Co-op. Bank Ltd.
14. Periyar Central Co-op. Bank Ltd.

**Madhya Pradesh**

1. Bhopal Co-op. Central Bank Ltd.
2. Jilla Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Bilaspur
3. Jilla Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Chhindwara
4. Jilla Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Jabalpur
5. Jilla Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Khandwa
6. Jilla Sahakari Kendriya Bank, Maryadit, Rewa
7. Jilla Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Ujjain
8. Raipur Co-op. Central Bank Ltd.

**Maharashtra**

1. Ahmednagar Dist. Central Co-op. Bank Ltd.
2. Akola Dist. Central Co-op. Bank Ltd.
3. Amravati Dist. Central Co-op. Bank Ltd.
4. Aurangabad Dist. Central Co-op. Bank Ltd.
5. Beed Dist. Central Co-op. Bank Ltd.
6. Bhandara Dist. Central Co-op. Bank Ltd.
7. Bombay Dist. Central Co-op. Bank Ltd.
8. Buldhana Dist. Central Co-op. Bank Ltd.
9. Chandrapur Dist. Central Co-op. Bank Ltd.
10. Dhulia Dist. Central Co-op. Bank Ltd.
11. Jalgaon Dist. Central Co-op. Bank Ltd.
12. Kolhapur Dist. Central Co-op. Bank Ltd.
13. Latur Dist. Central Co-op. Bank Ltd.
14. Nagpur Dist. Central Co-op. Bank Ltd.
15. Nanded Dist. Central Co-op. Bank Ltd.
16. Nasik Dist. Central Co-op. Bank Ltd.
17. Osmanabad Dist. Central Co-op. Bank Ltd.
18. Parbhani Dist. Central Co-op. Bank Ltd.
19. Pune Zilla Madhyavarti Sahakari Bank Maryadit
20. Raigad Dist. Central Co-op. Bank Ltd.
21. Ratnagiri Dist. Central Co-op. Bank Ltd.
22. Sangli Dist. Central Co-op. Bank Ltd.
23. Satara Dist. Central Co-op. Bank Ltd.
24. Solapur Dist. Central Co-op. Bank Ltd.
25. Sindhudurg Dist. Central Co-op. Bank Ltd.
26. Solapur Dist. Industrial Co-op. Bank Ltd.
27. Thane Dist. Central Co-op. Bank Ltd.
28. Wardha Dist. Central Co-op. Bank Ltd.
29. Yeotmal Dist. Central Co-op. Bank Ltd.

**Tamil Nadu**

1. Central Co-op. Bank Ltd., Kumbakonam



## ANNEXURE — XI (Contd.)

2. Coimbatore Central Co-op. Bank Ltd.
3. Dharampuri Central Co-op. Bank Ltd.
4. Kancheepuram Central Co-op. Bank Ltd.
5. Madras Central Co-op. Bank Ltd.
6. Madurai Dist. Central Co-op. Bank Ltd.
7. Ramnathpuram Dist. Central Co-op. Bank Ltd.
8. Salem Central Co-op. Bank Ltd.
9. Tiruchirapalli Central Co-op. Bank Ltd.
10. Vellore Central Co-op. Bank Ltd.

### West Bengal

1. Burdwan Central Co-op. Bank Ltd.

### Primary Urban-Co-operative Banks (180)

#### Andhra Pradesh

1. Andhra Pradesh Mahesh Co-op. Urban Bank Ltd
2. Bhimavaram Co-op. Urban Bank Ltd.
3. Guduwada Co-op. Urban Bank Ltd.

#### Gujarat

1. Ahmedabad Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd.
2. Ahmedabad Mercantile Co-op. Bank Ltd.
3. Ahmedabad Urban Co-op. Bank Ltd.
4. Anand Peoples Co-op. Bank Ltd.
5. Ankleshwar Nagric Sahakari Bank Ltd.
6. Anyonya Sahayakari Mandli Co-op. Bank Ltd.
7. Banaskantha Mercantile Co-op. Bank Ltd.
8. Bavla Nagrik Sahakari Bank Ltd.
9. Bharuch Nagric Sahakari Bank Ltd.
10. Citizen Co-op. Bank Ltd., Rajkot
11. Co-operative Bank of Ahmedabad Ltd.
12. Dhinoj Nagrik Sahakari Bank Ltd.
13. Dohad Urban Co-op. Bank Ltd.,
14. General Co-op. Bank Ltd., Ahmedabad
15. Himatnagar Nagrik Sahakari Bank Ltd.
16. Jhalod Urban Co-op. Bank Ltd.
17. Kalupur Commercial Co-op. Bank Ltd.
18. Karamsad Urban Co-op. Bank Ltd.
19. Kukarwada Nagrik Sahakari Bank Ltd.
20. Madhavpura Mercantile Co-op. Bank Ltd.
21. Maneckchowk Co-op. Bank Ltd.
22. Nadiad Mercantile Co-op. Bank Ltd.
23. Natpur Co-op. Bank Ltd.
24. Nawanagar Co-op. Bank Ltd.
25. Nutan Nagrik Sahakari Bank Ltd.
26. Patan Nagrik Sahakari Bank Ltd.
27. Progressive Mercantile Co-op. Bank Ltd.
28. Rajkot Nagrik Sahakari Bank Ltd.

29. Sahyog Co-op. Bank Ltd.
30. Sardar Bhiladwala Pardi People's Co-op. Bank Ltd.
31. Sardarganj Mercantile Co-op. Bank Ltd., Anand
32. Sardarganj Mercantile Co-op. Bank Ltd., Patan
33. Sarvodaya Commercial Co-op. Bank Ltd.
34. Sarvodaya Sahakari Bank Ltd.
35. Shree Lakshmi Co-op. Bank Ltd.
36. Shree Mahalaxmi Mercantile Co-op. Bank Ltd.
37. Surendranagar People's Co-op. Bank Ltd.
38. Textile Traders Co-op. Bank Ltd.
39. Uma Co-op. Bank Ltd.
40. United Mercantile Co-op. Bank Ltd., Nadiad
41. Unjha Nagrik Sahakari Bank Ltd.
42. Veraval Mercantile Co-op. Bank Ltd.
43. Veraval People's Co-op. Bank Ltd.
44. Vijay Co-op. Bank Ltd.
45. Visnagar Nagrik Sahakari Bank Ltd.

#### Jammu & Kashmir

1. Citizen's Co-op. Bank Ltd., Jammu

#### Karnataka

1. Bijapur Shri Siddheshwar Urban Co-op. Bank Ltd.
2. City Co-op. Bank Ltd., Mysore
3. Honavar Urban Co-op. Bank Ltd.
4. Karnataka Industrial Co-op. Bank Ltd.
5. Mysore Co-op. Bank Ltd.
6. Navodaya Sahakara Bank Ltd.
7. Shri Kanyakaparneswari Co-op. Bank Ltd.
8. Shri Vijay Mahantesh Co-op. Bank Ltd.
9. Tumkur Veerashaiva Co-op. Bank Ltd.

#### Kerala

1. Alwaye Urban Co-op. Bank Ltd.
2. Kasargod Co-op. Town Bank Ltd.
3. Kaduthuruthy Urban Co-op. Bank Ltd.
4. Meenachil Co-op. Bank Ltd.
5. Palghat Co-op. Urban Bank Ltd.
6. Payangadi Urban Co-op. Bank Ltd.
7. Perintalmanna Co-op. Urban Bank Ltd.
8. Tirur Urban Co-op. Bank Ltd.
9. Trichur Urban Co-op. Bank Ltd.

#### Madhya Pradesh

1. Basoda Nagrik Sahakari Bank Ltd.
2. Bhilai Nagrik Sahakari Bank Ltd.

ANNEXURE — XI (Contd.)

3. Citizen Co-op. Bank Ltd., Damoh
4. Indore Cloth Market Co-op. Bank Ltd.
5. Ujjain Paraspar Sahakari Bank Maryadit

**Maharashtra**

1. Abhyudaya Co-op. Bank Ltd.
2. Akola Urban Co-op. Bank Ltd.
3. Alen Co-op. Bank Ltd.
4. Amalner Co-op. Urban Bank Ltd.
5. Apna Sahakari Bank Ltd.
6. Ashirwad Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd.
7. Baramati Urban Co-op. Bank Ltd.
8. Chopda Peoples Urban Co-op. Bank Ltd.
9. Cosmos Co-op. Urban Bank Ltd.
10. Deccan Merchant's Co-op. Bank Ltd.
11. Ichalkaranji Janata Sahakari Bank Ltd.
12. Indira Mahila Sahakari Bank Ltd.
13. Jai Hind Co-op. Bank Ltd.
14. Jalna Peoples Co-op. Bank Ltd.
15. Janakalyan Sahakari Bank Ltd.
16. Janata Commercial Co-op. Bank Ltd., Akola
17. Janata Sahakari Bank Ltd., Nandurbar
18. Janata Sahakari Bank Ltd., Pune
19. Karad Janata Sahakari Bank Ltd.
20. Kokan Mercantile Co-op. Bank Ltd.
21. Kolhapur Maratha Co-op. Bank Ltd.
22. Kopargaon Taluka Merchant's Co-op. Bank Ltd.
23. Mahad Co-op. Urban Bank Ltd.
24. Mandvi Co-op. Bank Ltd.
25. Memon Co-op. Bank Ltd.
26. Merchants Co-op. Bank Ltd., Dhule
27. Murgharajendra Sahakari Bank Ltd.
28. Muslim Co-op. Bank Ltd.
29. Nagar Urban Co-op. Bank Ltd.
30. Nagrik Sahakari Bank Ltd., Erandol
31. Nandura Urban Co-op. Bank Ltd.
32. Nasik Merchants' Co-op. Bank Ltd.
33. New India Co-op. Bank Ltd.
34. North Kanara Goud Saraswat Brahmin Co-op. Bank Ltd.
35. Pachora People's Co-op. Bank Ltd.
36. Parsik Janata Sahakari Bank Ltd.
37. Pravara Sahakari Bank Ltd.
38. Punjab & Maharashtra Co-op. Bank Ltd.
39. Raigad Sahakari Bank Ltd.
40. Rendal Sahakari Bank Ltd.
41. Rupee Co-op. Bank Ltd.
42. Sahyadri Sahakari Bank Ltd.

43. Sangamner Merchants Co-op. Bank Ltd.
44. Sangli Janata Sahakari Bank Ltd.
45. Sangli Urban Co-op. Bank Ltd.
46. Saraswat Co-op. Bank Ltd.
47. Shamrao Vithal Co-op. Bank Ltd.
48. Shirpur Merchants' Co-op. Bank Ltd.
49. Shree Warana Sahakari Bank Ltd.
50. Shri Arihant Co-op. Bank Ltd.
51. Shri Mahalaxmi Co-op. Bank Ltd.
52. Shri Shivneri Sahakari Bank Ltd.
53. Solapur Merchants Co-op. Bank Ltd.
54. Solapur Nagari Audyogik Sahakari Bank Niyamit
55. Solapur Janata Sahakari Bank Ltd.
56. Swastik Janata Sahakari Bank Ltd.
57. Thane Janata Sahakari Bank Ltd.
58. Thane People's Co-op. Bank Ltd.
59. Vadgaon Urban Co-op. Bank Ltd.
60. Vaidyanath Co-op. Urban Bank Ltd.
61. Vita Merchant's Co-op. Bank Ltd.
62. Yashwant Sahakari Bank Ltd.

**Manipur**

1. Imphal Urban Co-op. Bank Ltd.

**Pondicherry**

1. Pondicherry Co-op. Urban Bank Ltd.

**Rajasthan**

1. Alwar Urban Co-op. Bank Ltd.

**Tamil Nadu**

1. Ammapet Urban Co-op. Bank Ltd.
2. Arkonam Co-op. Urban Bank Ltd.
3. Attur Town Co-op. Bank Ltd.
4. Bhupathiraju Co-op. Credit Bank Ltd.
5. Big Kancheepuram Co-op. Town Bank Ltd.
6. Chintadripet Co-op. Bank Ltd.
7. Coimbatore City Co-op. Bank Ltd.
8. Coonoor Co-op. Urban Bank Ltd.
9. Dharampuri Co-op. Town Bank Ltd.
10. George Town Co-op. Bank Ltd.
11. Karuntattankudi Dravidian Co-op. Urban Bank Ltd.
12. Krishnagiri Urban Co-op. Bank Ltd.
13. Madurai Urban Co-op. Bank Ltd.
14. Mannargudi Co-op. Bank Ltd.
15. Mettupalayam Co-op. Urban Bank Ltd.
16. Namakkal Co-op. Bank Ltd.
17. Nazareth Co-op. Bank Ltd.
18. Palani Co-op. Urban Bank Ltd.

**ANNEXURE — XI (Contd.)**

19. Paramkudi Co-op. Urban Bank Ltd.
20. Pattukottai Co-op. Urban Bank Ltd.
21. Pollachi Co-op. Urban Bank Ltd.
22. Purasawalkam Co-op. Bank Ltd.
23. Rasipuram Co-op. Town Bank Ltd.
24. Salem Urban Co-op. Bank Ltd.
25. Sankari Co-op. Urban Bank Ltd.
26. Shevapat Urban Co-op. Bank Ltd.
27. Sivakasi Co-op. Urban Bank Ltd.
28. Srivilliputtur Co-op. Urban Bank Ltd.
29. Subramanianagar Co-op. Urban Bank Ltd.
30. Thyagarayanagar Co-op. Bank Ltd.
31. Tinnevely Junction Co-op. Bank Ltd.
32. Tirukoilur Co-op. Urban Bank Ltd.
33. Tirumangalam Co-op. Urban Bank Ltd.

34. Tirupattur Town Co-op. Bank Ltd.
35. Tiruppur Co-op. Urban Bank Ltd.
36. Tiruchirapalli City Co-op. Bank Ltd.
37. Tiruchirapalli Hirudayapuram Co-op. Bank Ltd.
38. Tiru-vannamalai Co-op. Urban Bank Ltd.
39. Vaniyambadi Town Co-op. Bank Ltd.
40. Villupuram Co-op. Urban Bank Ltd.
41. Viravanallur Co-op. Urban Bank Ltd.

**Uttar Pradesh**

1. United Mercantile Co-op. Bank Ltd.

**West Bengal**

1. Bhatpara Naihati Co-op. Bank Ltd.

**ANNEXURE — XI (Concluded)**

**CATEGORY-WISE POSITION OF CREDIT INSTITUTIONS PARTICIPATING IN THE CORPORATION'S  
SMALL LOANS (SMALL-SCALE INDUSTRIES) GUARANTEE SCHEME, 1981 AS ON 31 DECEMBER 1987**

Category of credit institutions	Credit institutions participating in the Government's Credit Guarantee Scheme for SSI (since cancelled) as on 31 March 1981	Credit institutions participating in the Corporation's Small Loans (SSI) Guarantee Scheme, 1981 as on 31 December 1986	Credit institutions which have joined the Small Loans (SSI) Guarantee Scheme, 1981 during January - December 1987	Credit institutions which have withdrawn from the scheme/whose names have been deleted by virtue of their merger with other bank/ other reasons.	Total number of participating credit institutions as on 31 December 1987 (3 + 4 — 5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. State Bank of India and its subsidiaries	8	8	—	—	8
2. Nationalised Banks	20	20	—	—	20
3. Other scheduled Commercial Banks	44	40	—	—	40
4. Non-Scheduled Commercial Banks	2	1	—	—	1
5. Regional Rural Banks	34	149	11	—	160
6. State Financial Corporations	18	14	—	—	14
7. Other State Development Agencies	5	8	—	—	8
8. Co-operative Banks	197	236	24	1	259*
<b>Total :</b>	<b>328</b>	<b>476</b>	<b>35</b>	<b>1</b>	<b>510</b>

\* State Co-operative Banks : 5      Central Co-operative Banks : 74  
Urban Co-operative Banks : 180



## ANNEXURE — XII

STATEMENT SHOWING AMOUNT-WISE RECEIPT AND DISPOSAL OF CLAIMS DURING THE YEAR 1987 UNDER  
CREDIT GUARANTEE SCHEMES RELATING TO SMALL-SCALE INDUSTRIES

(Amount in crores of rupees)

Claims for amount	Pending as on 31 December 1986		Receipt during 1987		Disposal during the year 1987						Pending as on 31 December 1987			
					Paid	Withdrawn	Rejection	Total disposal						
	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount		
<b>(A) Corporation's Small Loans (SSI) Guarantee Scheme, 1981</b>														
1. Upto Rs.25,000/-	9,063	5.06	38,355	20.83	34,164	17.31	1,165	1.00	279	0.16	35,608	18.47	11,810	7.42
2. Above Rs.25,000/- & upto Rs. 1.00 lakh	2,986	15.89	3,507	17.75	2,337	12.32	250	1.30	62	0.34	2,649	13.96	3,844	19.68
3. Above Rs.1.00 lakh & upto upto Rs.5.00 lakhs	2,728	60.84	2,308	48.76	1,456	28.02	129	2.74	83	2.04	1,668	32.80	3,368	76.80
4. Above Rs.5.00 lakhs	895	71.88	541	44.34	142	11.44	36	3.22	103	8.27	281	22.93	1,155	93.29
Total :	15,672	153.67	44,711	131.68	38,099	69.09	1,580	8.26	527	10.81	40,206	88.16	20,177	197.19
<b>(B) Government's Credit Guarantee Scheme for SSI (since cancelled)</b>														
1. Upto Rs. 25,000/-	573	0.39	3,955	1.18	3,546	1.11	383	0.13	49	0.04	3,978	1.28	550	0.29
2. Above Rs.25,000/- and upto Rs.1.00 lakh	625	3.55	439	2.31	614	3.31	86	0.47	41	0.24	741	4.02	323	1.85
3. Above Rs.1.00 lakh & upto Rs.5.00 lakhs	648	15.87	417	9.02	570	12.43	101	2.26	52	1.27	723	15.96	342	8.91
4. Above Rs.5.00 lakhs	187	15.52	59	4.88	119	9.47	14	0.98	26	2.10	159	12.55	87	7.86
Total :	2,033	35.33	4,870	17.39	4,849	26.32	584	3.84	168	3.65	5,601	33.81	1,302	18.91

**ANNEXURE – XIII**

**STATEMENT SHOWING AGE-WISE AND AMOUNT-WISE CLASSIFICATION OF PENDING CLAIMS AS  
ON 31 DECEMBER 1987 UNDER CREDIT GUARANTEE SCHEMES RELATING TO SMALL-SCALE INDUSTRIES**

(Amount in crores of rupees)

Claims for amount	Claims pending for														Total	
	3 months		6 months		6 to 9 months		9 to 12 months		1 to 2 yrs.		2 to 3 yrs.		Over 3 yrs.		Total	
	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount
<b>(A) Corporation's Small Loans (SSI) Guarantee Scheme, 1981</b>																
Upto Rs.25,000/-	9,483	5.96	1,468	0.62	296	0.21	135	0.16	252	0.31	148	0.13	28	0.03	11,810	7.42
Above Rs. 25,000/- & upto Rs.1.00 lakh	894	4.20	700	3.60	543	2.77	543	2.71	676	3.67	330	1.85	158	0.88	3,844	19.68
Above Rs.1.00 lakh & upto Rs.3.00 lakhs	510	9.31	380	6.46	273	4.71	282	5.34	601	10.37	277	4.72	178	3.24	2,501	44.15
Above Rs.3.00 lakhs & upto Rs.5.00 lakhs	159	5.35	110	4.45	70	2.70	82	3.13	251	9.66	84	3.28	111	4.08	867	32.65
Above Rs.5.00 lakhs	150	11.72	142	11.68	94	7.82	130	10.94	329	27.00	174	13.53	136	10.60	1,155	93.29
<b>Total :</b>	<b>11,196</b>	<b>36.54</b>	<b>2,800</b>	<b>26.81</b>	<b>1,276</b>	<b>18.21</b>	<b>1,172</b>	<b>22.28</b>	<b>2,109</b>	<b>51.01</b>	<b>1,013</b>	<b>23.51</b>	<b>611</b>	<b>18.83</b>	<b>20,177</b>	<b>197.19</b>
<b>(B) Government's Credit Guarantee Scheme (since cancelled)</b>																
Upto Rs. 25,000/-	268	0.10	51	0.03	51	0.03	67	0.02	37	0.03	28	0.04	48	0.04	550	0.29
Above Rs. 25,000/- & upto Rs.1.00 lakh	33	0.23	27	0.16	48	0.26	17	0.11	56	0.36	25	0.14	117	0.59	323	1.85
Above Rs.1.00 lakh & upto Rs.3.00 lakhs	33	0.57	22	0.44	22	0.47	21	0.43	34	0.70	18	0.39	87	1.73	237	4.73
Above Rs.3.00 lakhs & upto Rs.5.00 lakhs	6	0.21	8	0.37	6	0.22	12	0.47	23	0.94	19	0.72	31	1.25	105	4.18
Above Rs.5.00 lakhs	9	0.81	5	0.39	3	0.26	7	0.59	15	1.27	13	0.95	35	3.59	87	7.86
<b>Total :</b>	<b>349</b>	<b>1.92</b>	<b>113</b>	<b>1.39</b>	<b>130</b>	<b>1.24</b>	<b>124</b>	<b>1.62</b>	<b>165</b>	<b>3.30</b>	<b>103</b>	<b>2.24</b>	<b>318</b>	<b>7.20</b>	<b>1,302</b>	<b>18.91</b>

**ANNEXURE — XIV**  
**STATEMENT SHOWING RECEIPT AND DISPOSAL OF CLAIMS UNDER CREDIT**  
**GUARANTEE SCHEMES RELATING TO SMALL-SCALE INDUSTRIES**

(Amount in crores of rupees)

Period (1)	Claims received		Claims deposited of		Of the claims deposited of						Claims pending as at the end of the year	
	No. (2)	Amount (3)	No. (4)	Amount (5)	Claims paid		Claims withdrawn		Claims rejected		No. (12)	Amount (13)
					No. (6)	Amount (7)	No. (8)	Amount (9)	No. (10)	Amount (11)		
<b>Part 'A' Corporation's Small Loans (SSI) Guarantee Scheme, 1981</b>												
1st April 1981 to 31st December 1981	1,308	1.74									1,308	1.74
1 January 1982 to 31 December 1982	4,013	9.40	3,105	2.13	1,542	0.37	1,537	1.72	26	0.04	2,216	9.01
1 January 1983 to 31 December 1983	9,325	32.58	7,328	12.93	5,184	3.43	2,066	9.00	78	0.50	4,213	28.66
1 January 1984 to 31 December 1984	18,300	53.98	9,522	13.73	7,855	9.91	1,610	2.92	57	0.90	12,991	68.91
1 January 1985 to 31 December 1985	22,048	71.99	22,791	25.08	18,264	12.06	4,116	11.61	411	1.41	12,248	115.82
1 January 1986 to 31 December 1986	33,723	104.92	30,299	67.07	19,695	24.10	10,261	40.30	343	2.67	15,672	153.67
1 January 1987 to 31 December 1987	44,711	131.68	40,206	88.16	38,099	69.09	1,580	8.26	527	10.81	20,177	197.19
<b>Total :</b>	<b>1,33,428</b>	<b>406.29</b>	<b>1,13,251</b>	<b>209.10</b>	<b>90,639</b>	<b>118.96</b>	<b>21,170</b>	<b>73.81</b>	<b>1,442</b>	<b>16.33</b>		
<b>Part 'B' Government's Credit Guarantee Scheme for Small-Scale Industries (Since cancelled)</b>												
Claims pending as on 1 April 1981 (taken over from Reserve Bank of India)	30,826	98.18										
1 April 1981 to 31 December 1981	13,911	20.56	5,447	10.69	4,225	6.54	462	1.94	760	2.21	39,290	108.05
1 January 1982 to 31 December 1982	10,447	20.53	20,445	24.43	16,936	14.62	2,309	5.57	1,200	4.24	29,292	104.15
1 January 1983 to 31 December 1983	7,878	20.08	19,469	26.78	16,394	16.28	1,734	7.23	1,341	3.27	17,701	97.45
1 January 1984 to 31 December 1984	7,921	16.50	18,262	33.53	10,214	21.32	5,496	8.33	2,552	3.88	7,360	80.42
1 January 1985 to 31 December 1985	5,259	14.07	8,597	31.96	5,325	12.92	3,085	17.24	187	1.80	4,022	62.53
1 January 1986 to 31 December 1986	4,914	14.90	6,903	42.10	3,965	14.32	2,480	22.07	458	5.71	2,033	35.33
1 January 1987 to 31 December 1987	4,870	17.39	5,601	33.81	4,849	26.32	584	3.84	168	3.65	1,302	18.91
<b>Sub Total :</b>	<b>55,200</b>	<b>124.03</b>	<b>84,724</b>	<b>203.30</b>	<b>61,908</b>	<b>112.32</b>	<b>16,150</b>	<b>66.22</b>	<b>6,666</b>	<b>24.76</b>		
<b>Total :</b>	<b>86,026</b>	<b>222.21</b>	<b>84,724</b>	<b>203.30</b>	<b>61,908</b>	<b>112.32</b>	<b>16,150</b>	<b>66.22</b>	<b>6,666</b>	<b>24.76</b>		

ANNEXURE — XV

STATEMENT INDICATING THE SCHEME-WISE BREAK-UP OF GUARANTEE FEE RECEIVED DURING THE YEAR 1981 TO 1987.

(Amount in crores of rupees)

Schemes/year	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987
1. Small Loans Guarantee Scheme, 1971	23.29	30.50	35.70	47.69	58.66	69.00	79.56
2. Small Loans (Financial Corporations) Guarantee Scheme, 1971	0.05	0.08	0.25	0.36	0.46	0.55	0.39
3. Service Co-operative Societies Guarantee Scheme, 1971	*	*	*	*	*	*	*
4. Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984	—	—	—	0.01	0.03	0.09	0.14
5. Small Loans (Small-Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981	16.87	27.09	35.22	39.85	46.51	57.61	65.08
<b>Total :</b>	<b>40.21</b>	<b>57.67</b>	<b>71.17</b>	<b>87.91</b>	<b>105.66</b>	<b>127.25</b>	<b>145.17</b>
<p>* 1981 — Rs.39,000/-            1982 — Rs.73,000/-            1983 — Rs.14,000/-            1984 — Rs.25,000/-            1985 — Rs. 5,000/-            1986 — Rs. 1,000/-            1987 — Rs. 7,000/-</p>							



ANNEXURE — XVI

INVESTMENT OF THE DEPOSIT INSURANCE FUND, CREDIT GUARANTEE FUND AND  
GENERAL FUND IN CENTRAL GOVERNMENT SECURITIES AS ON 31 DECEMBER 1987

(Amount in crores of rupees)

Sr. No.	PARTICULARS	Market Rate %	DEPOSIT INSURANCE FUND				CREDIT GUARANTEE FUND				GENERAL FUND			
			Face Value	Book Value	Market Value	% of Market Value to Book Value	Face Value	Book Value	Market Value	% of Market Value to Book Value	Face Value	Book Value	Market Value	% of Market Value to Book Value
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>A. SECURITIES WHICH HAVE DEPRECIATED</b>														
1.	5¼% Loan 2002	54.00	3.00	1.86	1.62	87.10	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	6½% Loan 2002	69.75	—	—	—	—	3.37	3.38	2.35	69.53	—	—	—	—
3.	6½% Loan 2003	68.75	—	—	—	—	2.66	2.66	1.83	68.80	—	—	—	—
4.	6½% Loan 2004	66.00	15.96	13.91	10.53	75.70	2.80	2.81	1.85	65.84	—	—	—	—
5.	6½% Loan 2005	64.00	5.95	5.98	3.81	63.71	3.00	3.02	1.92	63.58	—	—	—	—
6.	6¼% Loan 2006	65.00	14.30	14.28	9.29	65.06	2.42	2.42	1.57	64.88	2.15	2.15	1.40	65.12
7.	6¼% Loan 2007	64.00	9.41	9.36	6.02	64.32	4.00	4.01	2.56	63.84	—	—	—	—
8.	7% Loan 2009	68.00	34.63	34.66	23.55	67.95	6.00	6.01	4.08	67.89	0.05	0.05	0.03	60.00
9.	7½% Loan 2010	71.50	41.29	39.80	29.52	74.73	11.28	11.13	8.07	72.51	5.88	5.84	4.20	71.92
10.	8% Loan 2011	80.85	69.12	60.43	55.88	92.47	59.91	59.35	48.44	81.62	6.80	6.24	5.50	88.14
11.	8¼% Loan 2010	89.00	0.78	0.78	0.70	89.74	3.00	3.00	2.67	89.00	—	—	—	—
12.	9% Loan 2013	81.70	39.48	38.48	32.25	83.81	61.65	60.77	50.37	82.89	15.00	15.02	12.25	81.56
13.	9½% Loan 2008	80.00	6.02	5.92	4.82	81.42	17.17	17.04	13.74	80.63	0.65	0.65	0.52	80.00
14.	10% Loan 2014	88.80	45.76	45.62	40.64	89.08	33.05	33.06	29.35	88.78	12.00	12.02	10.66	88.69
15.	10¼% Loan 2012	96.00	13.41	13.42	12.87	95.90	26.17	26.20	25.12	95.88	10.26	10.27	9.85	95.91
16.	10½% Loan 1996	100.00	9.11	9.16	9.11	99.45	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	10½% Loan 2014	91.75	21.52	21.51	19.75	91.82	34.45	34.45	31.60	91.73	7.39	7.38	6.78	91.87
Total 'A' :			329.74	314.87	260.36	82.69	270.93	269.31	225.52	83.74	60.18	59.62	51.19	85.86
<b>(B) SECURITIES WHICH HAVE APPRECIATED</b>														
1.	6½% Loan 2001	79.35	2.50	1.72	1.98	115.12	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	6½% Loan 2002	69.75	10.20	6.84	7.11	103.95	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	6¼% Loan 1994	90.80	0.14	0.12	0.13	108.33	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	7½% Loan 2001	80.50	11.00	8.34	8.86	106.23	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	11½% Loan 2006	101.60	5.50	5.52	5.59	101.27	49.35	49.35	50.14	101.60	2.00	2.00	2.03	101.50
6.	11½% Loan 2015	101.75	26.25	26.18	26.71	102.02	60.87	60.96	61.93	101.59	11.10	11.12	11.30	101.62
Total 'B'			55.59	48.72	50.38	103.41	110.22	110.31	112.07	101.60	13.10	13.12	13.33	101.60

**ANNEXURE — XVI (Contd.)**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>(C) INVESTMENTS IN CENTRAL GOVERNMENT SECURITIES UNDER 'BUY-BACK' ARRANGEMENT @</b>														
1.	7½% Loan	2010	70.90	3.02	2.14	2.14	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	7½% Loan	2010	68.40	0.36	0.25	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	7½% Loan	2010	68.45	3.00	2.05	2.05	-	-	-	-	0.29	0.20	0.20	-
4.	8¼% Loan	2005	75.50	23.00	17.37	17.37	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	8¼% Loan	2005	75.55	1.54	1.16	1.16	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	8¼% Loan	2005	76.80	35.60	27.34	27.34	-	-	-	-	0.40	0.31	0.31	-
7.	8¼% Loan	2005	77.20	0.50	0.39	0.39	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	8¼% Loan	2005	77.30	0.53	0.41	0.41	-	-	-	-	0.14	0.11	0.11	-
9.	10¼% Loan	2012	92.45	1.16	1.07	1.07	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	10¼% Loan	2012	90.05	0.72	0.65	0.65	-	-	-	-	0.58	0.52	0.52	-
11.	10¼% Loan	2012	92.55	0.05	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	10¼% Loan	2005	93.05	4.69	4.36	4.36	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	10.80% Loan	2008	100.25	0.05	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	11% Loan	2002	100.40	3.94	3.95	3.95	-	-	-	-	1.02	1.02	1.02	-
15.	11% Loan	2002	100.55	1.20	1.21	1.21	-	-	-	-	0.88	0.49	0.49	-
16.	11.30% Loan	2004	100.10	-	-	-	-	-	-	-	0.49	0.49	0.49	-
17.	11½% Loan	2006	100.65	-	-	-	-	2.75	2.77	2.77	-	0.20	0.20	0.20
18.	11½% Loan	2006	101.20	0.37	0.38	0.38	-	-	-	-	0.08	0.09	0.09	-
19.	11½% Loan	2006	101.95	0.17	0.17	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (C)</b>			<b>79.90</b>	<b>63.00</b>	<b>63.00</b>	<b>-</b>	<b>2.75</b>	<b>2.77</b>	<b>2.77</b>	<b>-</b>	<b>4.08</b>	<b>3.82</b>	<b>3.82</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (A) + (B) + (C)</b>			<b>465.23</b>	<b>426.59</b>	<b>373.74</b>	<b>87.61</b>	<b>383.90</b>	<b>382.39</b>	<b>340.36</b>	<b>89.01</b>	<b>77.36</b>	<b>76.56</b>	<b>68.34</b>	<b>89.26</b>

Market rates are as per stock exchange quotations as on 24 December 1987 indicating the rates at which business was last done.

@ Under the 'Buy-Back' arrangement which has been extended by Reserve Bank of India to the Corporation, as a special case, the Reserve Bank sells to the Corporation Central Government Securities and purchases the same from it at the same rates at which the securities were sold, if and when the Corporation needs liquid cash to meet claims and other payments.

	Depreciation in the Market value of Investments	Existing provision
Deposit Insurance Fund	54.51	55.92
Credit Guarantee Fund,	43.79	43.79
General Fund	8.43	8.61

(Rupees in crores)

**DEPOSIT INSURANCE AND**  
**(Established under the Deposit Insurance and Credit**  
**Regulation 18**  
**Balance Sheet as at the close of**  
**I — DEPOSIT INSURANCE FUND**

Previous Year		LIABILITIES	Deposit Insurance Fund		Credit Guarantee Fund	
Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund		Rs. in lakhs	Rs. in lakhs	Rs. in lakhs	Rs. in lakhs
Rs. in lakhs	Rs. in lakhs		Rs. in lakhs	Rs. in lakhs	Rs. in lakhs	Rs. in lakhs
28,381.15	18,776.20	1. Fund (Balance at the end of the year) (refer note 2 below)	—	—		30,599.00
NIL	NIL	2. Surplus (Balance as per Revenue Account Annexed)		8,412.93		
5,580.01	4,095.22	3. Investment Reserve : Balance at the beginning of the year	5,592.13		4,095.22	
12.12	—	Add : Amount provided for during the year	—		284.05	
5,592.13	4,095.22	Balance at the end of the year		5,592.13		4,379.27
—	95.05	4. Claims intimated and claims admitted but not paid		—		1,401.09
4,000.00	17,279.35	5. Estimated liability in respect of claims intimated but not admitted		3,300.35		30,179.34
7.86		6. Insured deposits remaining unclaimed		6.90		
		7. OTHER LIABILITIES				
117.89	82.49	i) Sundry Creditors	251.40			87.69
		Amount due to Credit Guarantee Fund	26,471.64	26,723.04		
38,099.03	40,328.31	TOTAL :		44,035.35		66,646.39

- NOTES :** 1. As on the date of the Balance Sheet, in respect of claims paid to depositors, the Corporation is entitled to receive by way of subrogation an amount of Rs. 4,225.91 lakhs (previous year Rs. 1,405.50 lakhs). The recovery against the same will be accounted for, as per Corporation's past practice, in the year it is received.
2. In view of the changes in the format of Accounts as approved by Reserve Bank of India, the fund balances at the beginning of the year have been routed through Revenue Accounts.

As per our report of even date attached

DALAL & SHAH,  
 CHARTERED ACCOUNTANTS,  
 BOMBAY

DATED THE 28TH MARCH, 1988

P.D. OJHA  
 CHAIRMAN  
 I.T. VAZ  
 GENERAL MANAGER

U.K. SARMA  
 DIRECTOR  
 P.K. NANDI  
 CHIEF ACCOUNTANT

A. K. AGARWAL  
 DIRECTOR

P.A. NAIR  
 DIRECTOR





**DEPOSIT INSURANCE AND**  
**(Form**  
**Revenue Account for the year**  
**I—DEPOSIT INSURANCE FUND**

Previous Year		EXPENDITURE	Deposit Insurance Fund		Credit Guarantee Fund	
Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund		Rs. in lakhs	Rs. in lakhs	Rs. in lakhs	Rs. in lakhs
Rs. in lakhs	Rs. in lakhs		Rs. in lakhs	Rs. in lakhs	Rs. in lakhs	Rs. in lakhs
		To Claims				
1,185.63	10,868.86	(a) Paid during the year	2,842.12		20,467.45	
—	95.04	(b) Admitted but not paid	—		1,401.09	
		Add:				
		Estimated liability in respect of claims intimated but not admitted at the end of the year	3,300.35		30,179.34	
4,000.00	17,279.35					
5,185.63	28,243.25	Less:	6,142.47		52,047.88	
1,270.00	16,816.11	Estimated liability in respect of claims intimated but not admitted at the end of the previous year	4,000.00		17,279.35	
3,915.63	11,427.14	Net Claims		2,142.47		34,768.53
12.12	—	To Provision for depreciation in the value of investments		—		284.05
		To Balance of Fund at the end of the year (as per actuarial valuation)		Nil		30,599.00
Nil	Nil	To Net Surplus carried down		34,884.57		—
3,535.96	6,241.85			37,027.04		65,651.58
7,463.71	17,668.99					
		To Net Deficit brought down		—		26,471.64
—	—	To Transfer to the Credit Guarantee Fund (per contra)		26,471.64		—
3,535.96	6,241.85	To Balance carried to Balance Sheet		8,412.93		—
				34,884.57		26,471.64
3,535.96	6,241.85	<b>TOTAL</b>		<b>34,884.57</b>		<b>26,471.64</b>

- NOTES : 1. Estimated liability for claims intimated but not admitted pertaining to Credit Guarantee Fund is arrived at after deducting from such claims in respect of Small Loans (Small borrowers) Guarantee Scheme, 1971, a sum equal to 2.83% and in respect of Small Loans (Small-Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981, a sum equal to 11.95% (previous year 2.89% and 11.61% respectively) on account of usual rejections/withdrawals.
2. In cases where statement of guaranteed advances were not received from the credit institutions, the ad hoc payments received from them towards guarantee fee have been taken to the Revenue Account.
3. In respect of Small Loans (Small-Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981, provision has not been made either in respect of non-receipt of guarantee fee or in respect of ad hoc receipt of guarantee fee where the latter is considered inadequate.
4. As per past practice, provision for depreciation on investments is arrived at without taking into account the appreciation in the market value over book value of certain securities.

As per our report of even date attached.

DALAL & SHAH,  
CHARTERED ACCOUNTANTS,  
BOMBAY

DATED THE 28TH MARCH, 1988

P.D. OJHA  
CHAIRMAN

I.T. VAZ  
GENERAL MANAGER

U.K. SARMA  
DIRECTOR

P.K. NANDI  
CHIEF ACCOUNTANT

A. K. AGARWAL  
DIRECTOR

P.A. NAIR  
DIRECTOR

**CREDIT GUARANTEE CORPORATION**  
**— 'B'**  
**ended 31 December 1987**  
**AND CREDIT GUARANTEE FUND**

Previous Year		INCOME	Deposit Insurance Fund		Credit Guarantee Fund	
Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund					
Rs. in lakhs	Rs. in lakhs		Rs. in lakhs	Rs. in lakhs	Rs. in lakhs	Rs. in lakhs
*	*	By Balance of Fund at the beginning of the year	28,381.15		18,776.20	
4,299.98	—	By Deposit Insurance Premia (including interest on overdue premia)	4,798.49		—	
—	12,724.94	By Guarantee Fee (including interest on overdue guarantee fees)	—		14,517.09	
8.05	1,326.88	By Recoveries in respect of Deposit Insurance Claims settled/Guarantee Claims paid	21.75		1,799.60	
3,155.68	3,617.17	By Income from Investments (Gross)	3,825.65		4,087.05	
		(Deposit Insurance Fund Tax deducted at source Rs. 746.72 lakhs				
		Previous Year Nil				
		Credit Guarantee Fund Tax deducted at source Rs. 820.80 lakhs				
		Previous Year Nil )				
		By Net Deficit carried down	—		26,471.64	
7,463.71	17,668.99		37,027.04		65,651.58	
3,535.96	6,241.85	By Net Surplus brought down	34,884.57		—	
—	—	By Transfer from the Deposit Insurance Fund (per contra)	—		26,471.64	
3,535.96	6,241.85	<b>TOTAL</b>	<b>34,884.57</b>		<b>26,471.64</b>	

\* See note 6(ii) below.

5. The recovery on account of subrogation rights on settlement of claims under Credit Guarantee Fund, which cannot be estimated, will be accounted for, as per the Corporation's past practice, in the year, it is received.
6. (i) The Corporation has made necessary provision towards actuarial liability as worked out by an approved Actuary towards Credit Guarantee Fund and Deposit Insurance Fund for the first time on the fund balances at the close of the accounting year 1987 and consequently due to this provision, the excess of expenditure over income for the year of said funds is higher by Rs: 5,581 lakhs.
- (ii) Similarly the Corporation has also got the actuarial valuation done of both these funds at the end of 1986 and the resultant surplus of Deposit Insurance Fund includes a surplus of Rs. 28,381.15 lakhs and of Credit Guarantee Fund a net deficit of Rs. 6,241.80 lakhs relating upto 31 December 1986.

S. KRISHNAMURTHY  
DIRECTOR

S.S. NADKARNI  
DIRECTOR

K.D. NAYAR  
DIRECTOR

H.K. SAMAL  
DIRECTOR

**DEPOSIT INSURANCE AND**  
**(Established under the Deposit Insurance**  
**Regulation 18**  
**Balance Sheet as at the close of**  
**II - GENERAL**

Previous Year (Rs. in lakhs)	LIABILITIES	Rs. in lakhs	Rs. in lakhs	Rs. in lakhs
5,000.00	1. CAPITAL : Provided by the Reserve Bank of India under Section 4 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.			5,000.00
1,228.24	2. RESERVES : General Reserve :			
457.23	Balance as per the last account	1,685.47		
	Surplus transferred from the Revenue Account	256.49		
<u>1,685.47</u>			1,941.96	
860.88	Investment Reserve :			
	Balance as per last account		860.88	
—	Capital Reserve :			
	Balance as per last account	22.51	—	
22.51	ADD :			
	Amount provided on transfer of Mini Computer	—	22.51	
<u>2,568.86</u>				2,825.35
	3. CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS :			
	Other Liabilities			
162.20	i) Outstanding Expenses	139.44		
0.59	ii) Sundry Creditors	1.17		
<u>162.79</u>				140.61
<u>7,731.65</u>	TOTAL :			<u>7,965.96</u>

NOTES : 1. As per past practice, provision for depreciation on investments has been retained without taking into account the appreciation in the market value over book value of certain securities. Investments reserve amounting to Rs. 860.88 lakhs, being the difference between the book value and market value on certain securities, is in excess to the extent of Rs. 17.53 lakhs.

2. Previous years' figures have been re-grouped wherever necessary.

As per our report of even date attached.

DALAL & SHAH,  
CHARTERED ACCOUNTANTS,  
BOMBAY

DATED THE 28TH MARCH, 1988

P.D. OJHA  
CHAIRMAN

I.T. VAZ  
GENERAL MANAGER

U.K. SARMA  
DIRECTOR

P.K. NANDI  
CHIEF ACCOUNTANT

A. K. AGARWAL  
DIRECTOR

P.A. NAIR  
DIRECTOR

**CREDIT GUARANTEE CORPORATION**  
**and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)**  
**— Form 'A'**  
**business on 31 December 1987**  
**FUND**

Previous Year (Rs. in lakhs)	ASSETS	Rs. in lakhs	Rs. in lakhs	Rs. in lakhs
	<b>1. CASH :</b>			
0.13	(i) In hand		0.12	
1.75	(ii) With the Reserve Bank of India		2.93	3.05
1.88	<b>2. INVESTMENTS IN CENTRAL GOVERNMENT</b>			
7,580.90	<b>SECURITIES (AT COST)</b>			7,656.87
	Rs. in lakhs			
	(Face Value	7,735.85)		
	(Market Value	6,833.93)		
89.01	<b>3. INTEREST ACCRUED ON INVESTMENTS :</b>			89.57
	<b>4. OTHER ASSETS :</b>			
24.34	Furniture, Fixtures and Equipment Less Depreciation		29.80	
1.49	Stock of Stationery		1.04	
1.37	Prepaid Expenses		0.55	
32.66	Advances for expenses, Staff Allowances recoverable from Reserve Bank of India etc., and other deposits		29.25	
—	Income-Tax deducted at source		155.83	
59.86				216.47
7,731.65	<b>TOTAL :</b>			7,965.96

S. KRISHNAMURTHY  
DIRECTOR

S.S. NADKARNI  
DIRECTOR

K.D. NAYAR  
DIRECTOR

H.K. SAMAL  
DIRECTOR



**DEPOSIT INSURANCE AND  
Form  
Revenue Account for the year  
II-GENERAL**

Previous Year Rs. in lakhs	EXPENDITURE	Rs. in lakhs
351.29	To Salaries and Allowances and contribution to Staff Provident Fund	406.94
9.45	To Contribution to Staff Gratuity Fund	9.81
0.03	To Directors' and Committee Members' Fees	0.02
0.17	To Directors' and Committee Members' Travelling and other Allowances	0.23
28.35	To Rent, Taxes, Insurance Lighting etc.	26.85
3.43	To Establishment - Travelling and Halting Allowances	4.68
7.14	To Printing and Stationery	5.32
2.70	To Postage, Telegrams and Telephones	3.53
0.35	To Auditors' Fees	0.35
0.79	To Legal Charges	0.55
16.16	To Miscellaneous Expenses	22.24
5.12	To Depreciation	6.47
457.23	To Balance being excess of Income over expenditure for the year, transferred to General Reserve.	256.49
<b>882.21</b>	<b>TOTAL :</b>	<b>743.48</b>

NOTES : 1. Consequent on Government of India's decision permitting the Corporation to retain recoveries in respect of claims paid accounts under Government of India's Credit Guarantee Scheme for Small-Scale Industries (Old), received/to be received upto 31 March 1986, the amount of Rs. 2.83 lakhs received during the year 1987 has been accounted for in the Revenue Account of General Fund, under Section 24 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

As per our report of even date attached.

DALAL & SHAH,  
CHARTERED ACCOUNTANTS,  
BOMBAY

DATED THE 28TH MARCH, 1988

P.D. OJHA  
CHAIRMAN

I.T. VAZ  
GENERAL MANAGER

U.K. SARMA  
DIRECTOR

P.K. NANDI  
CHIEF ACCOUNTANT

A. K. AGARWAL  
DIRECTOR

P.A. NAIR  
DIRECTOR

**CREDIT GUARANTEE CORPORATION**  
**'B'**  
**ended 31 December 1987**  
**FUND**

Previous Year Rs. in lakhs	INCOME	Rs. in lakhs
707.00	By Income from Investments (Gross) (Tax deducted at source Rs. 155.83) (Previous year Rs. Nil)	740.35
175.03	By Recoveries in Claims paid Accounts in Government of India's Credit Guarantee Scheme for Small Scale Industries (Old) (See Note 1)	2.83
0.18	By Miscellaneous Receipts	0.30
<u>882.21</u>	<b>TOTAL :</b>	<u>743.48</u>

2. The Corporation is liable to pay Income-tax with effect from this year but provision for taxation is not required in view of aggregate net effect of all the Revenue Accounts of Funds (i.e. General Fund, Deposit Insurance Fund and Credit Guarantee Fund) at the close of the year shows excess of expenditure over Income.
3. Employees cost such as Salaries, Allowances, Contribution to Provident Fund and Gratuity Fund have been made in accordance with an arrangement with Reserve Bank of India since all the Staff of Corporation are on duty from Reserve Bank of India.

S. KRISHNAMURTHY  
DIRECTOR

S.S. NADKARNI  
DIRECTOR

K.D. NAYAR  
DIRECTOR

H.K. SAMAL  
DIRECTOR

## AUDITORS' REPORT

We have audited the attached Balance Sheets of (i) the Deposit Insurance Fund and Credit Guarantee Fund and (ii) the General Fund of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation as at 31st December 1987 and also the respective Revenue Accounts of each of the said Funds annexed thereto for the year ended on that date and report as under :-

We have been given all the information and explanations we have called for and have found the same to be satisfactory.

The said Balance Sheets and Revenue Accounts have been prepared and set out in the manner prescribed by the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

In our opinion and to the best of our information and explanations given to us, the Accounts read with the notes thereon give the information required by the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 in the manner so required and Balance Sheets of (i) the Deposit Insurance Fund, and Credit Guarantee Fund; and (ii) the General Fund of the Corporation are full and fair as at 31st December 1987 together with the Revenue Accounts containing all the necessary particulars which are properly drawn up so as to exhibit a true and correct view of the state of the affairs of the said Funds of the Corporation as at 31st December 1987.

DALAL & SHAH  
CHARTERED ACCOUNTANTS.

BOMBAY : 28 MARCH 1988

## AN OUTLINE OF FUNCTIONS AND ACTIVITIES

### Introduction

1.1 Insurance of bank deposits is intended to give a measure of protection to depositors, particularly the smaller depositors, from the risk of loss of their savings arising from bank failures. Such protection by infusing confidence in the minds of the public contributes to the growth of the banking system by assisting in development of banking habits and mobilisation of resources by the banks which in turn can be utilised for purposes accorded national priority. Establishment of the Deposit Insurance Corporation came in the wake of certain bank failures in the fifties and early sixties and consequent efforts to restore the confidence of the depositing public in the banking system by safeguarding their interests.

1.2 The introduction of credit guarantee schemes by the erstwhile Credit Guarantee Corporation of India Ltd. was part of a series of measures taken since the late sixties aimed at encouraging the commercial banks to cater to the credit requirements of the hitherto neglected sectors, particularly the weaker sections of society. In the wake of the social control measures initiated in 1968 followed by nationalisation of major commercial banks, the banks were required to ensure an increased flow of credit to smaller borrowers who found it difficult to have access to institutional credit. While there was an increasing awareness among banks of the need to provide more credit to such borrowers, certain practical difficulties, largely stemming from hesitation on the part of the credit institutions to venture into new and riskier fields of lending as also their inhibition, particularly at the grassroot level, to lend except against easily realisable security, were encountered. The Credit Guarantee Corporation of India Ltd. was thus visualised as an agency to provide a simple but wide-ranging system of guarantees for loans granted by credit institutions to such small and needy borrowers.

1.3 With a view to integrating the above twin and cognate functions, the two organisations were merged in July 1978 and the Corporation was renamed as the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation.

### Deposit Insurance Scheme

#### Institutional Coverage

2. The Deposit Insurance Scheme was introduced with effect from 1 January 1962. The Scheme provides automatic coverage for deposits of all commercial banks (including Regional Rural Banks) received in India. Following an amendment to the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act in 1968, similar coverage is also extended in respect of deposits with co-operative banks in such of the States as have passed the enabling legislation amending their local Co-operative Societies Acts. In terms of geographical coverage, the benefit of deposit insurance now stands extended to the entire banking system leaving uncovered only 69 co-operative banks in such of the States as have yet to pass the necessary legislation.

#### Extent of Insurance Cover

3. Under the Scheme, in the event of liquidation, reconstruction or amalgamation of an insured bank, every depositor of that bank is entitled to repayment of his deposits held by him in the same right and capacity in all branches of that bank upto a monetary ceiling of Rs. 30,000/-.

#### Insurance Premium

4. The consideration for extension of insurance coverage to banks is payment of an insurance premium at the rate of 4 paise per annum per hundred rupees. The premium is collected at half yearly intervals. The banks are required to bear this fee so that the protection of insurance is available to the depositors free of cost.

#### Payment of insurance claims

5.1 When a bank goes into liquidation, the Corporation pays to every depositor, through the liquidator, the amount of deposits upto Rs. 30,000/-. When a bank is reconstructed or amalgamated with another bank and the scheme of reconstruction or amalgamation does not entitle the depositor to get credit for the full amount of his deposit, the Corporation pays to each depositor the difference between the full amount of his deposit (or Rs.



30,000/- whichever is less) and the amount actually received by him under the scheme of reconstruction/amalgamation.

5.2 After settling a claim, the liquidator/transferee bank is required to repay to the Corporation, by virtue of such rights of subrogation, recoveries effected by it from out of the assets of the insured bank in liquidation/amalgamation.

### **Credit Guarantee Schemes —**

#### **Extension of Guarantee Support**

6.1 The erstwhile Credit Guarantee Corporation of India Ltd. was operating three credit guarantee schemes pertaining to advances to the non-industrial sector and with the transfer of this undertaking to the Deposit Insurance Corporation in July 1978, the Deposit Insurance Corporation took over those credit guarantee functions also. The three credit guarantee schemes which were formulated by the Credit Guarantee Corporation of India Ltd., and are continued by the Corporation are intended to provide the necessary incentive to financial institutions for extending need based credit to small borrowers (including farmers) engaged in non-industrial activities.

6.2 A credit guarantee scheme for small-scale industries sponsored and formulated by the Government of India and administered by the Credit Guarantee Organisation (Reserve Bank of India) had been in operation since July 1960. In pursuance of the recommendations of a Working Group constituted by the Government in 1979, it was decided to integrate all credit guarantee schemes under one organisation and accordingly this scheme was cancelled by the Government of India in March 1981 and the Corporation, in its place, introduced a new scheme with effect from 1 April 1981 covering advances to small-scale industries by commercial banks and other financial institutions. The Corporation was also entrusted with the responsibility of discharging the obligations arising out of or accruing under the cancelled scheme, upto the date of cancellation, as agent of the government. With the integration of the credit guarantee functions relating to small-scale industries, the Corporation has been providing guarantee support to a substantial amount of credit granted to the priority sectors.

6.3 The Corporation has also formulated and

offered the facility of guarantee support on a selective basis to the credit provided by certain co-operative credit institutions at the primary level for agriculture and allied activities and by urban co-operative banks to small borrowers for non-agricultural advances.

#### **Aims, description and coverage**

7. The various credit guarantee schemes in operation are as indicated below :

- (i) Small Loans Guarantee Scheme, 1971 ✓
- (ii) Small Loans (Financial Corporations) Guarantee Scheme, 1971. ✓
- (iii) Service Co-operative Societies Guarantee Scheme, 1971. ✓
- (iv) Small Loans (Small Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981. ✓
- (v) Small Loans (Co-operative Credit Societies) Guarantee Scheme, 1982.
- (vi) Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984.

7.1 The Small Loans Guarantee Scheme, 1971, which came into force on 1 April 1971, covers credit facilities granted by commercial banks including Regional Rural Banks to farmers and agriculturists, transport operators, retail traders, small business enterprises and professional and self-employed persons.

7.2 The Small Loans (Financial Corporations) Guarantee Scheme, 1971 was introduced on 1 July 1971 and it covers credit facilities granted by State Financial Corporations to transport operators and hoteliers and other business enterprises engaged in generation or distribution of electricity or other power or in the development or management of an industrial estate or a transport undertaking.

7.3 The Service Co-operative Societies Guarantee Scheme, 1971 is in force from 1 October 1971 and it covers credit facilities granted by all scheduled commercial banks and state and central co-operative banks covered by the Deposit Insurance Scheme to service co-operative societies engaged in providing to their members facilities like securing of orders, purchase of raw materials, the display and marketing of finished goods or any other similar assistance in connection with the manufacture, display, presentation and processing of goods and marketing of such goods.

7.4 The Small Loans (Small-Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981 was introduced from 1 April 1981 and it covers credit facilities granted by commercial banks, Regional Rural Banks, Co-operative Banks, State Financial Corporations and State Development Agencies to small-scale industrial units for acquisition of or repairs to or replacement of fixed assets or equipment and for working capital requirements for production and marketing of products.

7.5 The Small Loans (Co-operative Credit Societies) Guarantee Scheme, 1982 offers guarantee cover to credit facilities to be granted by select primary agricultural credit societies (PACS) and primary land development banks (PLDBs)/branches of state land development banks (SLDBs), to their farmers/agriculturists members (including share croppers and landless labourers) for agriculture and allied activities, as also for consumption and housing finance, from 1 January 1983 or from the date of joining the Scheme, whichever date is later. The agricultural and allied activities covered by the Scheme include seasonal agricultural operations, reclamation or improvement of land, construction or deepening of irrigation wells, installation of pumpsets, purchase of cattle or acquisition of other capital assets (e.g., farm houses, cattle sheds, gohar gas plants etc.) or repairs to these assets, sericulture, animal husbandry, poultry farming, dairy farming, pisciculture, housing finance, consumption finance and advances for acquisition of shares of other co-operative societies etc., as explained in the Scheme.

7.6 The Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984 offers from 1 July 1984 onwards, guarantee support to non-agricultural advances granted by primary (urban) co-operative banks to small borrowers (e.g. single transport operators, retail traders, business enterprises and professional and self-employed persons). All licensed primary (urban) co-operative banks which are recommended by the Reserve Bank of India for the purpose are eligible to participate in the Scheme from 1 July 1984 onwards.

7.7 The salient features of the various schemes are tabulated in the Annexure.

#### **Guarantee Fee**

8. The consideration for extension-of the guarantee

cover is the payment of guarantee fee by the credit institutions at the stipulated rates calculated on the balances outstanding in the guaranteed accounts and paid half-yearly in advance. The fee is to be paid regularly in order to keep the guarantee in force. The fee rate is 0.75 per cent per annum in respect of advances upto Rs. 25,000/- in the aggregate to the small borrowers by credit institutions other than Regional Rural Banks. In the case of Regional Rural Banks, however, in view of their present state of development and the special role they are required to play in regard to extending of credit to the weaker sections of community, the guarantee fee is collected at a concessional rate of 0.25 per cent per annum for a maximum period of five years from 1 July 1979 or from the date of their joining the Small Loans Guarantee Scheme, 1971, whichever is later, after which they are required to pay the fee at the normal rate prescribed under the relative Schemes.

#### **Guarantee Cover:- Key characteristics**

##### **(a) Automatic bulk coverage**

9.1 Participation in the guarantee schemes of the Corporation is voluntary and the guarantee cover is available to those credit institutions which join the schemes by entering into necessary agreements with the Corporation and paying the fee regularly at the prescribed rates. The Schemes are operated on an automatic bulk coverage basis under which all eligible advances get automatically covered right from the date of their first disbursement without requiring the credit institutions to make a prior application to the Corporation for covering each credit facility. Therefore, it is not open to participating credit institutions to exclude any eligible credit facility from the purview of guarantee cover.

##### **(b) Benefit confined to small borrowers :**

9.2 The guarantee schemes are meant to provide cover for advances granted to small borrowers, who without such support may find it difficult to have access to institutional credit. To ensure that the benefits thereof do not gravitate to more affluent persons, several stipulations have been made in the guarantee schemes, such as ceilings on sales turnover as in the case of retail traders, the value of equipment as in the case of business enterprises, and of plant and machinery in the case of small-scale industrial units. Besides, absolute limits

have been placed on the Corporation's claim liability.

**(c) Benefit generally confined to direct lendings :**

9.3 The Schemes generally provide guarantee facilities to direct lendings to the ultimate beneficiaries.

**Invocation of guarantee**

10. Three conditions have to be complied with before a claim under the guarantee can be preferred by a credit institution. These are (i) the advance under guarantee has not been repaid within one month from the date on which a notice of demand for repayment of the entire dues has been served on the borrower; (ii) the advance is treated by the credit institution as bad or doubtful of recovery and (iii) it is provided or accounted for as such in the books of the credit institution. The Corporation would expect the credit institutions to take effective steps against the borrowers, sureties and the securities wherever realisable before invoking the guarantee. The Corporation pays 50% or 60% (or 66 2/3%, 75% or

90% in the case of certain credit facilities granted upto 28 February 1983/31 December 1984) of the 'Amount in default', as the case may be, subject to certain absolute limits stipulated in the Schemes in regard to different categories of eligible activities. To smaller borrowers, relatively higher cover is provided by the Corporation. After payment of the claims, the claimant institutions are required to take effective steps to recover the dues and remit to the Corporation its share of the recoveries effected less expenses incurred for such recoveries, by virtue of the subrogation rights. Credit institutions have been delegated the power to take decisions in matters like change/release of security/surety, waiver of legal action, compromise and scaling down of dues and write-off in respect of cases falling below specified cut-off points. In all other cases, they are required to obtain the Corporation's prior approval. On invocation of a guarantee and payment of a claim in respect of a borrower, the Corporation's guarantee cover is not available for any other credit extended to that borrower till the amount due to the Corporation on account of the claim already settled has been repaid.



**ANNEXURE**

**CREDIT GUARANTEE SCHEMES - Salient Features**

Extent of guarantee cover provided and rate of guarantee fee prescribed

Schemes	Eligible participants	Category of borrowers	Guarantee fee	Guarantee cover	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
<b>(a) Small Borrowers (i) Small Loans Guarantee Scheme, 1971</b>	Commercial Banks (including Regional Rural Banks	(I) Transport Operators	½% upto credit limits or loan amount not exceeding Rs. 25,000/- and ¾% in respect of amount exceeding Rs. 25,000/-. In case of Regional Rural Banks the rate of guarantee fees is ¼% p.a. for a period of five years from 1 July 1979 or from the date of their joining the Scheme, whichever is later.	60% of the amount in default or Rs. 75,000/-, whichever is lower.	
		(II) Retail Traders, Professional and Self-employed persons and Small Business.	— do —	60% of the amount in default or Rs. 50,000/-, whichever is lower.	
		(III) Farmers & Agriculturists			
		(1) For raising crops	— do —	60% of the amount in default or Rs. 2,500/-, whichever is lower.	
		(2) For developmental activities	— do —	60% of the amount in default or Rs. 10,000/-, whichever is lower.	
		(3) For conversion of crop loans upto a maximum of 3 conversions under special circumstances	— do —	60% of the amount in default or Rs. 7,500 (i.e. Rs. 2,500 x 3), whichever is lower.	
		(4) For allied activities			
		(i) Pisciculture	— do —	60% of the amount in default or Rs. 37,500/-, whichever is lower.	
		(ii) Sericulture	— do —	60% of the amount in default or Rs. 18,750/-, whichever is lower.	
		(iii) Animal husbandry	— do —	60% of the amount in default or Rs. 15,000/-, whichever is lower.	
		(iv) Poultry farming	— do —	60% of the amount in default or Rs. 22,500/-, whichever is lower.	
		(v) Dairy farming	— do —	60% of the amount in default or Rs. 15,000/-, whichever is lower.	
		(5) For acquiring shares in any co-operative society or any other body corporate engaged in the manufacture of sugar or any other processing activity.	— do —	60% of the amount in default or Rs. 1,000/-, whichever is lower.	

Note : The total claim liability of the Corporation for various credit facilities granted to a borrower under this category is restricted to Rs. 37,500/-.



## ANNEXURE — (Concl.d.)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(ii) Small Loans (Financial Corporations) Guarantee Scheme, 1971	State Financial Corporations	(i) Transport Operators	½% upto credit limits or loan amount not exceeding Rs. 25,000/- and ¾% in respect of amount exceeding Rs. 25,000/-.	60% of the amount in default or Rs. 75,000/-, whichever is lower.
		(ii) Business Enterprises	— do —	60% of the amount in default or Rs. 50,000/-, whichever is lower.
(iii) Service Co-operative Societies Guarantee Scheme, 1971.	Scheduled Commercial banks (including Regional Rural Banks) and State and Central Co-operative banks.	Co-operative societies engaged in providing to their members facilities like securing of orders, purchase of raw materials and marketing of products.	½% upto credit limits or loan amount not exceeding Rs. 25,000/- and ¾% in respect of amount exceeding Rs. 25,000/-. In case of Regional Rural Banks, the rate of guarantee fee is ¼% per annum for a period of five years from 1 July 1979 or from the date of their joining the scheme, whichever is later.	60% of the amount in default or Rs. 30,000/-, whichever is lower.
(iv) Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984	Primary Urban Co-operative banks	(i) Transport Operators	½% upto credit limits or loan amount not exceeding Rs. 25,000/- and ¾% in respect of amount exceeding Rs. 25,000/-.	60% of the amount in default or Rs. 75,000/-, whichever is lower.
		(ii) Retail Traders	— do —	60% of the amount in default or Rs. 50,000/-, whichever is lower.
		(iii) Professional & Self employed Persons	— do —	60% of the amount in default or Rs. 50,000/-, whichever is lower.
		(IV) Business Enterprises	— do —	60% of the amount in default or Rs. 50,000/-, whichever is lower.
(b) Small-Scale Industries				
(i) Small Loans (Small-Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981.	Commercial banks (including Regional Rural Banks, Co-operative Banks, State Financial Corporations and State Development Agencies	(i) Borrowers having credit facilities (credit limit or loan amount) not exceeding Rs. 25,000/-.	½% upto credit limits or loan amount not exceeding Rs. 25,000/- and ¾% in respect of amount exceeding Rs. 25,000/-.	60% of the amount in default
		(ii) Technician entrepreneurs who are enjoying credit facilities not exceeding Rs. 2.00 lakhs.	— do —	60% of the amount in default
		For amounts in excess of Rs. 2.00 lakhs	— do —	50% of the amount in default or Rs. 10 lakhs, whichever is lower.
		(iii) Borrowers having total credit facilities exceeding Rs. 2.00 lakhs.	— do —	50% of the amount in default or Rs. 10 lakhs, whichever is less.

# निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम भारत



**1987**  
26 वीं वार्षिक रिपोर्ट

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम  
(संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित)  
प्रधान कार्यालय: छठी मंज़िल, न्यू इंडिया सेंटर,  
17, कूपरेज रोड, बम्बई 400 039

26वीं वार्षिक रिपोर्ट  
31 दिसम्बर 1987 को समाप्त हुए  
वर्ष के लिए निदेशकों की रिपोर्ट,  
तुलन-पत्र और लेखे

## विषय-सूची

	पृष्ठ संख्या
प्रेषण पत्र	iii & iv
निदेशक बोर्ड.	v
संगठन तालिका	vi
निगम के कार्यालय	vii
निगम के प्रमुख अधिकारी	viii
निगम का स्वरूप	ix
विशिष्टता-प्रगति एक दृष्टि में	x
निदेशकों की रिपोर्ट	1
निदेशकों की रिपोर्ट के विषय में अनुबंध	8
तुलन-पत्र और लेखे	42
कार्यों और गतिविधियों की रूपरेखा	52



**प्रेषण पत्र**  
(भारतीय रिज़र्व बैंक को)

निक्षेप बीमा और प्रत्यय  
गारंटी निगम

न्यू इंडिया सेंटर  
17, कूपरेज रोड,  
पोस्ट बॉक्स सं. 1076,  
बम्बई-400 039

29 मार्च 1988  
9 चैत्र 1910 (शक)

डीआइसीजीसी/31/बी.एस.-50 (बी)/88

सचिव,  
भारतीय रिज़र्व बैंक,  
सचिव विभाग,  
केंद्रीय कार्यालय,  
केंद्रीय कार्यालय भवन,  
बम्बई 400 023

प्रिय महोदय,

वर्ष 1987 के लिए तुलन-पत्र और वार्षिक रिपोर्ट

मुझे निदेशक बोर्ड ने इस पत्र के साथ निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32 (1) के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित दस्तावेज़ भेजने का निदेश दिया है :

- i) 31 दिसम्बर 1987 को समाप्त हुए वर्ष के लिए परीक्षकों की रिपोर्ट की एक हस्ताक्षरित प्रति सहित निगम के लेखे परिक्षित तुलन-पत्र और लेखे की एक हस्ताक्षरित प्रति, और
- ii) वर्ष 1987 के लिए निगम के कामकाज के संबंध में निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट की एक हस्ताक्षरित प्रति ।

भवदीय

ह./-

(कु. आई.टी. वाज़)  
महा प्रबंधक

**प्रेषण पत्र**  
(भारत सरकार को)

निक्षेप बीमा और  
प्रत्यय गारंटी निगम,  
न्यू इंडिया सेंटर,  
17, कूपरेज रोड,  
पोस्ट बॉक्स सं. 1076,  
बम्बई-400 039

29 मार्च 88  
9 चैत्र 1910 (शक)

डीआइसीजीसी/30/बीएस.50(सी)/88

सचिव,  
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय,  
आर्थिक कार्य विभाग,  
(बैंकिंग प्रभाग)  
जीवन दीप बिल्डिंग,  
संसद मार्ग,  
नयी दिल्ली-110 001

प्रिय महोदय,

**वर्ष 1987 के लिए तुलन-पत्र और वार्षिक रिपोर्ट**

मुझे निदेशक बोर्ड ने इस पत्र के साथ निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32 (1) के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक हस्ताक्षरित प्रति भेजने का निदेश दिया है:

- (i) 31 दिसम्बर 1987 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित निगम के तुलन-पत्र तथा लेखे; और
- (ii) वर्ष 1987 के लिए निगम के कामकाज के संबंध में निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट।
2. उक्त तुलन-पत्र और वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की गयी हैं। उनकी तीन अतिरिक्त प्रतियाँ इस पत्र के साथ भेजी जा रही हैं।
3. कृपया हमें उक्त अधिनियम की धारा 32 (2) के अधीन संसद के प्रत्येक सदन (अर्थात् लोक सभा और राज्य सभा) में दस्तावेज़ प्रस्तुत किये जाने की तारीख/तारीखें सूचित करें।

भवदीय

ह./-

(कु. आई.टी. वाज़)

महा प्रबंधक

## निदेशक बोर्ड

अध्यक्ष

डॉ.पी.डी. ओझा

उप-गवर्नर भारतीय रिज़र्व बैंक, बम्बई

निदेशक

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1) (ख) के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित.

यू.के. शर्मा

कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, बंबई

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1) (ग) के अधीन नामित

ए.के. अग्रवाल

संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, (बैंकिंग प्रभाग), नई दिल्ली

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1) (घ) के अधीन नामित

पी.ए. नायर

सनदी लेखाकार, बम्बई

सी.एन.एस. शास्त्री

(27 मार्च 1987 तक)

एस. कृष्णमूर्ति

प्रबंध निदेशक, जनरल इन्शोरेंस कापोरेशन ऑफ इंडिया, बंबई  
(10 अगस्त 1987 से)

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1) (ङ) के अधीन नामित

एस.एस. नाडकर्णी

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, बंबई

के.डी. नायर

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, कलकत्ता


सी.एस. कल्याणसुन्दरम्

प्रबंध निदेशक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बम्बई

एच.के. सामल

सहकर्मी, उड़ीसा

संगठन तालिका





## निगम के कार्यालय

प्रधान कार्यालय:	न्यू इंडिया सेंटर, छठी और आठवीं मंज़िल, 17 कूपरेज रोड, पोस्ट बॉक्स सं 1076, बम्बई 400 039	टेलीफोन सं.	तार 'क्रेडिटगार्ड'
	महा प्रबन्धक	202-7323	
	उप महा प्रबन्धक	202-2408	
	बोर्ड अनुभाग कम्प्यूटर प्रभाग लघु उद्योग ऋण गारंटी विभाग	202-0299	
	नॉर्वेल्टी चेम्बर्स, 4थी, 5वीं, 6ठी और 8वीं मंज़िल, ग्रान्ट रोड, पोस्ट बॉक्स सं. 4095, बम्बई 400 007		'डिपॉज़िटिस्'
	उप महा प्रबंधक	892364	
	निक्षेप बीमा विभाग	395972	
	गैर-औद्योगिक ऋण गारंटी विभाग	395973	
	लेखा विभाग	395974	
	प्रशासन विभाग	395975	
<b>शाखाएं</b>			
1) बम्बई :	इरोस बिल्डिंग, 5वीं मंज़िल, चर्चगेट, बम्बई 400 020	222321	'क्रेडिटगार्ड'
2) कलकत्ता :	8, कौन्सिल हाउस स्ट्रीट, (पहली मंज़िल), पोस्ट बॉक्स सं. 17, कलकत्ता 700 001	281154 206029	'डिसिनार'
3) मद्रास :	कुरालगम बिल्डिंग, तीसरी मंज़िल, एस्प्लेनेड, पोस्ट बॉक्स सं. 5021, मद्रास 600 108	560524 560239	'क्रेडिटगार्ड'
4) नई दिल्ली :	भारतीय रिज़र्व बैंक, 6, संसद मार्ग, पोस्ट बॉक्स सं. 123, नई दिल्ली 110 001	386487 383901	'डिपॉज़िटिस्'

# निगम के प्रमुख अधिकारी

महा प्रबन्धक

कु.आई.टी. वाज़

उप महा प्रबन्धक

श्री.एस.एस. रानडे  
श्री.बी.ए. राव

मुख्य लेखाकार

श्री.पी.के. नंदी

अन्य अधिकारी

प्रबन्धक

श्री.के.एल. खेतरपाल  
श्रीमती एम.ए. मालशे  
श्री.वी.वी. हेरवाडकर  
श्री.ओ.पी. अरोरा  
श्री.एन.के. शाहा  
श्री.पी.वी. साठे

सचिव

श्री.पी.टी. कुरियन

शाखा प्रबन्धक

बम्बई

श्री.एच.पी. रावल

मद्रास

श्री.एस. कृष्णामूर्ति

कलकत्ता

श्री.एस.पी. चटर्जी

नई दिल्ली

श्री.बी.आर. वर्मा

बैंकर

भारतीय रिज़र्व बैंक

लेखाकार

मेसर्स दलाल एण्ड शाह  
सनदी लेखाकार,  
बम्बई.

## निगम का स्वरूप

जमा बीमा निगम की स्थापना पहली जनवरी 1962 को संसद के अधिनियम द्वारा की गयी थी। इस निगम ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 14 जनवरी 1971 को शुरू की गयी सार्वजनिक सीमित कंपनी भारतीय ऋण गारंटी निगम मर्यादित को 15 जुलाई 1978 को अपने अधिकार में ले लिया जिससे कि एक ही प्रकार के परस्पर संबद्ध कार्यों अर्थात् बैंकों के छोटे जमाकर्ताओं को संरक्षण और समाज के कमज़ोर वर्गों के छोटे ऋणकर्ताओं को गारंटी रक्षा जैसे कार्यों को प्रदान करने के उद्देश्य से समन्वित किया गया। इस प्रकार दो संगठनों के एकीकरण के बाद निगम का नाम बदलकर उसे निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम रखा गया। पहली अप्रैल 1981 से वह लघु उद्योगों के संबंध में भारत सरकार की योजना रद्द होने पर लघु उद्योगों को दिये गये ऋणों के लिए भी गारंटी सहायता देना शुरू किया है।

इसका जुड़वा उद्देश्य विशेषतः छोटे जमाकर्ताओं को उनके बचत जमाशायियों को किसी बैंक के असफल होने पर बीमा प्रदान करना तथा सहभागी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा (क) छोटे ऋणकर्ताओं (जैसे कृषक, परिवहन चालक, फुटकर व्यापारी, छोटे कारोबारी उद्यमों, स्वनियोजित व्यक्ति आदि) और (ख) लघु उद्योगों को दिये गये ऋण के लिए गारंटी सहायता प्रदान करना। इस समय, योजना में भाग लेनेवाले वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) सहकारी बैंकों, राज्य वित्तीय निगमों तथा अन्य सावधि ऋण देनेवाली संस्थाओं द्वारा दिये जानेवाले ऋण के लिए गारंटी सहायता दी

जाती है। यह गारंटी सहायता मुख्यतः छोटे तथा कमज़ोर ऋणकर्ताओं और पिछड़े हुए क्षेत्रों में स्थापित लघु उद्योग युनिटों के लिए है।

जमा बीमा और ऋण गारंटी के लिए निगम ने अलग-अलग निधियाँ बनायी है। इन निधियों में प्राप्त होनेवाले प्रीमियम तथा गारंटी शुल्क की राशियाँ जमा की जाती है और इनका उपयोग सिर्फ संबंधित दावों के निपटान के लिए ही किया जाता है। इसके अलावा एक और निधि अर्थात् सामान्य निधि भी बनायी गयी है जिसमें निगम की पूँजी रखी गयी है, तथा इस निधि से होनेवाली निवेश आय से स्टाफ स्थापना और प्रशासनिक संबंधी व्यय किये जाते हैं।

निगम की अधिकृत पूँजी 50 करोड़ रुपये है जो पूर्णतः भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्गमित और अभिदत्त है।

निगम के प्रबंध का भार निदेशक बोर्ड को दिया गया है जिसमें नौ सदस्य होते हैं। इनमें से भारतीय रिज़र्व बैंक का एक उप गवर्नर बोर्ड का अध्यक्ष होता है। एक कार्यपालक समिति और एक दावा समिति बोर्ड की सहायता करती है। निगम का महा प्रबंधक इसका मुख्य कार्यपालक होता है।

निगम का प्रधान कार्यालय बम्बई में है। इसकी चार शाखाएं बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा नई दिल्ली में हैं।

## विशिष्टता- प्रगति एक दृष्टि में

(राशि करोड़ रूपयों में)

वर्ष के अंत तक (1)	1962 (2)	1972 (3)	1978 (4)	1982 (5)	1984 (6)	1986 (7)	1987 (8)
<b>1. पूँजी</b>	1	1.5	10	15	50	50	50
<b>2. निक्षेप बीमा</b>							
i) निक्षेप बीमा निधि	1	25	76	154	219	284	@
ii) बीमाकृत बैंक	276	476	1,021	1,683	1,805	1,859	1,898
iii) निर्धारणीय जमा राशियाँ	1,895	7,458	21,660	42,360	61,880	86,214	1,03,044
iv) बीमाकृत जमा राशियाँ	448	4,656	15,369	31,774	46,340	62,878	75,511
v) खातें (लाखों में)	77	341	931	1,598	2,026	2,360	2,569
vi) पूर्णतः रक्षित खातें (लाखों में)	60	328	916	1,581	2,000	2,320	2,518
vii) अदा किये गये दावे	—	1	2	3	3	15	44
<b>3 ऋण गारंटी</b>							
i) ऋण गारंटी निधि	—	—	27	89	118	189	@
ii) गारंटीकृत अग्रिम							
क) छोटे उधारकर्ताओं	—	208	1,715	4,840	7,104	10,446	11,116
ख) लघु उद्योग	—	—	—	3,822	4,891	7,498	7,738
iii) प्राप्त दावे (वर्ष के लिए)							
क) छोटे उधारकर्ताओं	—	—	9	25	62	141	255
ख) लघु उद्योग	—	—	—	30	71	120	149
iv) निपटान किये गये दावे (वर्ष के लिए)							
क) छोटे उधारकर्ताओं	—	—	3	15	32	176	225
ख) लघु उद्योग	—	—	—	27	47	109	122

@ निगम की देयता के बीमांकिक मूल्यांकन किये जाने के कारण तुलन-पत्र तथा आय-व्यय लेखा के फॉर्म में संशोधन करने के उद्देश्य से ऋण गारंटी निधि का शुद्ध घाटा 31 दिसम्बर 1987 तक 264.72 करोड़ रूपये निकलता है जिसे निक्षेप बीमा में उस तारीख तक उपलब्ध 348.85 करोड़ रूपयों के अधिशेष के सामने समायोजन किया।



## 31 दिसम्बर 1987 को समाप्त वर्ष के लिए निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के कामकाज की रिपोर्ट

निदेशक बोर्ड, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी अधिनियम, 1961 की धारा 32 (1) के अनुसार इसके साथ 31 दिसम्बर 1987 को समाप्त वर्ष के लिए निगम की 26वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

### आर्थिक झाँकी

2. वर्ष 1987 में देश में अपूर्व सूखा पड़ा जिसमें 15 राज्यों के 269 जिले और 6 संघशासित राज्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए। कुछ क्षेत्रों में तीन या चार वर्षों से भी अधिक सूखे की स्थिति बने रहने के कारण वे विशेष रूप से बुरी तरह प्रभावित हुए। एक मुश्त व्यापक नीतियों के सावधानीपूर्वक आयोजन तथा उनके विस्तृत रूप से कार्यान्वयन से सूखे का प्रभाव कम हुआ तथा ऐसी परिस्थितियों से उत्पन्न आर्थिक अस्त-व्यस्तता को नियंत्रित किया। तथापि सामने आयी कमज़ोरियों में से एक यह थी कि आज भी भारतीय कृषि प्राकृतिक प्रभावों के अधीन है तथा भविष्य में कृषि विकास योजनाओं को इन त्रुटियों का मुकाबला करने की दिशा में निर्देशित करना होगा। तथापि अवधि के दौरान एक उल्लेखनीय पक्ष देखा गया वह था कृषि उत्पादन में हुई तीव्र गिरावट के बावजूद औद्योगिक उत्थान-शक्ति। जिसका श्रेय कई घटकों जैसे स्वस्थ बुनियाद आवश्यक तत्वों के निर्माण तथा विभिन्न नीति-गत सूत्रपात तथा दीर्घावधि संरचनात्मक बदलाव-है, जो औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। फिर भी खराब कृषि मौसम से अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा। राष्ट्रीय आय में वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 में हुई क्रमशः 4.7 प्रतिशत और 3.8 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष 1987 के दौरान राष्ट्रीय आय में केवल 2 प्रतिशत तक की वृद्धि का अनुमान है। चूंकि कृषि, प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लिए उधारों का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो निगम द्वारा दी गयी गारंटी रक्षा के अंतर्गत आता है। इस बात की आंशका है कि गतिरोध निगम के कामकाज पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डाल सकता है। घटे हुए कृषि उत्पादन और उसके परिणामस्वरूप उधारकर्ताओं की चुनौती क्षमता में कमी जिसके कारण दावों की अत्याधिक मांग के साथ ही साथ अतिदेय तथा अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों में वृद्धि हुई है।

### परिणाम - समीक्षा

3.1 संदर्भाधीन वर्ष के दौरान निगम, बैंकों के छोटे जमाकर्ताओं को बीमा संरक्षण प्रदान करने और छोटे उधारकर्ताओं की कतिपय श्रणियों विशेषकर समाज के कमज़ोर वर्गों से संबंधितों को प्रदान की गयी ऋण सुविधाओं के लिए गारंटी सहायता प्रदान करने के अपने द्वि-उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सतत प्रयत्नशील है। जमा बीमा-योजना के अतिरिक्त निगम 5 ऋण गारंटी योजनायें - 4 छोटे उधारकर्ताओं

के लिए (वाणिज्य बैंकों जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक और राज्य वित्तीय निगम शामिल हैं, द्वारा वित्तपोषित) जिसमें कार्यकलापों का व्यापक क्षेत्र समाविष्ट है तथा एक लघु उद्योग युक्तियों के लिए (उपरोक्त सभी ऋण संस्थाओं द्वारा वित्तपोषित है) चला रहा है।

3.2 वर्ष के दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधि यह थी विशेषज्ञ समिति, जिसका संगठन निक्षेप बीमा योजना और ऋण गारंटी योजनाओं के कार्यकलापों की व्यापक समीक्षा करना था, की रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना। समिति द्वारा की गयी सिफारिशें विचाराधीन हैं।

3.3 निगम ने वर्ष 1961 में केवल 1500 रुपये की जमाराशियों पर बीमा रक्षा जिसमें 392 करोड़ रुपयों की बीमाकृत जमाराशियोंवाले केवल 55 लाख खातों का समावेश था, से शुरुआत की और कुछ वर्षों में प्रभावकारी वृद्धि कर दिखायी। निगम ने उत्तरोत्तर बीमा रक्षा को 30,00 रुपये तक बढ़ा दिया है जिसमें अब 2,518 लाख खाते जो कुल जमा खातों का 98 प्रतिशत है, को रक्षा प्रदान करते हैं। 75,511 करोड़ रुपये की बीमाकृत जमाराशियाँ बैंकों में कुल आँकी गयी जमाराशियों का 73.3 प्रतिशत है। संदर्भाधीन वर्ष के दौरान, बीमाकृत बैंकों की संख्या 1859 से बढ़कर 1898 हो गयी और बीमाकृत जमाराशियाँ 20.1 प्रतिशत बढ़कर 75,511 करोड़ रुपये हो गयी। संपूर्ण संरक्षित खातों की संख्या 8.5 प्रतिशत हो गयी है।

3.4 सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्राथमिकता वाले क्षेत्र के अग्रिम जून 1969 के अंत में 441 करोड़ रुपये (15 प्रतिशत) के स्तर से बढ़कर जून 1987 के अंत तक कुल 25,406 करोड़ रुपये (45 प्रतिशत) हो गये। प्राथमिकता वाले क्षेत्र के भीतर, कृषि प्रयोजनार्थ अग्रिम (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों) कुल 10,645 करोड़ रुपये हैं जो संपूर्ण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों का 42 प्रतिशत अथवा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के 56,668 करोड़ रुपये के कुल अग्रिमों का 19 प्रतिशत है। लघु उद्योगों के अग्रिम 9,298 करोड़ रुपये हैं जो 37 प्रतिशत है। अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को अग्रिम जिसमें छोटे परिवहन चालक, व्यावसायिक तथा स्व-नियोजित व्यक्ति, छोटे व्यापार तथा फुटकर व्यवसाय शामिल हैं, बढ़कर 5464 करोड़ रुपये हो गये जो जून 1987 के अंत तक प्राथमिकता वाले क्षेत्र के कुल अग्रिमों का 22 प्रतिशत है। यद्यपि, कोई भी सीधा संबंध स्थापित करना मुश्किल है, अतः यह कहा जा सकता है कि, निगम ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अधिकाधिक ऋण देने की सुनिश्चितता की आवश्यकता को अपेक्षित सहायता प्रदान करने की व्यवस्था कर एक विशिष्ट मुख्य भूमिका निभायी है।

3.5 जहाँ तक ऋण गारंटी योजनाओं का संबंध है, छोटे उधारकर्ताओं (अर्थात् किसानों तथा खेतिहारों, परिवहन, चालकों, फुटकर व्यापारी, व्यावसायिक तथा स्व-नियोजित व्यक्तियों, कारोबारी उद्यमों और समाज के अन्य कमज़ोर वर्गों को दिये गये कुल गारंटीकृत अग्रिम जो जून 1972 के अंत तक केवल 208.39 करोड़ रुपये थे उनमें जून 1987 के अंत तक 11,116.22 करोड़ रुपये की उल्लेखनीय वृद्धि हुई तथा जो पिछले वर्ष के आंकड़ों में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है तथा 1972 से अब तक हुई त्रेपन से अधिक वृद्धि दर्शाता है। इसी प्रकार लघु उद्योगों को दिये गये गारंटीकृत अग्रिमों में मार्च 1981 के अंत के 3,716.43 करोड़ रुपये से बढ़कर जून 1987 के अंत तक 7,738.03 करोड़ रुपये की विशिष्ट वृद्धि दर्शाता है।

3.6 वर्ष के दौरान निगम ने 404.34 करोड़ रुपये के 11,20,802 अपूर्व दावे प्राप्त किये जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष 260.76 करोड़ रुपये के 6,69,002 दावे प्राप्त हुए थे। केवल निगम की योजनाओं के अंतर्गत 386.95 करोड़ रुपये के 11,15,932 दावे प्राप्त हुए हैं, इनमें से निगम की पांच योजनाएं और भारत सरकार की ओर से उनकी लघु उद्योगों की (अब समाप्त) योजना दोनों के अंतर्गत 347.11 करोड़ रुपये के 9,74,064 दावों का निपटान किया गया जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 21.6 प्रतिशत की वृद्धि, राशि में तथा 4.30 प्रतिशत की वृद्धि, संख्या में परिलक्षित की गयी। दावों के निपटान की पिछले वर्ष प्राप्त 56,774 की दर की तुलना में सर्वाधिक 81,172 प्रति माह रही।

3.7 निगम को प्रस्तुत किये गये गारंटी दावों में औद्योगिक तथा गैर-औद्योगिक दोनों योजनाओं के अंतर्गत वृद्धि की तीव्र प्रवृत्ति परिलक्षित की गयी। जो देश के वसूली में सामान्य हास का सूचक है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अतिदेयों का, कुल बकाया अग्रिमों में प्रतिशत दिसम्बर 1985 के अंत के 14.5 प्रतिशत से बढ़कर दिसम्बर 1986 के अंत तक 15.3 प्रतिशत हो गया। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में दिये गये ऋणों के अंतर्गत अतिदेय, इन क्षेत्रों के बकाया ऋणों का 20.1 प्रतिशत है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों के संबंध में मांग वसूली का प्रतिशत जून 1986 के अंत में (नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) 56.2 प्रतिशत था जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष यह 54.2 प्रतिशत था। कृषि क्षेत्र में बहुत कम वसूली के लिये जिम्मेदार विभिन्न कारणों में क्षेत्रवार ऋण वितरण का अनुपालन न किया जाना, उत्पादित निवेश और उत्पादन के ऋण के उपयोग को सुनिश्चित करने में असफलता, बैंकों द्वारा अपर्याप्त मूल्यांकन, पर्यवेक्षण तथा अनुवर्ती कार्रवाई और सरकारी तंत्र द्वारा आवश्यक संबद्धता तथा साथ ही अनुप्रवर्तन और वसूली में समुचित सहायता का न दिया जाना शामिल है। ऋणों को माफ करना तथा बट्टे खाते डालने संबंधी घोषणाओं ने भी वसूली की स्थिति को खराब कर दिया है और स्थिति को और भी बिगाड़ा है।

3.8 देश में औद्योगिक रूग्णता की बढ़ती हुई समस्या, विशेषतः लघु उद्योग क्षेत्र में, भी एक गंभीर चिन्ता का विषय न केवल निगम के लिए है बल्कि समस्त अर्थव्यवस्था के लिए भी है। 31 दिसम्बर 1986 तक बैंकिंग क्षेत्र द्वारा वित्तपोषित देश भर में पहचाने गये लघु उद्योग युनिटों की कुल संख्या पिछले वर्ष के 1,17,783 से बढ़कर 1,45,776 हो गयी। इन युनिटों पर बकाया कुल ऋण 1,306.10 करोड़ रुपये है (पिछले वर्ष यह राशि 1,070.67 करोड़ रुपये थी) जो लघु उद्योग क्षेत्र को दिये गये 7,497.46 करोड़ रुपये के कुल गारंटीकृत अग्रिमों का 17.4 प्रतिशत है। रूग्णता के कारण विविध हैं और कई हैं और सभी मोर्चों पर उनका निराकरण करना है। ऋण की दृष्टि से असमुचितता और वित्तीय सहायता प्रदान करने में विलम्ब, मीयादी ऋण देनेवाली संस्थाओं और बैंकिंग क्षेत्र द्वारा ऋण वितरण में समन्वयता का अभाव और बैंकों द्वारा समय से रूग्णता के लक्षणों की पहचान में और युनिटों के पुर्नवास के लिए शीघ्र उपायों के करने में असफलता भी इनमें सहायक घटक हैं। लघु उद्योग युनिटों की अर्थव्यवस्था में महत्ता के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक ने विभिन्न मार्गदर्शी सिद्धान्त समय-समय पर बैंकों को जारी किये। जिसमें विभिन्न उधार खाते की श्रेणियों के लिए स्वास्थ्य प्रणाली बनायी गयी है ताकि बैंक ऋणों के कार्य की गुणवत्ता को संभाला जा सके, समुचित उपायों की कार्रवाई प्रारंभ की जा सके। व्यवहार्यता मापदण्डों, आरंभिक स्तर पर रूग्णता के लक्षणों की पहचान, पुर्नवास के लिए निरूपण तथा कार्यान्वयन के संबंध में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में उचित समन्वय की आवश्यकता और संभावित क्षमतायोग्य रूग्ण उद्योग युनिटों को समुचित राहत और रियायतों के लिए दिये जानेवाले महत्व के विशेष संदर्भ में लघु उद्योग क्षेत्र में रूग्ण युनिटों के पुर्नवास की आवश्यकता है। इन सभी उपायों से स्थिति में सुधार की और निगम को अशोध्य ऋणों तथा किये गये दावों की मात्रा में कटौती द्वारा अप्रत्यक्ष रूप में लाभ पहुंचने की अपेक्षा है।


### जमा बीमा संबंधी कार्य

4.1 वर्ष के दौरान निगम की बीमाकृत बैंकों की संख्या जिसमें 83 वाणिज्य बैंक, 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा 1,619 सहकारी बैंक शामिल हैं जो 1859 से बढ़कर 1898 हो गयी। इस योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी वाणिज्य बैंक शामिल हैं। सोलह राज्यों तथा तीन संघशासित क्षेत्रों के सहकारी बैंकों को अब तक योजना क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया है। (अनुबंध I तथा II) मणिपुर में राज्य सहकारी समितियाँ अधिनियम में संशोधन को विधान द्वारा पारित किये जाने के साथ उस राज्य में योजना की व्याप्ति विचाराधीन है। उसी प्रकार सिक्कीम राज्य तक 15 दिसम्बर 1987 से बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की व्याप्ति के साथ सिक्कीम राज्य में निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 को लागू करने का मामला विचाराधीन है। देश में बीमाकृत किये जानेवाले बैंकों की संख्या केवल 69 है।

## बीमाकृत खातों की संख्या

(प्रत्येक वर्ष के अंतिम शुक्रवार को)  
(लाख में)


तालिका I



## बीमाकृत जमा राशियों की रकम

(प्रत्येक वर्ष के अंतिम शुक्रवार को)  
(करोड़ रुपये)

तालिका II






तालिका III

### वाणिज्य तथा सहकारी बैंकों में बीमा रक्षा (जून 1987 के अंतिम शुक्रवार को)

खातों की कुल संख्या  
2568.51  
लाख


निर्धारणीय जमा राशियों की कुल रकम  
1,03,044.16  
करोड़ रुपये

अंशतः रक्षित खाते (2%)



अंशतः रक्षित खातों में जमा राशियाँ  
(42.4%)

पूर्णतः रक्षित खातों में जमा राशियाँ  
(57.6%)






## छोटे उधारकर्ताओं से संबंधित गारंटी योजनाओं के संबंधमें गारंटीकृत अग्रिमों में वृद्धि

(जून के अंत तक)

(करोड़ रुपये)


तालिका IV





## छोटे उधारकर्ताओं से संबंधित गारंटी योजनाओं के संबंध में गारंटीकृत अग्रिमों के क्षेत्र-वार विश्लेषण

(जून 1987 के अंत की स्थिति)

तालिका V



## छोटे उधारकर्ताओं से संबंधित गारंटी योजनाओं के संबंध में दावों की प्राप्ति और निपटान



4.2 बीमा प्रीमियम की दर 0.04 प्रतिशत प्रति वर्ष पर अपरवर्तित बनी रही। प्रति बैंक प्रति जमाकर्ता (उसी हक तथा हैसियत में) बीमा रक्षा की अधिकतम राशि 30,000/- रुपये पर बनी रही।

4.3 पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 1987 के दौरान जमा किये गये बीमा प्रीमियम का श्रेणीवार विवरण नीचे दिया गया है:-

बैंकों के श्रेणी	(राशि करोड़ रुपये में वर्ष के दौरान प्राप्त बीमा प्रीमियम)	
	1987	1986
1. वाणिज्य बैंक	43.13	38.85
2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	0.71	0.53
3. सहकारी बैंक	4.15	3.62
	<u>47.99</u>	<u>43.00</u>

4.4 वर्ष 1987 तथा 1986 के अंत तक निगम द्वारा बीमाकृत जमाराशियाँ तथा जमाकर्ताओं को दी गई रक्षा की सीमा को नीचे दी गयी तालिका में प्रस्तुत किया गया है:-

(अनुबंध III और IV में विस्तृत जानकारी दी गयी है)।

	(राशि करोड़ रुपये में)	
	1987	1988
1. निर्धारणिय जमाराशियाँ	1,03,044	86,214
2. बीमाकृत जमाराशियाँ	75,511	62,878
3. 2 से 1 का प्रतिशत	73.3	72.9
4. खातों की कुल संख्या (लाखों में)	2,569	2,360
5. पूर्ण संरक्षित खाते (लाखों में)	2,518	2,320
6. 5 से 4 का प्रतिशत	98.0	98.0

4.5 पूर्ण संरक्षित खातों और आंशिक संरक्षित खातों में निक्षेपों की राशि कुल निर्धारणिय जमाराशियों का क्रमशः 57.6 प्रतिशत और 42.4 प्रतिशत है।

4.6 आलोच्य वर्ष के दौरान निगम ने दो वाणिज्य बैंक जिन्हें वर्ष 1985 में राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ समामेलित किया गया था, के संबंध में 28.33 करोड़ रुपये की कुल राशि के दावों का निपटान किया। इसके बाद, हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक लिमिटेड, जिसका 19 दिसम्बर 1986 को पंजाब नेशनल बैंक के साथ समामेलन किया गया था, की ओर से पंजाब नेशनल बैंक द्वारा दी गयी दावों की सूचना के संबंध में उसके खातों में 26 करोड़ रुपये का प्रावधान

किया गया। उपर्युक्त के अलावा, परिसमापनाधीन सहकारी बैंक से संबंधित दावों का परिसमापक को 9.61 लाख रुपये का भुगतान कर निपटान किया था तथा अन्य सहकारी बैंक के संबंध में भी उसके खाते में 12.35 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था।

4.7 31 दिसम्बर 1987 तक 17 वाणिज्य बैंकों से संबंधित 41.08 करोड़ रुपये की कुल राशि के दावों का भुगतान किया गया। चार वाणिज्य बैंकों से संबंधित 0.88 करोड़ रुपये की कुल चुकौती तथा बट्टे खातों में डाली गयी राशि को ध्यान में रखते हुए बाकी बैंकों के संबंध में कुल शेष 40.14 करोड़ रुपये था। सहकारी बैंकों के संबंध में 31 दिसम्बर 1987 तक 17 सहकारी बैंकों से संबंधित अदा-किये गये कुल दावों की राशि 2.61 करोड़ रुपये है। वर्ष के अंत तक कुल 0.51 करोड़ की चुकौतियाँ (वर्ष के दौरान प्राप्त 0.20 करोड़ रुपये को शामिल करके) और 0.02 करोड़ रुपये के पुरांकित किये गये प्रावधान को ध्यान में लेने के बाद निगम को देय शेष राशि 2.12 करोड़ रुपये है। दिसम्बर 1987 के अंत तक भुगतान किये गये दावे, प्राप्त चुकौतियाँ आदि का विस्तृत विवरण अनुबंध V में दिया गया है।

### ऋण गारंटी संबंधी कार्य

#### अ. छोटे उधारकर्ताओं के लिए ऋण गारंटी योजनाएँ

5.1 निगम छोटे उधारकर्ताओं के लिए चार योजनाएँ चला रहा है। इनमें से तीन योजनाएँ 1971 में शुरू की गयी थीं और जो छोटे उधारकर्ताओं की कतिपय श्रेणियों तथा सेवा सहकारी समितियों को वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों तथा राज्य वित्तीय निगमों द्वारा कृषि और अन्य प्रयोजनों के लिए प्रदान किए गये अग्रिमों को रक्षा प्रदान करती है। 1 जुलाई 1984 से लागू की गयी चौथी योजना शहरी सहकारी बैंकों (जिनको बीमाकृत बैंकों के रूप में भी पंजीकृत किया गया है) द्वारा किये गये कृष्येतर प्रयोजनों के लिए अग्रिमों को रक्षा प्रदान करती है।

#### (क) लघु ऋण गारंटी योजना, 1971

5.2 31 दिसम्बर 1987 तक इस योजना में 265 ऋण संस्थाएँ भाग ले रही थीं जिनमें 71 वाणिज्य बैंक और 194 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल थे। (अनुबंध IV)। लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 छोटे उधारकर्ताओं को दिये गये कुल गारंटीकृत अग्रिमों के अधिकांश भाग के लिए लगातार उत्तरदायी रहा जो 98.9 प्रतिशत था। गारंटीकृत अग्रिमों की वर्ष-वार स्थिति साथ ही ऐसे अग्रिमों का क्षेत्र-वार विश्लेषण अनुबंध VII में दिया गया है। कुल गारंटीकृत अग्रिम जो जून 1972 के अंत तक 205.71 करोड़ रुपये तक रहा, उसमें जून 1987 के अंत तक 10,998.22 करोड़ रुपये की



असाधारण वृद्धि परिलक्षित हुई। प्राप्त किये दावों की तुलना में गारंटीकृत अग्रिमों का क्षेत्र-वार विवरण नीचे दिया गया है:

उधारकर्ताओं की श्रेणी	गारंटीकृत अग्रिम (प्रतिशत)	प्राप्त दावे (प्रतिशत)
कृषक तथा खेतिहर	58.4	53.1
परिवहन चालक	15.1	16.8
फुटकर व्यापारी	11.5	16.6
व्यावसायिक तथा स्व-नियोजित व्यक्ति	6.4	6.2
कारोबारी उद्यमों	6.3	3.9
विभेदक ब्याज दर योजना के अंतर्गत उधारकर्ताओं की अवशिष्ट श्रेणी	2.3	3.4
	100.0	100.0

5.3 वर्ष 1986 में 140.58 करोड़ रुपयों के 6,30,303 दावों की प्राप्ति की तुलना में वर्ष 1987 के दौरान 254.98 करोड़ रुपये के 10,71,178 दावों की अपूर्व संख्या में प्राप्ति हुई जो संख्या में 69.9 प्रतिशत और राशि में 81.4 प्रतिशत वृद्धि का द्योतक है। दिसंबर 1987 के अंत तक प्राप्त दावों की कुल राशि 681.84 करोड़ रुपये है जो 10,998.22 करोड़ रुपये के कुल गारंटीकृत अग्रिमों का 6.2 प्रतिशत है। प्राप्त किये गये दावों का क्षेत्र-वार विवरण नीचे अनुबंध VIII में दिया गया है।

5.4 वर्ष के दौरान निगम ने 224.90 करोड़ रुपयों के 9,28,210 दावों की रिकार्ड संख्या का निपटान किया जो पिछले वर्ष की तुलना में 44.1 प्रतिशत संख्या में और 27.7 प्रतिशत राशि में हुई वृद्धि दर्शाते हैं। वर्ष 1986 के दौरान औसतन प्रति माह 53,668 दावों के निपटान की तुलना में निगम ने 1987 के दौरान प्रति माह औसतन 77,351 दावों की जाँच की और उनका निपटान किया। इस प्रकार दावों के प्रस्तुत किये जाने की तिथि से 10 से 12 सप्ताहों के भीतर ऐसे दावों का निपटान किया।

5.5 प्रतिस्थापन अधिकारों के आधार पर वर्ष 1987 के दौरान 15.46 करोड़ रुपये की कुल वसूली प्राप्त की गयी। योजना की शुरुआत के बाद से वसूली की कुल राशि 44.42 करोड़ रुपये थी, जो अदा किये गये दावों की कुल राशि का 11.4 प्रतिशत है।

#### (ख) लघु ऋण (वित्तीय निगम) गारंटी योजना, 1971

6.1 योजना में भाग लेनेवाली ऋण संस्थाओं की संख्या 20 पर अपरिवर्तित बनी रहीं (अनुबंध VI)। जून 1987 के अंत तक योजना द्वारा रक्षा प्रदान किये गये कुल गारंटीकृत अग्रिम बढ़कर 92.28

करोड़ रुपये हो गये (अनुबंध VII)। अग्रिमों का अधिकांश हिस्सा (99.7 प्रतिशत) परिवहन चालकों को दिये गये अग्रिमों का रहा।

6.2 वर्ष के दौरान 10 वित्तीय निगमों के संबंध में जो नियमित रूप से गारंटी शुल्क विवरण को प्रस्तुत करते हैं। निगम ने 0.29 करोड़ रुपये के 43 दावे प्राप्त किये। वर्ष 1987 तक योजना के अधीन प्राप्त दावों की कुल राशि 1.45 करोड़ रुपये है जो 92.28 करोड़ रुपये के कुल गारंटीकृत अग्रिमों का 1.6 प्रतिशत है। वर्ष के दौरान निगम ने 0.24 करोड़ रुपये के 47 दावों का निपटान किया। भुगतान किये गये दावों के खातों में वसूली के रूप में 0.03 करोड़ रुपयों की प्राप्ति हुई। सात निगमों ने गत, कई छमाई विवरणी प्रस्तुत करने/गारंटी शुल्क अदा करने में लगातार चूक की है। इन निगमों के साथ मिलकर इस मामले को बढ़ाया जा रहा है।

#### (ग) सेवा सहकारी समितियाँ गारंटी योजना, 1971

7. 31 दिसंबर 1987 तक इस योजना में भाग लेनेवाली ऋण संस्थाएँ, 57 वाणिज्य बैंकों, 83 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और 37 सहकारी बैंकों को मिलाकर, 177 थीं (अनुबंध VI)। योजना के अंतर्गत रक्षा प्राप्त कुल गारंटीकृत अग्रिम जून 1987 के अंत तक 8.72 करोड़ पर अपरिवर्तित रहे (अनुबंध VII)। इस योजना के अंतर्गत निगम द्वारा अब तक कोई भी दावा प्राप्त नहीं किया गया है।

#### (घ) लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984

8. 31 दिसंबर 1987 तक योजना में भाग लेनेवाले 88 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक थे (अनुबंध VI)। जून 1987 के अंत तक इस योजना के अंतर्गत रक्षा प्राप्त कुल गारंटीकृत अग्रिमों की राशि 25.00 करोड़ रुपये थी (अनुबंध VIII)। परिवहन चालकों को दिये गये अग्रिम, कुल गारंटीकृत अग्रिमों का 34.2 प्रतिशत है, उसके बाद फुटकर व्यापारियों को दिये गये अग्रिम, कुल गारंटीकृत अग्रिमों का 30.7 प्रतिशत है। इस योजना के अंतर्गत निगम को अब तक केवल एक ही दावा प्राप्त हुआ है।

#### (ङ) लघु ऋण (सहकारी ऋण समितियाँ) गारंटी योजना, 1982


9. सहकारी क्षेत्र के लिए दूसरी योजना अर्थात् लघु ऋण (सहकारी ऋण समितियाँ) गारंटी योजना 1982 कृषि और उनसे संबंधित कार्यों के लिए प्राथमिक स्तर पर सहकारी ऋण संस्थाओं द्वारा प्रदान किये गये अग्रिमों को गारंटी रक्षा प्रदान करने के लिए बनायी गयी थी वह 1 जनवरी 1983 से चुनी गयी कतिपय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और प्राथमिक भूमि विकास बैंकों, राज्य भूमि विकास बैंकों की शाखाओं को प्रायोगिक आधार पर दी गयी। यद्यपि 2476 प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ, 159 प्राथमिक भूमि विकास बैंक और राज्य भूमि विकास बैंकों की 200 शाखाएँ इस योजना में भाग लेने के लिए पात्र पाये गये, किन्तु केवल 14 प्राथमिक कृषि ऋण



# लघु उद्योगों से संबंधित गारंटी योजना के संबंध में गारंटीकृत अग्रिमों में वृद्धि


तालिका VIII

(करोड़ रुपये)





# लघु उद्योगों के लिए निगम की गारंटी योजना के संबंधमें दावों की प्राप्ति और निपटान

(करोड़ रुपये)



## लघु उद्योगों के लिए सरकार की गारंटी योजना (अब रद्द) के संबंध में दावों की प्राप्ति और निपटान



समितियों और 4 प्राथमिक भूमि विकास बैंकों ने ही अब तक कुछ दिलचस्पी दिखायी है, किन्तु आवश्यक करार निष्पादित नहीं किया है।

### आ. लघु उद्योगों के लिए ऋण गारंटी योजना

#### (क) सरकार की योजना

10. लघु उद्योगों के लिए सरकार की ऋण गारंटी योजना जिसे मार्च 1981 के अंत में समाप्त कर दिया गया, के अंतर्गत अवशिष्ट कार्यों के निर्वाह के लिए निगम भारत सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता आ रहा है। ऋण संस्थाओं से अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार 31 मार्च 1981 को "चूक वाले खातों" की राशि 233.71 करोड़ रुपये थी। ऋण संस्थाओं की लगभग 2,812 शाखाओं द्वारा इस संबंध में अभी आवश्यक सूचना प्रस्तुत करनी हैं। भाग लेनेवाली ऋण संस्थाओं को सूचित किया गया है कि वे 31 मार्च 1988 तक यह सूचना निगम को भिजवा दे। चूकवाले खातों का क्षेत्र-वार और संस्था-वार वर्गीकरण अनुबंध X में दिया गया है। वर्ष के दौरान निगम ने भारत सरकार की ओर से 17.39 करोड़ रुपये के 4,870 दावे प्राप्त किये और 33.81 करोड़ रुपये के 5,601 दावों का निपटान किया (अनुबंध XII)। 31 दिसंबर 1987 तक 18.91 करोड़ रुपये के 1,302 दावों निपटान के लिए शेष थे। उनमें से 11.59 करोड़ रुपये के 757 दावों पर पहले ही कार्रवाई की जा चुकी थी किन्तु वे ऋण संस्थाओं से कुछ अतिरिक्त जानकारी/ स्पष्टीकरण के अभाव में अनिर्णित पड़े हैं। 31 दिसंबर 1987 तक प्राप्त किये गये और निपटान किये गये दावे और दावों का राशि-वार तथा अवधि-वार विश्लेषण अनुबंध XIII और XIV में दिया गया है। जब से निगम द्वारा सरकार की योजना के अंतर्गत शेष कार्यों के निपटान के लिए इस कार्य को हाथ में लिया है तब से निगम ने निम्नलिखित राशियों का भुगतान किया है और उसके सामने दर्शाये अनुसार प्रतिपूर्ति प्राप्त की है।

(राशि करोड़ रुपये में)

अवधि	भारत सरकार की वास्तविक रुप से अदा की गयी राशि	वर्ष के अंत तक भारत सरकार से प्राप्त की गयी प्रतिपूर्ति
अप्रैल 1981 से		
दिसम्बर 1986	73.01	72.03
जनवरी-दिसम्बर 1987	20.17	19.04
कुल:	93.18	91.07 @

@ भारत सरकार ने अब तक निगम को शेष राशि की प्रतिपूर्ति कर दी है।

### (ख) निगम की लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981

11.1 31 दिसम्बर 1987 तक निगम की योजना में भाग लेनेवाली ऋण संस्थाओं की संख्या, 69 वाणिज्य बैंकों, 160 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, 14 राज्य वित्तीय निगमों, 8 अन्य राज्य विकास एजेन्सियाँ और 259 सहकारी बैंकों को मिलाकर 510 की (अनुबंध XI)। जून 1987 के अंत तक लघु उद्योगों को दिये कुल गारंटीकृत अग्रिम 7738.83 रुपये हैं (अनुबंध VII)।

11.2 निगम द्वारा पिछले वर्ष प्राप्त 104.92 करोड़ रुपये के 33,723 दावों की तुलना में 131.68 करोड़ रुपये के 44,711 दावे प्राप्त किये (अनुबंध XII)। वर्ष के दौरान निगम ने 88.16 करोड़ रुपये के 40,206 दावों का निपटान किया जो पिछले वर्ष की तुलना में 32.7 प्रतिशत संख्या में और 31.4 प्रतिशत राशि में वृद्धि दर्शाते हैं। प्राप्त किये गये तथा निपटारे गये दावों तथा अनिर्णित दावों का राशिवार/अवधि-वार विश्लेषण अनुबंध XIII और XIV में दिया गया है। वर्ष के दौरान प्राप्त वसूली की राशि 2.25 करोड़ रुपये है। इस प्रकार की वसूली वर्ष 1981 से लेकर कुल मिलाकर 5.14 करोड़ रुपये की है जो भुगतान किये गये कुल दावों का 4.3 प्रतिशत है।

11.3 दोनों लघु उद्योग योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त दावों की कुल राशि 648.65 करोड़ रुपये है जो इस क्षेत्र को दिये गये 7738.03 करोड़ रुपये के कुल गारंटीकृत अग्रिमों का 8.4 प्रतिशत है।

11.4 अधिक मूल्यवाले दावों के निपटान के लिए बोर्ड ने पांच सदस्यों की एक दावा समिति का गठन किया है जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक के नामांकित निदेशक उसके अध्यक्ष हैं। वर्ष के दौरान दावों की जांच के लिए महा प्रबंधक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को अतिरिक्त अधिकार प्रदान किये गये और यह निर्णय लिया गया कि 15 जून 1987 से केवल 5 लाख रुपये से अधिक राशि के दावे दावा समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जायें।

#### गारंटी शुल्क

12. चल रही पांच योजनाओं के लिए गारंटी शुल्क की वर्तमान दर रु. 0.75 प्रतिशत प्रति वर्ष है (प्रति उधारकर्ता 25,000 रुपये से अनधिक ऋण सुविधाओंवाले छोटे उधारकर्ताओं के मामले में रियायत की दर रु. 0.50 प्रतिशत प्रति वर्ष है और योजना में शामिल होने से पांच साल तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए रु. 0.25 प्रतिशत प्रति वर्ष है।) गारंटी योजनाओं के संबंध में गारंटी दावों की



तुलना में गारंटी शुल्क की प्राप्ति नीचे दर्शायी गयी है (प्राप्त किये गारंटी शुल्क का योजना-वार विवरण अनुबंध XV में दिया गया है।)

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	गारंटी शुल्क की	गारंटी दावों की
	प्राप्ति	प्राप्ति
1982	57.67	34.11
1983	71.17	60.42
1984	87.91	115.69
1985	105.66	186.90
1986	127.25	245.86
1987	145.17	386.95

उपर्युक्त से यह पाया गया है कि लगातार वर्ष 1984 से गारंटी शुल्क से कहीं अधिक है। प्राप्त दावों की राशि जिसका अंतर हर वर्ष बढ़ता ही गया है।

## लेखें

### तुलन-पत्र और आय-व्यय लेखें

13.1 31 दिसंबर 1987 को तीनों निधियों अर्थात् जमा बीमा निधि, ऋण गारंटी निधि और सामान्य निधि की अलग-अलग स्थिति दर्शानेवाला तुलन-पत्र और आय-व्यय लेखा तथा उसके साथ ही उनके संबंध में लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट संलग्न हैं।

13.2 वर्ष के दौरान निगम ने बीमांकिक आधार पर जमा बीमा निधि और ऋण गारंटी निधि की देयता की मूल्यांकन प्रणाली को अपनाया। तदनुसार तीनों निधियों में वर्ष के दौरान 134.75 करोड़ रुपयों का शुद्ध घाटा दिखाई पड़ता है। जबकि जमा बीमा निधि और सामान्य निधि में क्रमशः 65.04 करोड़ रुपये तथा 2.56 करोड़ रुपयों के अधिशेष को दर्शाते हैं, ऋण गारंटी निधि 202.30 करोड़ रुपयों के घाटे को प्रकट करता है। यद्यपि बीमांकिक मूल्यांकन के बिना वर्ष के दौरान तीनों निधियों के प्रचालन से यह पाया गया है कि आय से व्यय 78.89 करोड़ रुपयों से अधिक है। 31 दिसम्बर 1987 तक प्रस्तुत किये गये दावों की देयता को पूरा करने के लिए संपूर्ण प्रावधान के बाद ही यह घाटा निकलता है। दावा देयता और गारंटी शुल्क के बीच के अंतर को कम करने के उद्देश्य से, निगम को भविष्य में गारंटी शुल्क को बढ़ाने जैसे प्रस्तावों पर विचार करना होगा।

13.3 जब तक प्राप्त आय कर से छूट को चालू लेखा वर्ष से समाप्त कर दिया गया है। तथापि आय से अधिक व्यय होने के कारण निगम पर वर्ष 1987 के लिए कोई कर दायित्व नहीं है।

## निवेश

13.4 निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार तीनों निधियों में रखी गयी संपूर्ण राशि को सरकार की प्रतिभूतियों में निवेशित किया जाता है। इन निवेशों का विवरण अनुबंध XVI में दिया गया है। तीनों निधियों के अंतर्गत किये गये निवेशों के लिए मूल्यहास की पूरी व्यवस्था की गयी है।

## अन्य गतिविधियाँ

### कम्प्यूटरीकरण/प्रदत्त अधिकार

14.1 परिचालनात्मक कार्यक्षमता में सुधार और लगातार बढ़ती दावों की संख्या के शीघ्र निपटान के उद्देश्य से निगम ने इस कार्यप्रणाली को सरल तथा तर्कसंगत बनाने के लिए उसके वर्तमान तंत्र को अनुकूल बनाने की दिशा में निगम अनवरत रूप से पुनरीक्षण तथा खोज करता आ रहा है। तदनुसार निगम ने दावों की कम्प्यूटर प्रक्रिया में कम्प्यूटर की क्षमता को बढ़ाने के कार्य को शामिल करते हुए कतिपय परिवर्तनों को कार्यान्वित किया। कम्प्यूटर द्वारा दावों के सीधे निपटान की मात्रा 9 सितम्बर 1987 से 10,000 रुपयों से बढ़कर 25,000 रुपये तक हो गयी है। ऋण संस्थाओं के निवेदनों को निगम ने स्वीकार किया है। चुंबकीय टेप पर दावों को स्वीकार करना प्रारंभ किया है। निगम ने अब तक विभिन्न ऋण संस्थाओं से चुंबकीय टेप पर 50,000 दावों को प्राप्त किया है। इस कार्यप्रणाली से दावों के प्रस्तुतिकरण तथा निपटान के बीच का समय काफी कम हो गया है। निगम ने लघु उद्योगों के दावों के शीघ्र निपटान के लिए प्रधान कार्यालय/शाखाओं में विविध स्तर पर कार्य कर रहे अधिकारियों को अधिक प्रभावशाली अधिकार प्रदान किये हैं।

## आय-कर

14.2 निगम के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय अर्थवाला भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण निर्णय है, निगम को मिलनेवाली आय-कर से छूट को वापस लेना, जो उसे उसकी स्थापना के समय से ही उपलब्ध थी। इस विषय को भारत सरकार के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। निगम ने अपनी लेखा प्रणाली को उचित रूप से संशोधित किया और चालू वर्ष के लिए अपने दायित्वों की गणना बीमांकिक आधार पर की है।

## विविध

### लेखा परीक्षक

15.1 निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 29 (1) के अनुसार निदेशक बोर्ड ने भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के साथ मेसर्स दलाल एण्ड शाह, सनदी लेखाकार, बम्बई को वर्ष 1987 के लिए निगम के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

### हिन्दी/प्रचार को बढ़ावा देना

15.2 निगम अपने कार्यकलापों में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए

वास्तविक कदम उठा रहा है और अपनी वार्षिक रिपोर्ट, परिपत्रों आदि को द्विभाषिक रूप में प्रकाशित कर रहा है। हिन्दी में कार्य करने को लोकप्रिय बनाने के लिए स्टाफ को भी अधिकतम प्रोत्साहन दिया जा रहा है। निगम सभी बीमाकृत बैंकों को बैंक जमाकर्ताओं को दिये जानेवाली सुरक्षा के प्रचारार्थ हिन्दी, अंग्रेजी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित अपने पोस्टरो की प्रतियाँ निःशुल्क जारी करता आ रहा है। जमा बीमा के संदेश के प्रसार के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में निकाली गयी पुस्तिकाओं को प्रकाशित कर जनता के बीच वितरित करने के लिए उनकी मांग करनेवाले बैंकों को कम कीमत पर उनकी आपूर्ति करता है।

### प्रशिक्षण

15.3 श्रीलंका, तान्ज़ानिया और ज़ाम्बिया के तीनों विदेशी केन्द्रीय बैंकों साथ ही औद्योगिक वित्तीय निगम, थाइलैंड और एसियन डेवलपमेंट बैंक मनीला से अधिकारी निगम के कार्यकलापों के अध्ययन के लिए आये। नेशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ स्मॉल इन्डस्ट्री एक्सटेन्शन ट्रेनिंग, हैदराबाद द्वारा की गयी व्यवस्था के अधीन अंतर्राष्ट्रीय भाग लेने वालों के एक दल ने निगम का दौरा किया। निगम ने भी अपने अधिकारियों को वाणिज्य बैंकों और भारतीय रिज़र्व बैंक की विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं में विभिन्न योजनाओं की व्यवस्थाओं को स्पष्ट करने के लिए प्रतिनियुक्त किया।

15.4 तथ्य यह है कि उत्पादकता और कार्यक्षमता में कार्य के सभी पहलुओं के पूर्ण मूल्यांकन और उसे समझे बिना वृद्धि नहीं हो सकती, इसलिए निगम ने अपने अधिकारियों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाया है। निगम के लगभग 32 अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया जो रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, मद्रास में आयोजित किया गया था। निगम के अन्य स्तरों पर स्टाफ

को भी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उनके प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षण सुविधाएँ दी गयी।

### प्रबंधक वर्ग

16. भारतीय साधारण बीमा निगम के प्रबंध निदेशक श्री एस. कृष्णमूर्ति को श्री सी. एन. एस. शास्त्री के स्थान पर 10 अगस्त 1987 से निदेशक के रूप में नामित किया गया। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक श्री एस.एस. नाडकर्णी को 13 नवम्बर 1987 से 18 सितम्बर 1988 तक की अवधि के लिए निदेशक के रूप में फिर से नामित किया गया। श्री सी.एन.एस. शास्त्री द्वारा प्रदान किये गये बहुमूल्य योगदान के लिए निदेशक बोर्ड उनकी हार्दिक प्रशंसा करता है और नये निदेशकों का स्वागत करता है।

17. आलोच्य वर्ष के दौरान बोर्ड की चार बैठकें, कार्यकारिणी समिति की एक बैठक और दावा समिति की दस बैठकें संपन्न हुईं।

18. निगम के बढ़ते हुए विस्तार और कार्य को संभालने के लिए महा प्रबंधक और अन्य अधिकारियों तथा सभी स्तरों के कर्मचारियों द्वारा किये गये प्रयासों के लिए बोर्ड उनकी हार्दिक प्रशंसा करता है।

निक्षेप बीमा और प्रत्यय  
गारंटी निगम,  
बम्बई-400 039.  
दिनांक: 28 मार्च 1988.

निदेशक बोर्ड के लिए और उसकी  
ओर से  
(पी.डी. ओझा)  
अध्यक्ष

## अनुबंध-1

दिसम्बर 1987 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकृत  
और विपंजीकृत बैंकों के नाम दशनिवाला विवरण

(क) वर्ष 1987 के दौरान बीमाकृत बैंकों के रूप में पंजीकृत बैंकों के नाम

### क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. गोदावरी ग्रामीण बैंक
2. हिन्दोन ग्रामीण बैंक

### सहकारी बैंक :

#### आंध्र प्रदेश

1. गूटी को-ऑपरेटिव टाऊन बैंक लि.
2. दारूस सालेम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., हैदराबाद

#### गुजरात

1. भावनगर महिला सहकारी बैंक लि.

#### हरियाणा

1. हरियाणा स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
2. अंबाला सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
3. भिवानी सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
4. गुड़गांव सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
5. फ़रिदाबाद सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
6. ज़िन्द सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
7. करनाल सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
8. कुरूक्षेत्र सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
9. महेन्द्रगढ़ सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
10. सोनीपत सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
11. सिरसा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
12. रोहतक सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
13. रेवारी सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
14. हिस्सार डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
15. सोनीपत अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
16. यमुना नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
17. पंचकुला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
18. हिस्सार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
19. पानिपत अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
20. करन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
21. पोस्टल एण्ड आर. एम. एस. अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.  
अंबाला कन्वैन्समेंट

22. कुरूक्षेत्र अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.

#### जम्मू और कश्मीर

1. अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. अनंतनाग

#### केरल

1. मीनाचिल ईस्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि., पून्जार
2. पोनानी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.

#### महाराष्ट्र

1. जव्हार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
2. सिद्धार्थ सहकारी बैंक लि. जलगांव
3. इंदिरा श्रमिक महिला नागरी सहकारी बैंक लि. सोलापूर

#### उड़िसा

1. अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. भुवनेश्वर
2. केन्द्रापारा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.

#### राजस्थान

1. धिलवाड़ा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.

#### उत्तर प्रदेश

1. नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. प्रतापगढ़
2. अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. अलाहाबाद
3. बिजनोर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. बिजनोर
4. अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. बस्ती
5. मर्कन्टाईल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. मीरत
6. राजधानी नगर सहकारी बैंक लि. लखनऊ

(ख) वर्ष 1987 के दौरान विपंजीकृत बैंकों  
के नाम दशनिवाला विवरण

#### सहकारी बैंक

#### कर्नाटक

1. मणिपाल अर्बन को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि.

#### महाराष्ट्र

1. दोहाद सैफ्री को-ऑपरेटिव बैंक लि. बम्बई

#### उत्तर प्रदेश

1. हिन्द अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ.

**बीमाकृत बैंकों का सारांश**  
(30 दिसंबर 1987 की स्थिति के अनुसार)

I. वाणिज्य बैंक	..	..	..	83
II. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	..	..	..	196
III. सहकारी बैंक (अलग-अलग विवरण निम्नलिखित)				

राज्य	शिखर	मध्यवर्ती	प्राथमिक	जोड़
आंध्र प्रदेश	1	27	60	88
गोवा	1	-	5	6
गुजरात	1	21	289	311
हरियाणा	1	13	8	22
हिमाचल प्रदेश	1	2	4	7
जम्मू और कश्मीर	1	3	2	6
कर्नाटक	1	22	205	228
केरल	1	13	57	71
मध्य प्रदेश	1	45	36	82
महाराष्ट्र	1	31	370	402
उड़ीसा	1	17	12	30
राजस्थान	1	26	17	44
तमिलनाडु	1	18	134	153
त्रिपुरा	1	-	1	2
उत्तर प्रदेश	1	56	30	87
पश्चिम बंगाल	1	17	48	66
केन्द्र शासित राज्य				
दिल्ली	1	-	11	12
पॉण्डिचेरी	1	-	1	2
<b>जोड़ (सहकारी बैंक)</b>	<b>18</b>	<b>311</b>	<b>1,290</b>	<b>1,619</b>
<b>जोड़ (I, II और III.)</b>				<b>1,898</b>



अनुबंध - II

वर्ष 1962 से जमा बीमा योजना के अंतर्गत बैंकों (वाणिज्य, क्षेत्रीय ग्रामीण तथा सहकारी) की संख्या दशनिवाला विवरण

वर्ष	वर्ष के आरंभ में पंजीकृत बैंकों की संख्या	वर्ष के दौरान पंजीकृत बैंकों की संख्या	उन विपंजीकृत बैंकों की संख्या जहां निगम में देयता			वर्ष के अंत पर पंजीकृत बैंकों की संख्या (2+3-6)
			आयी	नहीं आयी	जोड़ (4+5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1962	287	—	2	9	11	276
1963	276	—	1	25	26	250
1964	250	1	6	88	94	157
1965	157	—	—	48	48	109
1966	109	1	2	8	10	100
1967	100	—	—	9	9	91
1968	91	—	—	3	3	88
1969	88	—	2	1	3	85
1970	85	—	1	1	2	83
1971	83	385	—	3	3	465
1972	465	16	—	5	5	476
1973	476	18	—	2	2	492
1974	492	37	—	3	3	526
1975	526	88	—	3	3	611
1976	611	155	3	6	9	757
1977	757	223	2	3	5	975
1978	975	51	4	1	5	1,021
1979	1,021	375	—	4	4	1,392
1980	1,392	191	—	1	1	1,582
1981	1,582	69	1	3	4	1,647
1982	1,647	44	1	7	8	1,683
1983	1,683	55	—	2	2	1,736
1984	1,736	71	1	1	2	1,805
1985	1,805	41	5	4	9	1,837
1986	1,837	27	2	3	5	1,859
1987	1,859	42	3	—	3	1,898

टिप्पणी: 1985-86 के अंत पर बीमाकृत बैंकों का अलग-अलग विवरण

वर्ष	बीमाकृत बैंकों की संख्या			
	वाणिज्य	क्षेत्रीय ग्रामीण	सहकारी	जोड़
1985	83	187	1,567	1837
1986	83	194	1,582	1,859
1987	83	196	1,619	1,898

अनुबंध - III

बीमाकृत बैंकों के जमाकर्ताओं को प्रदान की गयी रक्षा की सीमा दर्शानेवाला विवरण  
(वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय प्राथीण बैंक और सहकारी बैंक)

(दिसंबर 1961 के अंतिम शुक्रवार, 1967, 1970 तथा 1976 के प्रत्येक सितंबर के अंतिम शुक्रवार, पहली जुलाई 1980 और जून 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 और 1987 के अंतिम कार्य दिवस की स्थिति)

वर्ष	पूर्णतः रक्षित खातों की संख्या (लाखों में) @	खातों की कुल संख्या (लाखों में)	(3) में (2) का प्रतिशत	बीमाकृत जमा राशियां ₹ (करोड़ रुपयों में)	कुल निर्धारणीय जमारशियां (करोड़ रुपयों में)	(6) में (5) का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1961	55.42	70.58	78.5%	392.32	1,693.74	23.1%
1967	118.67	155.26	76.4	942.88	3,603.47	26.2
1970	230.38	239.79	96.1	3,410.62	5,447.88	62.6
1971	298.86	310.20	96.3	4,224.49	6,801.42	62.1
1976	718.01	730.23	98.3	11,827.43	16,587.85	71.3
1980	1,273.67	1,284.77	99.1	24,233.50	32,569.60	74.4
1981	1,364.62	1,377.07	99.1	25,859.20	35,004.43	73.9
1982	1,580.98	1,598.24	98.9	31,773.92	42,360.41	75.0
1983	1,784.97	1,815.82	98.3	37,746.39	50,796.54	74.3
1984	2,000.19	2,025.94	98.7	46,339.53	61,880.23	74.8
1985	2,145.16	2,238.37	95.8	56,211.15	76,517.22	73.5
1986	2,320.05	2,359.60	98.0	62,878.13	86,213.96	72.9
1987	2,518.01	2,568.51	98.0	75,511.19	103,044.16	73.3

@ अर्थात् खातों की संख्या जिनमें 1967 के अंत तक 1,500 रुपये, 31 मार्च 1970 तक 5,000 रुपये, 30 जून 1976 तक 10,000 रुपये, 30 जून 1980 तक 20,000 रुपये और उसके बाद 30,000 रुपये से अनधिक बकाया राशियां थीं।

₹ अर्थात् सभी खातों में 1967 के अंत तक 1,500 रुपये, 31 मार्च 1970 तक 5,000 रुपये, 30 जून 1976 तक 10,000 रुपये, 30 जून 1980 तक 20,000 रुपये और उसके बाद 30,000 रुपये तक की जमारशियां।

अनुबंध IV

बीमाकृत बैंकों के जमाकर्ताओं को प्रदान की गयी रक्षा की सीमा दर्शानेवाला (श्रेणी वार) विवरण  
वर्ष 1984, 1985, 1986 और 1987 के लिए

वर्ष	बैंकों की श्रेणी	बैंकों की कुल संख्या	सूचना देनेवाले बैंकों की संख्या	बीमाकृत जमा राशियां (करोड़ रुपये में)	कुल निर्धारणीय जमा राशियां (करोड़ रुपये में)	4 में 3 का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1985	वाणिज्य बैंक	83	65	50,114.79	68,173.58	73.5
	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	187	143	746.81	804.08	92.9
	सहकारी बैंक	1,567	1,200	5,349.55	7,539.56	70.9
	<b>जोड़ :</b>	<b>1,837</b>	<b>1,408</b>	<b>56,211.15</b>	<b>76,517.22</b>	<b>73.5</b>
1986	वाणिज्य बैंक	83	70	55,973.95	77,161.51	72.5
	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	194	163	1,327.70	1,420.30	93.5
	सहकारी बैंक	1,582	1,116	5,576.48	7,632.15	73.1
	<b>जोड़ :</b>	<b>1,859</b>	<b>1,349</b>	<b>62,878.13</b>	<b>86,213.96</b>	<b>72.9</b>
1987	वाणिज्य बैंक	83	72	67,236.46	92,184.45	72.9
	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	196	176	1,351.76	1,453.50	93.0
	सहकारी बैंक	1,619	1,236	6,922.97	9,406.21	73.6
	<b>जोड़ :</b>	<b>1,898</b>	<b>1,484</b>	<b>75,511.19</b>	<b>103,044.16</b>	<b>73.3</b>

अनुबंध - V

अदा किये गये और व्यवस्था किये गये जमा बीमा दावे तथा प्राप्त प्रतिभूतियाँ - 31 दिसम्बर 1987 की स्थिति

(राशि लाख रुपयों में)

क्रम संख्या	बैंक का नाम (जिस वर्ष दावे निपटाये गये, उसे कोष्ठकों में दिखाया गया है)	कुल बीमाकृत जमाराशियाँ जो अदा की गयीं या जिनके लिए व्यवस्था की गयी	निगम को प्राप्त वापसी अदायगियाँ	शेष राशि (3) - (4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>I</b>	<b>वाणिज्य बैंक</b>			
<b>I)अ</b>	<b>उन बैंकों से संबंधित ब्योरे जिनके बारे में निगम को पूरी प्रतिपूर्ति कर दी गयी है</b>			
\$ 1.	बैंक ऑफ चाइना, कलकत्ता (1963)	9.25	9.25	-
* 2.	श्री जादेय शंकरलिंग बैंक लि. बीजापुर (1965)	0.12	0.12	-
* 3.	बैंक ऑफ बिहार लि. पटना (1970)	46.32	46.32	-
	<b>जोड़ "अ"</b>	<b>55.69</b>	<b>55.69</b>	<b>-</b>
<b>II)आ</b>	<b>उन बैंकों से संबंधित ब्योरे जिनके बारे में निगम को आंशिक प्रतिपूर्ति कर दी गयी है और शेष देय बट्टे खाते डाल दी गयी है</b>			
* 4.	यूनिटी बैंक लि. मद्रास (1963)	2.53	1.37	@@
* 5.	उन्नाव कमर्शियल बैंक लि., उन्नाव (1964)	1.08	0.31	@@
* 6.	चावला बैंक लि. देहगढ़ (1969)	0.18	0.14	@@
* 7.	मेट्रोपोलिटन बैंक लि. कलकत्ता (1964)	8.80	4.41	@@
	<b>जोड़ "आ"</b>	<b>12.59</b>	<b>6.23</b>	<b>@@</b>
<b>III) इ</b>	<b>उन बैंकों के संबंधित ब्योरे जिनके बारे में निगम को पूरी प्रतिपूर्ति नहीं की गयी है</b>			
* 8.	बैंक ऑफ अलगपुरी लि. अलगपुरी (1963)	0.28	0.18	0.10
* 9.	कोचिन नायर बैंक लि. त्रिचुर (1964)	7.10	4.15	2.95
* 10.	लेटिन ख्रिस्तियन बैंक लि. एर्नाकुलम (1964)	2.08	1.14	0.94
* 11.	साउथन बैंक लि. कलकत्ता (1964)	7.34	3.26	4.08
+ 12.	नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कलकत्ता (1966)	0.99	0.88	0.11
		(0.85)		(0.85)
+ 13.	हबिब बैंक लि. बंबई (1966)	17.26	16.78	0.48
		(1.18)		(1.18)
* 14.	नेशनल बैंक ऑफ लाहोर लि. दिल्ली (1970)	9.69	-	9.69
* 15.	बैंक ऑफ कोचिन लि. कोचिन (1986)	1,162.78	-	1,162.78
* 16.	मिरज स्टेट बैंक लि. मिरज (1987)	146.59	-	146.59
* 17.	लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लि., दिल्ली (1987) (निपटाये गये आंशिक दावे)	2,685.91	-	2,685.91
	<b>जोड़ "इ"</b>	<b>4,040.02</b>	<b>26.39</b>	<b>4,013.63</b>
		<b>(2.03)</b>		<b>(2.03)</b>
	<b>जोड़ "अ" + "आ" + "इ"</b>	<b>4,108.30</b>	<b>88.31</b>	<b>4,013.63</b>
		<b>(2.03)</b>		<b>(2.03)</b>



अनुबंध - V (जारी)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
II.	सहकारी बैंक			
i) ई	उस बैंक से संबंध ब्योरे जिसके बारे में निगम को पूरी प्रतिपूर्ति कर दी गयी			
\$\$ 18	मालवण को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि. मालवण (1977)	1.86	1.84	- ++
% 19.	बंबई पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि. बंबई (1978)	10.72	10.72 £	- +++
	जोड़ "ई"	12.58	12.56	-
ii) उ	उन बैंकों के संबंध ब्योरे जिनके बारे में निगम को पूरी प्रतिपूर्ति नहीं की गयी है			
@ 20.	बंबई कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि. बंबई (1976)	5.73	-	5.73
@ 21.	घाटकोपर जनता सहकारी बैंक लि., बंबई (1977)	2.76	-	2.76
@ 22.	आरे मिल्क कॉलोनी को-ऑपरेटिव बैंक लि. बंबई (1978)	0.60	-	0.60
* 23.	रत्नागिरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. रत्नागिरी (1978)	46.43	10.95	35.48
* 24.	विश्वकर्मा को-ऑपरेटिव बैंक लि. बंबई (1979)	11.57	-	11.57
* 25.	प्रभादेवी जनता सहकारी बैंक लि., बंबई (1979)	4.22	-	4.22
* 26.	कलाविहार को-ऑपरेटिव बैंक लि., बंबई (1979)	13.16	2.41	10.75
@ 27.	रामदुर्ग अर्बन को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि., रामदुर्ग (1981)	2.30	-	2.30
* 28.	वैश्य को-ऑपरेटिव बैंक लि., बंगलूर (1982)	91.31	11.74	79.57
@ 29.	दधिच सहकारी बैंक लि. बंबई (1984)	18.51	7.87	10.64
@ 30.	कोल्लुर पार्वती को-ऑपरेटिव बैंक लि. कोल्लुर (1985)	13.96	-	13.96
@ 31.	आदर्श को-ऑपरेटिव बैंक लि. मैसूर (1985)	2.74	0.33	2.41
* 32.	कुर्दुवाडी मर्चन्ट्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., कुर्दुवाडी (1986)	4.85	2.06	2.79
@ 33.	गदग अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. गदग (1986)	22.85	3.00	19.85
@ 34.	मणिपाल अर्बन को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि. मणिपाल (1987)	9.61	-	9.61
	जोड़ "उ"	250.60	38.36	212.24
	जोड़ "ई" + "उ"	263.18	50.92	212.24
	जोड़ "अ" + "आ" + "इ" + "ई" + "उ"	4,371.48	139.23	@@ 4,225.87
		(2.03)		(2.03)

\$ बैंकिंग कारोबार करने के लिए दिया गया लाइसेंस भारतीय रिज़र्व बैंक ने रद्द कर दिया

@@ कुल 6.36 लाख रुपये की शेष राशि वट्टे खाते डाली गयी। इसमें 0.07 लाख रुपये की राशि भी शामिल है, जिसके लिए केवल व्यवस्था की गयी है किंतु यह अदा नहीं की गयी है।

\* सामामेलन योजना

++ लापता जमाकर्ताओं के संबंध में की गयी व्यवस्था की 0.02 लाख रुपये की राशि पुरांकित की गयी।

+++ लापता जमाकर्ताओं के संबंध में की गयी व्यवस्था की 0.07 लाख रुपये की राशि पुरांकित की गयी।

\$\$ वर्ष 1984 में बैंक को पुनः शुरू किया गया और सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक लि., में इसका स्वैच्छिक सामामेलन कर दिया गया।

% बैंक को स्वेच्छपूर्वक सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक लि. के साथ 1987 में सामामेलन कर दिया गया।

टिप्पणीयाँ : (क) ऊपर दिये गये दावों के आंकड़े समायोजना करने के बाद के हैं।

(ख) कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े पाकिस्तानी राष्ट्रियों के बारे में निषिद्ध देयताओं को सूचित करते हैं।

## अनुबंध - VI

छोटे ऋणकर्ताओं से संबंधित निगम की ऋण गारंटी योजनाओं में भाग लेनेवाली ऋण संस्थाओं की  
31 दिसम्बर 1987 तक की स्थिति दर्शानेवाली सूची

### I. लघु ऋण गारंटी योजना, 1971

#### स्टेट बैंक समूह

1. भारतीय स्टेट बैंक
2. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर
3. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
4. स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर
5. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
6. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
7. स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र
8. स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर

#### राष्ट्रीयकृत बैंक

9. इलाहाबाद बैंक
10. आन्धा बैंक
11. बैंक ऑफ बड़ौदा
12. बैंक ऑफ इंडिया
13. बैंक ऑफ महाराष्ट्र
14. केनरा बैंक
15. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
16. कॉर्पोरेशन बैंक
17. देना बैंक
18. इंडियन बैंक
19. इंडियन ओवरसीज़ बैंक
20. न्यू बैंक ऑफ इंडिया
21. ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
22. पंजाब नेशनल बैंक
23. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
24. सिंडीकेट बैंक
25. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
26. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
27. यूको बैंक
28. विजया बैंक

#### विदेशी बैंक

29. एलजिमिन बैंक निदरलैंड एन.पी.
30. अमेरिकन एक्सप्रेस इन्टरनेशनल बैंकिंग कारपोरेशन
31. बैंक ऑफ अमेरिका नेशनल ट्रस्ट एण्ड सेविंग्स एसोसिएशन
32. बैंक ऑफ टोक्यो लि.
33. बैंक नेशनल दी पेरिस
34. ब्रिटिश बैंक ऑफ दि मिडिल ईस्ट

35. चार्टर्ड बैंक
36. सिटीबैंक एन.ए.
37. गिण्डलेज़ बैंक पी.एल.सी.
38. हांगकांग एण्ड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन
39. मित्सुई बैंक लि.

#### अन्य भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक

40. बैंक ऑफ कराड लि.
41. बैंक ऑफ मद्रै लि.
42. बैंक ऑफ राजस्थान लि.
43. बैंक ऑफ तमिलनाडू लि.
44. बैंक ऑफ तंजावुर लि.
45. बरेली कॉर्पोरेशन (बैंक) लि.
46. बनारस स्टेट बैंक लि.
47. भारत ओवरसीज़ बैंक लि.
48. कैथोलिक सीरियन बैंक लि.
49. धनलक्ष्मी बैंक लि.
50. फेडरेशन बैंक लि.
51. जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि.
52. कर्नाटक बैंक लि.
53. करूर वैश्य बैंक लिमिटेड
54. कुम्भकोणम सिटी यूनियन बैंक लि.
55. लक्ष्मी विलास बैंक लि.
56. लार्ड कृष्णा बैंक लि.
57. नैनीताल बैंक लि.
58. नेदुंगाडि बैंक लि.
59. परूर सेन्ट्रल बैंक लि.
60. पंजाब को-ऑपरेटिव बैंक लि.
61. पूर्वांचल बैंक लि.
62. रत्नाकर बैंक लि.
63. सांगली बैंक लि.
64. साउथ इंडियन बैंक लि.
65. तमिलनाडू मर्केन्टाइल बैंक लि.
66. ट्रेडर्स बैंक लि.
67. यूनाइटेड इंडिस्ट्रियल बैंक लि.
68. यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.
69. वैश्य बैंक लि.

#### गैर-अनुसूचित वाणिज्य बैंक

70. गणेश बैंक ऑफ कुर्दवाड लि.
71. काशिनाथ सेठ बैंक लि.

**क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक**

72. अधियमान ग्राम बैंक
73. अकोला ग्रामीण बैंक
74. अलकनंदा ग्रामीण बैंक
75. अलीगढ़ ग्रामीण बैंक
76. इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
77. अलवर भरतपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक
78. अम्बाला कुरुक्षेत्र ग्रामीण बैंक
79. अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
80. अरुणाचल प्रदेश रुरल बैंक
81. औरंगाबाद-जालना ग्रामीण बैंक
82. अवध ग्रामीण बैंक
83. चैतरणी ग्राम्य बैंक
84. बालसोर ग्राम्य बैंक
85. बालिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
86. बनासकांठा-म्हैसाणा ग्रामीण बैंक
87. बाराबंकी ग्रामीण बैंक
88. बर्धमान ग्रामीण बैंक
89. बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
90. बस्तर क्षेत्रीय बैंक
91. बस्ती ग्रामीण बैंक
92. बेगूसराई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
93. भागलपुर-बांका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
94. भागीरथ ग्रामीण बैंक
95. भंडारा ग्रामीण बैंक
96. भीलवाड़ा -अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
97. भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक
98. बीजापुर ग्रामीण बैंक
99. बिकानेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
100. बिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
101. बोलांगीर आंचलिक ग्रामीण बैंक
102. बुलढाना ग्रामीण बैंक
103. बुंदेलखंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
104. बूंदी चित्तौड़गढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
105. कछार ग्रामीण बैंक
106. कावेरी ग्रामीण बैंक
107. चम्बल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
108. चंपारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
109. चैतन्य ग्रामीण बैंक
110. चन्द्रपुर गढ़चिरोली ग्रामीण बैंक
111. छत्रसाल ग्रामीण बैंक
112. छिन्दवाड़ा सिवनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
113. चिकमंगलूर-कोडगु ग्रामीण बैंक
114. चित्रदुर्ग ग्रामीण बैंक
115. कटक ग्राम्य बैंक
116. दामोह-पन्ना-सागर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
117. देवी पाटण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
118. देवास-शाजापुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
119. धेणकनाल ग्राम्य बैंक.
120. डुंगरपुर-बांसवाड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
121. दुर्ग-राजनंदगांव ग्रामीण बैंक
122. इलाकाई देहाती बैंक
123. एटा ग्रामीण बैंक
124. इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
125. फैजाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
126. फरिदकोट-बटिन्डा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
127. फर्रुखाबाद ग्रामीण बैंक
128. फतेहपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
129. गंगा यमुना ग्रामीण बैंक
130. गौड़ ग्रामीण बैंक
131. गिरिडिह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
132. गोदावरी ग्रामीण बैंक
133. गोलकुंडा ग्रामीण बैंक
134. गोमती ग्रामीण बैंक
135. गोपालगंज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
136. गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
137. गुरदासपुर-अमृतसर क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक
138. गुड़गांव ग्रामीण बैंक
139. ग्वालियर दातिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
140. हाडोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
141. हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
142. हज़ारीबाग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
143. हिमाचल ग्रामीण बैंक
144. हिस्सार-सिरसा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
145. हावड़ा ग्रामीण बैंक
146. इंदौर उज्जैन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
147. जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक
148. जम्मू रूरल बैंक
149. जामनगर ग्रामीण बैंक
150. जमुना ग्रामीण बैंक
151. झाबुआ-धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
152. जूनागढ़ अमरेली ग्रामीण बैंक
153. काकाथिया ग्रामीण बैंक
154. कालाहांडी आंचलिक ग्राम्य बैंक

अनुबंध - VI (जारी)

155. कल्पतरू ग्रामीण बैंक
156. कामराज रूरल बैंक
157. कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
158. कपूरथला-फिरोजपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
159. काशी ग्रामीण बैंक
160. खासी जैनतिया रूरल बैंक
161. किसान ग्रामीण बैंक
162. कोलार ग्रामीण बैंक
163. कोरपुट पंचवटी ग्राम्य बैंक
164. कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
165. कृष्णा ग्रामीण बैंक
166. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
167. क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक
168. कच्छ ग्रामीण बैंक
169. लखिमी गांवलिया बैंक
170. लांगपी देहांगी रूरल बैंक
171. मधुवनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
172. मगध ग्रामीण बैंक
173. महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
174. मलप्रभा ग्रामीण बैंक
175. मल्लभूम ग्रामीण बैंक
176. मालवा ग्रामीण बैंक
177. मंडला बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
178. मणिपुर रूरल बैंक
179. मंजीरा ग्रामीण बैंक
180. मराठवाडां ग्रामीण बैंक
181. मरुधर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
182. मारवाड ग्रामीण बैंक
183. मयूराक्षी ग्रामीण बैंक
184. मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक
185. मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
186. मिज़ोरम रूरल बैंक
187. मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
188. मुरशिदाबाद ग्रामीण बैंक
189. मुजफ्फरनगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
190. नडिया ग्रामीण बैंक
191. नागालैंड रूरल बैंक
192. नागार्जुन ग्रामीण बैंक
193. नैनीताल-अलमोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
194. नालंदा ग्रामीण बैंक
195. नेत्रवती ग्रामीण बैंक
196. नीमाड़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
197. नार्थ मलाबार ग्रामीण बैंक
198. पलामू क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
199. पंचमहल ग्रामीण बैंक
200. पंड्यन ग्राम बैंक
201. पाटलिपुत्र ग्रामीण बैंक
202. पिनाकिनी ग्रामीण बैंक
203. पिथोरगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
204. प्राग्यज्योतिष गांवलिया बैंक
205. प्रतापगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
206. प्रथमा बैंक
207. पुरी ग्राम्य बैंक
208. रायबरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
209. रायगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
210. राजगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
211. रंची क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
212. रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
213. रतलाम मंदसौर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
214. रत्नागिरी सिंधुदुर्ग ग्रामीण बैंक
215. रायलसीमा ग्रामीण बैंक
216. रीवा सीधी ग्रामीण बैंक
217. ऋषिकुल्य ग्राम्य बैंक
218. साबरकांठा-गांधीनगर ग्रामीण बैंक
219. सागर ग्रामीण बैंक
220. सह्याद्री ग्रामीण बैंक
221. समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
222. सम्युत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
223. संगमेश्वर ग्रामीण बैंक
224. संथाल परगना ग्रामीण बैंक
225. सरन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
226. सरयू ग्रामीण बैंक
227. शारदा ग्रामीण बैंक
228. शाहडोल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
229. शाहजहांपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
230. सेखावटी ग्रामीण बैंक
231. शिवालिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
232. शिवपुरी-गुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
233. श्री वेंकटेश्वर ग्रामीण बैंक
234. सिंहभूम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
235. सिवान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
236. सोलापुर ग्रामीण बैंक
237. साउथ मलाबार ग्रामीण बैंक
238. श्रीवास्ती ग्रामीण बैंक



## अनुबंध - VI (जारी)

239. श्री अनंत ग्रामीण बैंक
240. श्री गंगानगर क्षेत्रीय बैंक
241. श्री कनक दुर्गा ग्रामीण बैंक
242. श्री राम ग्रामीण बैंक
243. श्री सरस्वती ग्रामीण बैंक
244. श्री सातवाहन ग्रामीण बैंक
245. श्री विशाखा ग्रामीण बैंक
246. सुबनसिरी गांवलिया बैंक
247. सुल्तानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
248. सूरत भरुच ग्रामीण बैंक
249. सुरेन्द्रनगर भावनगर ग्रामीण बैंक
250. सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
251. ठाणे ग्रामीण बैंक
252. थार आंचलिक ग्रामीण बैंक
253. त्रिपुरा ग्रामीण बैंक
254. तुलसी ग्रामीण बैंक
255. तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक
256. उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
257. वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
258. वल्लालुर ग्राम बैंक
259. बलसाड़ डांगस ग्रामीण बैंक
260. वरदा ग्रामीण बैंक
261. विडिशा-भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
262. विदुर ग्रामीण बैंक
263. विध्यवासिनी ग्रामीण बैंक
264. विश्वेश्वरगया ग्रामीण बैंक
265. यवतमाल ग्रामीण बैंक

### लघु ऋण (वित्तीय निगम) गारंटी योजना, 1971

1. आंध्र प्रदेश फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन
2. असम फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन
3. बिहार स्टेट फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन
4. दिल्ली फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन
5. गुजरात स्टेट फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन
6. हरियाणा फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन
7. हिमाचल प्रदेश फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन
8. जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन
9. कर्नाटक स्टेट फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन
10. केरल फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन
11. मध्य प्रदेश फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन
12. महाराष्ट्र स्टेट फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन

13. मेघालय इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि.
14. उड़ीसा स्टेट फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन
15. पांडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लि.
16. पंजाब फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन
17. राजस्थान फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन
18. तमिलनाडु इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लि.
19. उत्तर प्रदेश फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन
20. वेस्ट बंगाल फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन

### III. सेवा सहकारी समिति गारंटी योजना, 1971

#### स्टेट बैंक समूह

1. भारतीय स्टेट बैंक
2. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर
3. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
4. स्टेट बैंक ऑफ इंदौर
5. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
6. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
7. स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र
8. स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर

#### राष्ट्रीयकृत बैंक

9. इलाहाबाद बैंक
10. आन्ध्र बैंक
11. बैंक ऑफ बड़ौदा
12. बैंक ऑफ इंडिया
13. बैंक ऑफ महाराष्ट्र
14. केनरा बैंक
15. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
16. कॉर्पोरेशन बैंक
17. देना बैंक
18. इंडियन बैंक
19. इंडियन ओवरसीज़ बैंक
20. न्यू बैंक ऑफ इंडिया
21. ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स
22. पंजाब नेशनल बैंक
23. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
24. सिंडीकेट बैंक
25. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
26. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
27. यूको बैंक
28. विजया बैंक

## अनुबंध - VI (जारी)

### विदेशी बैंक

29. अमेरिकन एक्सप्रेस इंटरनेशनल बैंकिंग कॉर्पोरेशन
30. बैंक ऑफ अमेरिका नेशनल ट्रस्ट एण्ड सेविंग्स एसोसिएशन
31. ब्रिटिश बैंक ऑफ दि मिडिल ईस्ट
32. सिटी बैंक एन.ए.
33. मिट्सुई बैंक लिमिटेड

### अन्य भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक

34. बैंक ऑफ कराड लि.
35. बैंक ऑफ मदुरै लि.
36. बैंक ऑफ राजस्थान लि.
37. बैंक ऑफ तमिलनाड लि.
38. बैंक ऑफ तंजावुर लि.
39. बरेली कॉर्पोरेशन (बैंक) लि.
40. बनारस स्टेट बैंक लि.
41. भारत ओवरसीज बैंक लि.
42. केथलिक सीरियन बैंक लि.
43. फेडरल बैंक लि.
44. जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि.
45. कर्नाटक बैंक लि.
46. करूर वैश्य बैंक लि.
47. कुम्भकोणम सिटी यूनियन बैंक लि.
48. लक्ष्मी विलास बैंक लि.
49. लॉर्ड कृष्ण बैंक लि.
50. नेदुगाडि बैंक लि.
51. पूर्वांचल बैंक लि.
52. रत्नाकर बैंक लि.
53. सांगली बैंक लि.
54. साउथ इंडियन बैंक लि.
55. तमिलनाड मर्केन्टाइल बैंक लि.
56. यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लि.
57. यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.

### क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

58. अधियमान ग्राम बैंक
59. अकोला ग्रामीण बैंक
60. अलीगढ़ ग्रामीण बैंक
61. अम्बाला कुरूक्षेत्र ग्रामीण बैंक
62. अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
63. औरंगाबाद-जालना ग्रामीण बैंक

64. बस्ती ग्रामीण बैंक
65. बेगूसराई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
66. भंडारा ग्रामीण बैंक
67. भिलवाड़ा-अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
68. भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक
69. बीजापुर ग्रामीण बैंक
70. बिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
71. बोलंगीर आंचलिक ग्राम्य बैंक
72. बुलढाना ग्रामीण बैंक
73. कछार ग्रामीण बैंक
74. कावेरी ग्रामीण बैंक
75. चंद्रपुर गढ़चिरोली ग्रामीण बैंक
76. कटक ग्राम्य बैंक
77. दुर्ग-राजनंदगांव ग्रामीण बैंक
78. गंगा-यमुना ग्रामीण बैंक
79. गिरिडिह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
80. गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
81. गुरुदासपुर-अमृतसर क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक
82. गुड़गांव ग्रामीण बैंक
83. हाडोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
84. हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
85. हिमाचल ग्रामीण बैंक
86. हावड़ा ग्रामीण बैंक
87. जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक
88. जामनगर ग्रामीण बैंक
89. जमुना ग्रामीण बैंक
90. झाबुआ-धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
91. काकथिया ग्रामीण बैंक
92. कल्पतरु ग्रामीण बैंक
93. कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
94. कपूरथला-फिरोजपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
95. कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
96. कोरापुट पंचवटी ग्राम्य बैंक
97. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
98. लखिमी गांवलिया बैंक
99. मंडला-बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
100. मणिपुर रुरल बैंक
101. मराठवाडा ग्रामीण बैंक
102. मयूराक्षी ग्रामीण बैंक
103. मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक
104. मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
105. मिज़ोरम रुरल बैंक

अनुबंध - VI (जारी)

106. मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
107. नागार्जुन ग्रामीण बैंक
108. नैनीताल-अलमोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
109. नालंदा ग्रामीण बैंक
110. नार्थ मलाबार ग्रामीण बैंक
111. पलामू क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
112. पंचमहाल ग्रामीण बैंक
113. पंड्यन ग्राम बैंक
114. प्राग्ज्योतिष गांवलिया बैंक
115. पुरी ग्राम्य बैंक
116. रांची क्षेत्रीय बैंक
117. राजगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
118. रायलसीमा ग्रामीण बैंक
119. ऋषिकुल्य ग्राम्य बैंक
120. साबरकांठा-गांधीनगर ग्रामीण बैंक
121. समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
122. संगमेश्वर ग्रामीण बैंक
123. सरयू ग्रामीण बैंक
124. श्री चेंकटेश्वर ग्रामीण बैंक
125. सिंहभूम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
126. सिवान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
127. सोलापुर ग्रामीण बैंक
128. श्री अनंत ग्रामीण बैंक
129. श्री सरस्वती ग्रामीण बैंक
130. श्री सातवाहन ग्रामीण बैंक
131. सुरेन्द्रनगर-भावनगर ग्रामीण बैंक
132. सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
133. थार आंचलिक ग्रामीण बैंक
134. तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक
135. उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
136. बल्लालुर ग्राम बैंक
137. बलसाड डोंगस ग्रामीण बैंक
138. वरदा ग्रामीण बैंक
139. विडिशा-भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
140. विश्वेश्वरया ग्रामीण बैंक

सहकारी बैंक

आंध्र प्रदेश

141. अदिलाबाद ज़िला केन्द्र सहकारी बैंक लि.
142. भोंगीर को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.
143. चित्तूर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.
144. को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि. नेल्लूर

145. को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि. विजियानगरम्
146. खम्मम डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.
147. कुर्नुल डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.

गुजरात

148. गुजरात स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
149. कैरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
150. पंचमहाल्स डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि.

जम्मू और कश्मीर

151. जम्मू सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
152. जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि.

कर्नाटक

153. डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि. बिदर
154. केनरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव लि.

केरल

155. मलाबार को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.

मध्य प्रदेश

156. बस्तर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
157. विष्णुदत्त को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.
158. ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.
159. मांडला डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.
160. रायगढ़ को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.
161. रायपुर को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.
162. शुजालपुर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

महाराष्ट्र

163. अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
164. औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
165. बीड़ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
166. बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
167. धुलिया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
168. कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
169. महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
170. रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
171. सोलापुर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
172. यवतमाल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

उड़ीसा

173. सम्बलपुर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.

अनुबंध - VI (जारी)

राजस्थान

174. भरतपुर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
175. चित्तोड़गढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.

तमिलनाडु

176. तिरुनेलवेलि सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

उत्तर प्रदेश

177. रुड़की को-ऑपरेटिव बैंक लि.

IV. लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984  
प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक  
आंध्र प्रदेश

1. आंध्र प्रदेश महेश को-ऑपरेटिव बैंक लि.
2. चारमिनार को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.

गुजरात

3. अहमदाबाद मर्कन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
4. अंकलेश्वर नागरिक सहकारी बैंक लि.
5. बावला नागरिक सहकारी बैंक लि.
6. भरुच नागरिक सहकारी बैंक लि.
7. नवानगर को-ऑपरेटिव बैंक लि.
8. नूतन नागरिक सहकारी बैंक लि.
9. पोरबंदर विभागीय नागरिक सहकारी बैंक लि.
10. श्री डीसा नागरिक सहकारी बैंक लि.
11. टेक्सटाइल ट्रेडर्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.
12. वेरावल मर्कन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

कनॉटक

13. सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि.
14. प्रेन मर्चन्ट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.
15. जनता को-ऑपरेटिव बैंक लि.
16. नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
17. श्री विजय महान्तेश को-ऑपरेटिव बैंक लि.

केरल

18. कासारगोड को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लि.
19. कोडुवायुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
20. मंजेरी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
21. पेरित्तलमन्ना को-ऑपरेटिव बैंक लि.
22. तिरु अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.

महाराष्ट्र

23. अकोला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
24. अंजनगांव सुरजि नागरी सहकारी बैंक लि.
25. कोंसमांस को-ऑपरेटिव बैंक लि.
26. इचलकरंजी जनता सहकारी बैंक लि.
27. जयहिंद को-ऑपरेटिव बैंक लि.
28. कलवा-बेलापुर सहकारी बैंक लि.
29. महाड को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
30. मांडवी को-ऑपरेटिव बैंक लि.
31. नव जीवन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
32. न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लि.
33. नॉर्थ केनरा जी.एस.बी. को-ऑपरेटिव बैंक लि.
34. प्रताप को-ऑपरेटिव बैंक लि.
35. रुपि को-ऑपरेटिव बैंक लि.
36. शामराव विठ्ठल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
37. श्री वारणा सहकारी बैंक लि.
38. ठाणे पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.
39. वर्तकनगर-माजिवडे नागरी सहकारी बैंक लि.
40. यशवंत सहकारी बैंक लि.

तमिलनाडु

41. अम्बासमुद्रम् को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
42. अरियालुर को-ऑपरेटिव अर्बन नगर बैंक लि.
43. अरकोनम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
44. अरनी को-ऑपरेटिव टाऊन बैंक लि.
45. अत्तुर टाऊन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
46. बी. कोमारपालायम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
47. भवानीकुडाल को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
48. भूपतिराजु को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि.
49. बिग कांचीपूरम को-ऑपरेटिव टाऊन बैंक लि.
50. चेन्नैमलाई को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
51. दिन्डीगुल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
52. जॉर्ज टाऊन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
53. कल्लीडाईकुरुचि को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
54. करुर टाऊन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
55. कोविलपट्टी को-ऑपरेटिव बैंक लि.
56. मद्रै अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
57. मयुरम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
58. मुत्तुपेरी को-ऑपरेटिव बैंक लि.
59. पत्तुकोट्टाई को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
60. पुडुकोट्टाई को-ऑपरेटिव टाऊन बैंक लि.



## अनुबंध - VI (जारी)

### तमिलनाडु (जारी)

61. पुरुसावालकम को-ऑपरेटिव बैंक लि.
62. प्रकासपुरम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
63. सेलम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
64. संकरी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
65. सिरकाली को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
66. शिवकाशी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
67. श्रीविल्लिपुतुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
68. श्री कमलाम्बिका को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
69. श्री लक्ष्मीनारायणा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
70. त्यागरायानगर को-ऑपरेटिव बैंक लि.
71. तिरुचिरापल्ली सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि.
72. तिरुमंगलम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
73. तुतीकोरिन मेलुर को-ऑपरेटिव बैंक लि.
74. उत्तमपलायम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.

### उत्तर प्रदेश

75. लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
76. युनाइटेड मर्कन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

### पश्चिम बंगाल

77. भाटपाड़ा-नैहाटी को-ऑपरेटिव बैंक लि.

### जम्मू और कश्मीर

78. सिटीझन्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.

### मध्य प्रदेश

79. सेहोर नागरिक सहकारी बैंक लि.
80. उज्जैन परस्पर सहकारी बैंक लि.

अनुबंध VI (समाप्त)

31 दिसंबर 1987 तक के छोटे उधारकर्ताओं के लिए निगम की ऋण गारंटी योजनाओं के अंतर्गत ऋण संस्थाओं की क्षेत्रवार स्थिति

योजना/ऋण संस्थाओं की श्रेणी	31 दिसंबर 1986 तक भाग लेनेवाली ऋण संस्थाएं				वर्ष 1987 के दौरान शामिल होनेवाली ऋण संस्थाएं				भाग लेनेवाली संस्थाओं की कुल संख्यां 31 दिसम्बर 1987 की स्थिति			
	वाणिज्य बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सहकारी बैंक	कुल	वाणिज्य बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सहकारी बैंक	कुल	वाणिज्य बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सहकारी बैंक	कुल
1. लघु ऋण गारंटी योजना, 1971	71	187		258	-	7	-	7	71	194	-	265
2. लघु ऋण (वित्तीय निगम) गारंटी योजना, 1971 @	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	20
3. सेवा सहकारी समितियों गारंटी योजना, 1971	57	81	37	175	-	2	-	2	57	83	37	177
4. लघु ऋण (सहकारी ऋण समितियों) गारंटी योजना, 1982, *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984	-	-	56	56	-	-	24	24	-	-	80	80

@ केवल राज्य वित्तीय निगम ही योजना में शामिल होने के लिए पात्र है।

® योजना में शामिल होने के लिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ और प्राथमिक भूमि विकास बैंक/ राज्य भूमि विकास बैंकों की शाखा जैसे ऋण संस्थाएं पात्र है। इस प्रकार की कोई भी ऋण संस्था अब तक शामिल नहीं है।।

**अनुबंध VII**  
**निगम की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत गारंटीकृत अग्रिमों का विवरण**

(राशि करोड़ रुपयों में)

योजना/ऋणकर्ताओं की श्रेणी	निम्नलिखित वर्षों के जून के अंत में									
	1972	1978	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	I, II, III और IV के जोड़ में प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>छोटे ऋणकर्ताओं</b>										
<b>(अ) गैर औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित योजनाएं</b>										
<b>I लघु ऋण गारंटी योजना, 1971</b>	205.71	1,706.29	3,546.24	4,819.77	5,736.44	7,045.38	8,842.29	10,345.10	10,998.22	98.94
i) कृषक और कास्तकर	134.67	1,057.04	2,267.52	3,041.59	3,594.84	4,181.98	5,057.75	6,020.34	6,428.29	57.83
ii) परिवहन चालक	28.29	282.66	477.56	731.31	937.68	1,239.58	1,510.21	1,606.00	1,664.73	14.97
iii) फुटकर व्यापारी	28.34	178.92	398.86	511.83	574.80	709.84	972.45	1,191.85	1,257.99	11.32
iv) व्यावसायिक और स्वनियोजित व्यक्ति	9.14	87.96	165.66	199.12	240.76	326.94	484.88	656.56	700.15	6.30
v) कारोबारी उद्यम	5.27	68.07	150.08	209.70	239.62	322.51	473.42	609.51	694.64	6.25
vi) विभेदक ब्याज दर योजना के अंतर्गत ऋणकर्ताओं की अवशिष्ट श्रेणी	—	31.64	86.56	126.22	148.74	264.53	343.58	260.84	252.42	2.27
<b>II लघु ऋण (वित्तीय निगम) गारंटी योजना, 1971</b>	2.56	8.66	10.89	18.58	35.64	52.68	69.24	85.19	92.28	0.83
i) परिवहन चालक	2.35	7.97	10.33	18.35	35.40	52.28	68.93	84.88	91.97	0.83
ii) कारोबारी उद्यम	0.21	0.69	0.56	0.23	0.24	0.40	0.31	0.31	0.31	—
<b>III सेवा सहकारी समितियाँ गारंटी योजना, 1971</b>	0.12	0.22	1.32	1.53	1.75	0.50	0.72	0.72	0.72	0.01
<b>IV लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984</b>	—	—	—	—	—	5.69@	10.76	14.96	25.00	00.22
i) परिवहन चालक	—	—	—	—	—	1.84	3.63	5.49	8.54	0.08
ii) फुटकर व्यापारी	—	—	—	—	—	2.64	4.51	5.53	7.67	0.07
iii) व्यावसायिक और स्वनियोजित व्यक्ति	—	—	—	—	—	1.05	1.55	1.87	4.08	0.03
iv) कारोबारी उद्यम	—	—	—	—	—	0.16	1.07	2.07	4.71	0.04
<b>I, II, III और IV का जोड़:</b>	<b>208.39</b>	<b>1,715.17</b>	<b>3,558.45</b>	<b>4,839.88</b>	<b>5,773.83</b>	<b>7,104.25</b>	<b>8,923.01</b>	<b>10,445.97</b>	<b>11,116.22</b>	<b>100.00</b>
<b>लघु उद्योग ऋणकर्ता (आ) औद्योगिक (लघु उद्योग) से संबंधित योजना</b>										
<b>V लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981</b>										
कुटीर उद्योगों आदि सहित सभी लघु उद्योग युनिट	—	—	3,716.43*	3,822.13	4,153.73	4,890.86	5,843.69	7,497.46	7,738.03	
<b>कुल जोड़ (अ) + (आ)</b>	<b>208.39</b>	<b>1,715.17</b>	<b>7,274.88</b>	<b>8,662.01</b>	<b>9,927.56</b>	<b>11,995.11</b>	<b>14,766.7</b>	<b>17,943.43</b>	<b>18,854.25</b>	

@ 31 दिसम्बर 1984 को

\* 31 मार्च 1981 को

अनुबंध - VIII

छोटे ऋणकर्ताओं से संबंधित निगम की ऋण गारंटी योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त दावों का क्षेत्रवार विश्लेषण

(राशि करोड़ रुपयों में)

क्रम. सं.	ऋणकर्ताओं की श्रेणी	31 दिसम्बर 1986 तक प्राप्त दावों की कुल संख्या		1987 के दौरान प्राप्त दावों की कुल राशि		कॉलम 6 में कुल राशि का प्रतिशत		जोड़		कॉलम (9) में कुल राशि का प्रतिशत
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
I	कृषक और कास्तकार	10,37,451	232.83	5,68,170	130.05	50.95	16,05,621	362.88	53.10	
II	परिवहन चालक	89,271	74.45	45,352	40.40	15.83	1,33,623	114.85	16.81	
III	फुटकर व्यापारी	3,17,902	67.09	1,82,103	46.21	18.10	5,00,005	113.30	16.58	
IV	व्यावसायिक और स्वनियोजित व्यक्ति	1,88,592	24.85	85,064	17.15	6.72	2,73,656	42.00	6.15	
V	कारोबारी उद्यम	80,401	15.76	54,229	10.90	4.27	1,34,630	26.66	3.90	
VI	विभेदक ब्याज दर योजना के अंतर्गत ऋणकर्ताओं की अवशिष्ट श्रेणी	1,93,595	12.76	1,36,157	10.38	4.06	3,29,752	23.14	3.39	
VII	उपभोग आवश्यकताओं और मकान या आवास खरीदने या बनवाने के लिए ऋण सुविधाएं	2,291	0.28	1,146	0.18	0.07	3,437	0.46	0.07	
	<b>जोड़</b>	<b>19,09,503</b>	<b>428.02</b>	<b>10,71,221</b>	<b>255.27</b>	<b>100.00</b>	<b>29,80,724</b>	<b>683.29</b>	<b>100.00</b>	



अनुबंध IX

निगम के छोटे ऋणकर्ताओं से संबंधित ऋण गारंटी योजनाओं के अंतर्गत दावों की प्राप्ति और निपटान दशनिवाला विवरण

(राशि करोड़ रुपयों में)

अवधि	प्राप्त दावे		निपटाये गये दावे		कॉलम 4 और 5 के अनुसार निपटाये गये दावों में से						वर्ष के अंत तक	
					अदा किये गये दावे		वापस लिये गये दावे		अस्वीकृत दावे		विचारधीन दावे	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1977 के अंत तक	21,638	6.70	12,410	3.30	11,606	2.94	423	0.13	381	0.23		
1978 के दौरान	29,925	8.76	14,623	3.34	13,825	3.03	407	0.07	391	0.24		
1979 के दौरान	36,535	11.30	25,739	6.95	23,930	5.69	1,054	0.41	755	0.85		
1980 के दौरान	83,557	14.90	47,481	7.20	45,303	6.50	214	0.08	1,964	0.62		
1981 के दौरान	1,00,669	16.25	74,030	11.14	72,216	9.08	582	0.28	1,232	1.77		
1982 के दौरान	1,50,926	24.71	1,05,513	14.50	1,02,141	12.49	1,369	0.59	2,003	1.43		
1983 के दौरान	1,47,474	27.84	1,27,714	19.64	1,23,202	17.94	1,643	0.52	2,869	1.18		
1984 के दौरान	2,54,692	61.71	2,36,625	32.09	2,28,419	30.99	741	0.22	7,465	0.88		
1985 के दौरान	4,53,722	114.91	4,66,611	114.45	3,36,663	71.80	1,19,770	41.97	10,178	0.68		
1986 के दौरान	6,30,365	140.94	6,44,090	176.39	4,84,852	86.86	1,47,419	87.18	11,819	2.35		
<b>उप-जोड़ "अ"</b> (1971 से 1986)	<b>19,09,503</b>	<b>428.02</b>	<b>17,54,836</b>	<b>389.00</b>	<b>14,42,157</b>	<b>247.32</b>	<b>2,73,622</b>	<b>131.45</b>	<b>39,057</b>	<b>10.23</b>	<b>1,54,667</b>	<b>39.02</b>
1987 के दौरान												
i) पुराने फार्मेट में	43	0.29	47	0.24	39	0.17	7	0.06	1	0.01		
ii) नये फार्मेट एनआई-11 में	10,71,178	254.98	7,67,033	148.17	7,42,022	141.75	18	0.01	24,993	6.41		
<b>उप-जोड़ "आ"</b> (i + ii)	<b>10,71,221</b>	<b>255.27</b>	<b>7,67,080</b>	<b>148.41</b>	<b>7,42,061</b>	<b>141.92</b>	<b>25</b>	<b>0.07</b>	<b>24,994</b>	<b>6.42</b>		
<b>कुल जोड़:</b> (अ + आ)												
<b>(1971 से 1987)</b>	<b>29,80,724</b>	<b>683.29</b>	<b>25,21,916</b>	<b>537.41</b>	<b>21,84,218</b>	<b>389.24</b>	<b>2,73,647</b>	<b>131.52</b>	<b>64,051</b>	<b>16.65</b>	<b>4,58,808</b>	<b>145.88</b>

विचारधीन दावों के विश्लेषित विवरण

	संख्या	राशि
किये जानेवाले संसाधित	2,97,631	69.15
संसाधित और स्पष्टीकरण में किये जानेवाले निपटान	1,61,177	76.73
<b>जोड़ :</b>	<b>4,58,808</b>	<b>145.88</b>

अनुबंध-X

लघु उद्योगों के लिए सरकार की ऋण गारंटी योजना (अब रद्द) के संबंध में चूक करनेवाले  
खातों के ब्यौरे दशनिवाला विवरण—31 मार्च 1981 की स्थिति

(राशि करोड़ रुपयों में)

(1)	बंबई		कलकत्ता		मद्रास		नई दिल्ली		जोड़	
	संख्या (2)	राशि (3)	संख्या (4)	राशि (5)	संख्या (6)	राशि (7)	संख्या (8)	राशि (9)	संख्या (10)	राशि (11)
1. स्टेट बैंक समूह	5,292	12.58	4,388	9.00	15,726	19.44	8947	14.31	34,353	55.32
2. राष्ट्रीयकृत बैंक	6,450	39.36	6,977	21.58	17,252	41.77	7058	38.58	37,737	141.30
3. अनुसूचित वाणिज्य बैंक	194	1.42	96	2.07	761	5.07	322	2.29	1,373	10.85
4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	240	0.01	1	*	403	0.02	—	—	644	0.03
5. गैर-अनुसूचित वाणिज्य बैंक	2	*	—	—	16	0.07	—	—	18	0.07
6. राज्य वित्तीय निगम	404	3.80	63	1.59	490	8.91	415	8.04	1,372	22.34
7. राज्य सहकारी बैंक	77	0.35	—	—	—	—	—	—	77	0.35
8. सहकारी बैंक	12604	3.37	2	*	—	—	73	0.08	12679	3.45
जोड़	25,263	60.89	11,527	34.24	34,648	75.28	16,815	63.30	88,253	233.71

@ 31 दिसंबर 1987 तक प्राप्त जानकारी।

\* राशि हजार रुपयों में

टिप्पणी: उपर्युक्त जानकारी अपूर्ण है क्योंकि ऋण संस्थाओं की लगभग 2812 शाखाओं द्वारा आंकड़े अभी प्रस्तुत किये जाने हैं।

लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 में  
भाग लेनेवाली ऋण संस्थाओं की सूची - 31 दिसम्बर 1987 की स्थिति

स्टेट बैंक समूह

1. भारतीय स्टेट बैंक
2. स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर.
3. स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद
4. स्टेट बैंक ऑफ़ इंदौर
5. स्टेट बैंक ऑफ़ मैसूर
6. स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला
7. स्टेट बैंक ऑफ़ सौराष्ट्र
8. स्टेट बैंक ऑफ़ त्रावणकोर

राष्ट्रीयकृत बैंक

1. इलाहाबाद बैंक
2. आंध्र प्रदेश
3. बैंक ऑफ़ बड़ौदा
4. बैंक ऑफ़ इंडिया
5. बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र
6. केनरा बैंक
7. सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
8. कापोरेशन बैंक
9. देना बैंक
10. इंडियन बैंक
11. इंडियन ओवरसीज़ बैंक
12. न्यू बैंक ऑफ़ इंडिया
13. ओरिएण्टल बैंक ऑफ़ कामर्स
14. पंजाब नेशनल बैंक
15. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
16. सिंडीकेट बैंक
17. यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया
18. यूनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया
19. यूको बैंक
20. विजया बैंक

विदेशी बैंक

1. एल्जिमिन बैंक नीदरलैंड एन.वी.
2. अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.
3. बैंक ऑफ़ अमेरिका नेशनल ट्रस्ट एण्ड सेविंग्स एसोसिएशन
4. बैंक ऑफ़ टोक्यो लि.

5. बैंक नेशनल दि पेरिस
6. ब्रिटिश बैंक ऑफ़ दि मिडिल ईस्ट
7. सिटी बैंक एन.ए.
8. आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.
9. ग्रिण्डलेज़ बैंक लि.
10. हांगकांग एण्ड शंघाई बैंकिंग कापोरेशन
11. मिन्सुई बैंक लि.

अन्य भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक

1. बैंक ऑफ़ मद्रै लि.
2. बैंक ऑफ़ राजस्थान लि.
3. बैंक ऑफ़ तमिलनाडु लि.
4. बैंक ऑफ़ तंजावुर लि.
5. बनारस स्टेट बैंक लि.
6. बरेली कापोरेशन बैंक लि.
7. भारत ओवरसीज़ बैंक लि.
8. कैथलिक सीरियन बैंक लि.
9. धनलक्ष्मी बैंक लि.
10. फेडरल बैंक लि.
11. जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि.
12. कर्नाटक बैंक लि.
13. करूर वैश्य बैंक लि.
14. कम्भकोणम् सिटी यूनियन बैंक लि.
15. लक्ष्मी विलास बैंक लि.
16. लॉर्ड कृष्ण बैंक लि.
17. नैनीताल बैंक लि.
18. नेदुंगाडि बैंक लि.
19. परुर सेंट्रल बैंक लि.
20. पंजाब को-ऑपरेटिव बैंक लि.
21. पूर्वांचल बैंक लि.
22. रत्नाकर बैंक लि.
23. सांगली बैंक लि.
24. साउथ इंडियन बैंक लि.
25. ट्रेडर्स बैंक लि.
26. तमिलनाडु मर्केन्टाइल बैंक लि.
27. यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लि.
28. यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.
29. वैश्य बैंक लि.

गैर-अनुसूचित वाणिज्य बैंक

1. काशीनाथ सेठ बैंक लि.

श्रेणीय ग्रामीण बैंक

1. अधियमन ग्राम बैंक
2. अकोला ग्रामीण बैंक
3. अलकनन्दा ग्रामीण बैंक
4. अलवर भरतपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक
5. अलीगढ़ ग्रामीण बैंक
6. इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
7. अम्बाला कुरुक्षेत्र ग्रामीण बैंक
8. अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
9. औरंगाबाद जालना ग्रामीण बैंक
10. बैतरणी ग्राम्य ग्राम्य बैंक
11. बालासोर ग्राम्य बैंक
12. बाराबंकी ग्रामीण बैंक
13. बर्धमान ग्रामीण बैंक
14. बस्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
15. बेगूसराई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
16. भागलपुर बांका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
17. भंडारा ग्रामीण बैंक
18. भीलवाड़ा-अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
19. भोजपुर रोहतास क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
20. बीजापुर ग्रामीण बैंक
21. बीकानेर ग्रामीण बैंक
22. बिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
23. बोलंगीर आंचलिक ग्राम्य बैंक
24. बुलढाना ग्रामीण बैंक
25. बुंदेलखंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
26. बुंदी चित्तोडगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
27. कछार ग्रामीण बैंक
28. कावेरी ग्रामीण बैंक
29. चेतन्य ग्रामीण बैंक
30. चंबल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
31. छत्रसाल ग्रामीण बैंक
32. छिंदवाड़ा सिओनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
33. चिकमंगलूर कोडगु ग्रामीण बैंक
34. चित्रदुर्ग ग्रामीण बैंक
35. कटक ग्राम्य बैंक
36. दमोह-पन्ना सागर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
37. देवी पाटण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
38. देवास शाजापुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
39. धेणकनाल ग्राम्य बैंक
40. डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
41. दुर्ग राजनन्दगांव ग्रामीण बैंक
42. इलाकाई देहाती बैंक
43. एटा ग्रामीण बैंक
44. फरिदकोट भटिन्डा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
45. फैजाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
46. फर्रुखाबाद ग्रामीण बैंक
47. गौड़ ग्रामीण बैंक
48. गोलकोंडा ग्रामीण बैंक
49. गोमती ग्रामीण बैंक
50. गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
51. गुडगांव ग्रामीण बैंक
52. ग्वालियर दातिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
53. हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
54. हजारीवाग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
55. हिमाचल ग्रामीण बैंक
56. हावड़ा ग्रामीण बैंक
57. इंदौर-उज्जैन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
58. जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक
59. जामनगर ग्रामीण बैंक
60. जमुना ग्रामीण बैंक
61. झाबुआ-धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
62. जूनागढ़ अमरेली ग्रामीण बैंक
63. काकथिया ग्रामीण बैंक
64. कालाहांडी आंचलिक ग्राम्य बैंक
65. कल्पतरू ग्रामीण बैंक
66. कामराज रूरल बैंक
67. कनकदुर्गा ग्रामीण बैंक
68. कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
69. कपूरथला-फिरोजपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
70. काशी ग्रामीण बैंक
71. खासी जयंतिया रूरल बैंक
72. किसान ग्रामीण बैंक
73. कोलार ग्रामीण बैंक
74. कोरापुट पंचवटी ग्राम्य बैंक
75. कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
76. कृष्णा ग्रामीण बैंक
77. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, होशंगाबाद
78. कच्छ ग्रामीण बैंक
79. लखिमी गांवलिया बैंक
80. लान्गपि देहानी रूरल बैंक



अनुबंध - XI (जारी)

81. मगध ग्रामीण बैंक
  82. मलप्रभा ग्रामीण बैंक
  83. मल्लभूम ग्रामीण बैंक
  84. मालवा ग्रामीण बैंक
  85. मंडला बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
  86. मणिपुर रूरल बैंक
  87. मंजीरा ग्रामीण बैंक
  88. मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक
  89. मारवाड़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
  90. मरूधर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
  91. मयूरक्षी ग्रामीण बैंक
  92. मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक
  93. मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
  94. मिज़ोरम रूरल बैंक
  95. मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
  96. मुरशिदाबाद ग्रामीण बैंक
  97. नडिया ग्रामीण बैंक
  98. नागालैण्ड रूरल बैंक
  99. नागार्जुन ग्रामीण बैंक
  100. नैनताल अलमोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
  101. नालंदा ग्रामीण बैंक
  102. नेत्रवती ग्रामीण बैंक
  103. निमाड़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
  104. नार्थ मलाबार ग्रामीण बैंक
  105. पलामू क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
  106. पंचमहल ग्रामीण बैंक
  107. पंड्यन ग्राम्य बैंक
  108. पर्वतीया ग्रामीण बैंक
  109. पाटलीपुत्र ग्रामीण बैंक
  110. प्राग्ज्योतिष गांवलिया बैंक
  111. प्रथमा बैंक
  112. पुरी ग्राम्य बैंक
  113. रायगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
  114. राजगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
  115. रांची क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
  116. रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
  117. रतलाम-मंदसौर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
  118. रत्नागिरी-सिन्धुदुर्ग ग्रामीण बैंक
  119. रायलसीमा ग्रामीण बैंक
  120. रोवा सीधी ग्रामीण बैंक
  121. ऋषिकुल्य ग्राम्य बैंक
  122. साबरकांठा गांधीनगर ग्रामीण बैंक
  123. सागर ग्रामीण बैंक
  124. सह्याद्री ग्रामीण बैंक
  125. समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
  126. संगमेश्वर ग्रामीण बैंक
  127. संधाल परगना ग्रामीण बैंक
  128. सरयू ग्रामीण बैंक
  129. शारदा ग्रामीण बैंक
  130. शेखावटी ग्रामीण बैंक
  131. शिवालिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
  132. शिवपुरी गुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
  133. सिवान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
  134. सोलापुर ग्रामीण बैंक
  135. साउथ मलाबार ग्रामीण बैंक
  136. श्रावस्ती ग्रामीण बैंक
  137. श्री अनंत ग्रामीण बैंक
  138. श्री गंगानगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
  139. श्री राम ग्रामीण बैंक
  140. श्री सरस्वती ग्रामीण बैंक
  141. सातवाहन ग्रामीण बैंक
  142. श्री वेंकटेश्वर ग्रामीण बैंक
  143. श्री विशाखा ग्रामीण बैंक
  144. सुबनसिरी गांवलिया बैंक
  145. सुल्तानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
  146. सुरेन्द्रनगर भावनगर ग्रामीण बैंक
  147. सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
  148. ठाणे ग्रामीण बैंक
  149. थार आंचलिक ग्रामीण बैंक
  150. त्रिपुरा ग्रामीण बैंक
  151. तुलसी ग्रामीण बैंक
  152. तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक
  153. उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
  154. बलसाड़ डांग्सू ग्रामीण बैंक
  155. बल्लार ग्राम बैंक
  156. वरदा ग्रामीण बैंक
  157. विडिशा-भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
  158. विद्यावासिनी ग्रामीण बैंक
  159. विश्वेश्वराया ग्रामीण बैंक
  160. यवतमाल ग्रामीण बैंक
- राज्य वित्तीय निगम**
1. बिहार स्टेट फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
  2. दिल्ली फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
  3. गुजरात स्टेट फाइनेन्शियल कार्पोरेशन

**राज्य वित्तीय निगम (जारी)**

4. हरियाणा फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
5. हिमाचल प्रदेश फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
6. जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
7. कर्नाटक स्टेट फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
8. केरल फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
9. महाराष्ट्र स्टेट फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
10. उड़ीसा स्टेट फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
11. पंजाब फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
12. राजस्थान फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
13. तमिलनाडु इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लि.
14. वेस्ट बंगाल फाइनेन्शियल कार्पोरेशन

**मीयादी ऋण देनेवाली अन्य संस्थाएँ**

1. अरुणाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एण्ड फाइनेन्शियल कार्पोरेशन लि.
2. इकॉनॉमिक डेवलेपमेंट कार्पोरेशन ऑफ गोवा, दमण एण्ड दीव लि.
3. मणिपुर इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट कार्पोरेशन लि.
4. मेघालय इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट कार्पोरेशन लि.
5. नागालैंड इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट कार्पोरेशन लि.
6. पांडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रोमोशन डेवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लि.
7. सिक्कीम इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लि.
8. त्रिपुरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि.

**सहकारी बैंक**

**राज्य सहकारी बैंक (5)**

1. आंध्र प्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
2. गुजरात स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
3. केरल स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
4. मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित
5. महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि.

**मध्यवर्ती सहकारी बैंक (74)**

**आंध्र प्रदेश**

1. विजयवाड़ा को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.

**बिहार**

घनबाद सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

**गुजरात**

1. अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
2. गुजरात इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
3. जामनगर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
4. कच्छ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
5. सांबरकांठा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

**हरियाणा**

1. ब्रायने सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

**हिमाचल प्रदेश**

1. कांगड़ा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

**जम्मू और कश्मीर**

1. जम्मू सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

**कर्नाटक**

1. केनरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
2. डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, विदर

**केरल**

1. अल्लेप्पै डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
2. कन्नूर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.
3. एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
4. इडुक्की डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
5. कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
6. मलाबार को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.
7. मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
8. पालघाट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.
9. पथानामथिता डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
10. क्यूलोण डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
11. त्रिचुर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
12. त्रिवेंद्रम डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
13. वायनाड डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
14. पेरियार सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

**मध्यप्रदेश**

1. भोपाल को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.
2. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बिलासपुर
3. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित छिन्दवाड़ा
4. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जबलपुर
5. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, खण्डवा
6. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रीवा
7. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, उज्जैन
8. रायपुर को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.

**महाराष्ट्र**

1. अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
2. अकोला डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
3. अमरावती डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
4. औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
5. बीड़ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
6. भंडारा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

**महाराष्ट्र (जारी)**

7. बाँबे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
8. बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
9. चन्द्रपुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
10. धुलिया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
11. जलगांव डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
12. कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
13. लातूर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
14. नागपुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
15. नांदेड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
16. नासिक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
17. उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
18. परभणी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
19. पुणे जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक मर्यादित
20. रायगड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
21. रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
22. सांगली डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
23. सातारा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
24. सोलापुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
25. सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
26. सोलापुर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
27. ठाणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
29. यवतमाल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

**तमिलनाडु**

1. सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. कुम्भकोणम
2. कायम्बतूर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
3. धर्मपुर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
4. कांचीपुरम् सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
5. मद्रास सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
6. मदुरै डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
7. रामनाथपुरम् डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
8. सालेम सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
9. तिरुचिरापल्ली सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
10. वेल्लोर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

**पश्चिम बंगाल**

1. बर्दवान सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

**प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक लि. (180)**

**आंध्र प्रदेश**

1. आंध्र प्रदेश महेश को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
2. भीमावरम् को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
3. गुड्डिवाडा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.

**गुजरात**

1. अहमदाबाद महिला नागरिक सहकारी बैंक लि.
2. अहमदाबाद मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
3. अहमदाबाद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
4. आनंद पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.
5. अंकलेश्वर नागरिक सहकारी बैंक लि.
6. अन्योन्य सहकारी मंडली को-ऑपरेटिव बैंक लि.
7. बनासकांठा मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
8. बावला नागरिक सहकारी बैंक लि.
9. भरुच नागरिक सहकारी बैंक लि.
10. सिटीजन को-ऑपरेटिव बैंक लि. राजकोट
11. को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ अहमदाबाद लि.
12. धिनौज नागरिक सहकारी बैंक लि.
13. दोहद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
14. जनरल को-ऑपरेटिव बैंक लि. अहमदाबाद
15. हिम्मतनगर नागरिक सहकारी बैंक लि.
16. झालोड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
17. कानपुर कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
18. करमसद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
19. कुकरवाड़ा नागरिक सहकारी बैंक लि.
20. माधवपुरा मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
21. मानेकचौक को-ऑपरेटिव बैंक लि.
22. नडियाड मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
23. नटपुर को-ऑपरेटिव बैंक लि.
24. नवानगर को-ऑपरेटिव बैंक लि.
25. नूतन नागरिक सहकारी बैंक लि.
26. पाटण नागरिक सहकारी बैंक लि.
27. प्रोग्रेसिव मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
28. राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लि.
29. सहयोग को-ऑपरेटिव बैंक लि.
30. सरदार भीलवाड़ा परड़ी पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.
31. सरदारगंज मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि. आनंद
32. सरदारगंज मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., पाटण
33. सर्वोदय कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
34. सर्वोदय सहकारी बैंक लि.
35. श्री लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लि.
36. श्री महालक्ष्मी मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
37. सुरेन्द्रनगर पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.
38. टेक्स्टाईल ट्रेडर्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.
39. उमा को-ऑपरेटिव बैंक लि.
40. यूनाइटेड मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नडियाड

**गुजरात (जारी)**

41. उंझा नागरिक सहकारी बैंक लि.
42. वेरावल मर्कन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
43. वेरावल पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.
44. विजय को-ऑपरेटिव बैंक लि.
45. विसनगर नागरिक सहकारी बैंक लि.

**जम्मू और काश्मीर**

1. सिटीजन्स को-ऑपरेटिव बैंक लि. जम्मू

**कर्नाटक**

1. बीजापुर श्री सिद्धेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
2. सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि., मैसूर
3. होनावर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
4. कर्नाटक इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
5. मैसूर को-ऑपरेटिव बैंक लि.
6. नवोदय सहकारी बैंक लि.
7. श्री कन्यकापरमेश्वरी को-ऑपरेटिव बैंक लि.
8. श्री विजय महान्तेश को-ऑपरेटिव बैंक लि.
9. तुमकुर वीरशेवा को-ऑपरेटिव बैंक लि.

**केरल**

1. अलवाये अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
2. कासरगोड़ को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लि.
3. मीनाचील को-ऑपरेटिव बैंक लि.
4. पालघाट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
5. पयानगडी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
6. पेरित्तलमन्ना को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
7. तिरु अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
8. त्रिचूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
9. काडुथुरूथी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.

**मध्य प्रदेश**

1. बसोड़ा नागरिक सहकारी बैंक लि.
2. भिलाई नागरिक सहकारी बैंक लि.
3. सिटीजन्स को-ऑपरेटिव बैंक लि. दामोह
4. इंदौर वल्लाथ मार्केट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
5. उज्जैन परस्पर सहकारी बैंक मयार्दित.

**महाराष्ट्र**

1. अभ्युदय को-ऑपरेटिव बैंक लि.
2. अकोला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
3. अलेन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
4. अमळनेर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
5. अपना सहकारी बैंक लि.
6. आर्शिवाद महिला नागरिक सहकारी बैंक लि.
7. बारामती अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.

8. चोपड़ा पीपल्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
9. कॉस्मॉस को-ऑपरेटिव बैंक लि.
10. डेक्कन मर्चन्टस् को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
11. इचलकरंजी जनता सहकारी बैंक लि.
12. इंदिरा महिला सहकारी बैंक लि.
13. जयहिंद को-ऑपरेटिव बैंक लि.
14. जालना पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.
15. जनकल्याण सहकारी बैंक लि.
16. जनता कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., अकोला
17. जनता सहकारी बैंक लि. भन्दूरबार
18. जनता सहकारी बैंक लि., पुणे
19. कराड जनता सहकारी बैंक लि.
20. कोंकण मर्कन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
21. कोल्हापुर मराठा को-ऑपरेटिव बैंक लि.
22. कोपरगांव तालुका मर्चन्टस् को-ऑपरेटिव बैंक लि.
23. महाड को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
24. मांडवी को-ऑपरेटिव बैंक लि.
25. मेमन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
26. मर्चन्टस् को-ऑपरेटिव बैंक लि., धुळे
27. मुर्ग्राजेन्द्र सहकारी बैंक लि.
28. मुस्लिम को-ऑपरेटिव बैंक लि.
29. नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
30. नागरिक सहकारी बैंक लि. एरंडोल
31. नंदुरा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
32. नासिक मर्चन्टस् को-ऑपरेटिव बैंक लि.
33. न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लि.
34. नार्थ केनरा गौड़ सारस्वत ब्राह्मण को-ऑपरेटिव बैंक लि.
35. पाचोरा पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.
36. पारसिक जनता सहकारी बैंक लि.
37. प्रवरा सहकारी बैंक लि.
38. पंजाब एण्ड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लि.
39. रायगड सहकारी बैंक लि.
40. रेण्डल सहकारी बैंक लि.
41. रूपि को-ऑपरेटिव बैंक लि.
42. सह्याद्रि सहकारी बैंक लि.
43. संगमनेर मर्चन्टस् को-ऑपरेटिव बैंक लि.
44. सांगली जनता सहकारी बैंक लि.
45. सांगली अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
46. सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक लि.
47. शामराव विठ्ठल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
48. शिरपुर मर्चन्टस् को-ऑपरेटिव बैंक लि.
49. श्री वारणा सहकारी बैंक लि.



अनुबंध - XI (जारी)

महाराष्ट्र (जारी)

50. श्री हरिहंत को-ऑपरेटिव बैंक लि.
51. श्री महालक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लि.
52. श्री शिवनेरी सहकारी बैंक लि.
53. सोलापुर मर्चन्टस् को-ऑपरेटिव बैंक लि.
54. सोलापुर नागरी औद्योगिक सहकारी बैंक नियमित
55. सोलापुर जनता सहकारी बैंक लि.
56. स्वस्तिक जनता सहकारी बैंक लि.
57. ठाणे जनता सहकारी बैंक लि.
58. ठाणे पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.
59. वडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
60. वैद्यनाथ को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
61. विटा मर्चन्टस् को-ऑपरेटिव बैंक लि.
62. यशवंत सहकारी बैंक लि.

मणिपुर

1. इम्फाल अर्बन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.

पांडिचेरी

1. पांडिचेरी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.

राजस्थान

1. अलवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.

तमिलनाडु

1. अम्मापेट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
2. अरकोनम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
3. अतूर टाउन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
4. भूपतिराजु को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि.
5. बिग कांचीपुरम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लि.
6. चिंताद्रिपेट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
7. कोयम्बतूर सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि.
8. कून्नूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
9. धरमपुरी को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लि.
10. जार्ज टाउन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
11. करूताट्टानकुडि द्रविडियन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
12. कृष्णागिरि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.

13. मदुरै अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
14. मन्नारगुडी को-ऑपरेटिव बैंक लि.
15. मेतुपालयम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
16. नामकल को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
17. नजरेथ को-ऑपरेटिव बैंक लि.
18. पलानी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
19. परमकुडी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
20. पट्टुकोटाई को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
21. पोल्लाचि को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
22. पुरसावालकम् को-ऑपरेटिव बैंक लि.
23. रासीपुरम् को-ऑपरेटिव बैंक लि.
24. सेलम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
25. सांकरी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
26. शिवापेट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
27. शिवकाशी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
28. श्री विल्लीपुतुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
29. सुब्रमणिनगर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
30. त्यागरायनगर को-ऑपरेटिव बैंक लि.
31. तिन्नेवेली जंक्शन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
32. तिरूकोइलुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
33. तिरूमंगलम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
34. तिरूप्पतूर टाउन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
35. तिरूप्पुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
36. तिरूच्चिरपल्लि सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि.
37. तिरूच्चिरापल्लि हिरुदयापुरम को-ऑपरेटिव बैंक लि.
38. तिरूवन्नमलै को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
39. वनियम्बाडी टाउन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
40. विल्लूपुरम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
41. विरावनाल्लुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.

उत्तर प्रदेश

1. यूनाइटेड मर्कन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि. कानपुर

पश्चिम बंगाल

1. भाटपाड़ा नईहाटी को-ऑपरेटिव बैंक लि.

अनुबंध XI (समाप्त)

निगम की लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 में भाग लेनेवाली ऋण संस्थाओं की 31 दिसंबर 1987 तक की श्रेणीवार स्थिति

ऋण संस्थाओं की श्रेणी	लघु उद्योग के लिए सरकार की ऋण गारंटी योजना (अब रद्द) में भाग लेनेवाली ऋण संस्थाएं-31 मार्च 1981 की स्थिति	निगम की लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 में भाग लेनेवाली ऋण संस्थाएं-31 दिसंबर 1986 की स्थिति	ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 में जनवरी-दिसंबर 1987 के दौरान भाग लेनेवाली ऋण संस्थाएं	ऐसी ऋण संस्थाएं जो योजना से अलग हो गयी हैं/अन्य बैंकों के साथ मिल जाने पर/ अन्य कारणों से उनके नाम हटा दिये गये हैं	भाग लेनेवाली संस्थाओं की कुल संख्या 31 दिसंबर 1987 की स्थिति (3+4-5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.) भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहायक बैंक	8	8	—	—	8
2.) राष्ट्रीयकृत बैंक	20	20	—	—	20
3.) अन्य अनुसूचित वाणिज्य बैंक	44	40	—	—	40
4.) गैर-अनुसूचित वाणिज्य बैंक	2	1	—	—	1
5.) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	34	149	11	—	160
6.) राज्य वित्तीय निगम	18	14	—	—	14
7.) अन्य राज्य विकास एजेंसियां	5	8	—	—	8
8.) सहकारी बैंक	197	236	24	1	259*
<b>जोड़</b>	<b>328</b>	<b>416</b>	<b>35</b>	<b>1</b>	<b>510</b>

\* राज्य सहकारी बैंक 5  
मध्यवर्ती सहकारी बैंक 74  
शहरी सहकारी बैंक 180

## अनुबंध XII

लघु उद्योग से संबंधित ऋण गारंटी योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 1987 के दौरान  
दावों की राशिवार प्राप्ति और निपटान दशनिवाला विवरण

(राशि करोड़ रुपयों में)

दावों की राशि	31 दिसंबर 1986 तक विचाराधीन		1987 के दौरान		वर्ष 1987 के दौरान निपटान						31 दिसंबर 1987 तक विचाराधीन			
			प्राप्ति		अदा किये गये		वापस किये गये		रद्द किये गये		कुल निपटान			
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>(अ) निगम की लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981</b>														
1. 25,000/- रुपये तक	9,063	5.06	38,355	20.83	34,164	17.31	1,165	1.00	279	0.16	35,608	18.47	11,810	7.42
2. 25,000/- रुपये से अधिक और 1 लाख रुपये तक	2,986	15.89	3,507	17.75	2,337	12.32	250	1.30	62	0.34	2,649	13.96	3,844	19.68
3. 1 लाख रुपये अधिक और 5 लाख रुपये तक	2,728	60.84	2,308	48.76	1,456	28.02	129	2.74	83	2.04	1,668	32.80	3,368	76.80
4. 5 लाख रुपये से अधिक	895	71.88	541	44.34	142	11.44	36	3.22	103	8.27	281	22.93	1,155	93.29
<b>जोड़ :</b>	<b>15,672</b>	<b>153.67</b>	<b>44,711</b>	<b>131.68</b>	<b>38,099</b>	<b>69.09</b>	<b>1,580</b>	<b>8.26</b>	<b>527</b>	<b>10.81</b>	<b>40,206</b>	<b>88.16</b>	<b>20,177</b>	<b>197.19</b>
<b>(आ) लघु उद्योग के लिए सरकार की ऋण गारंटी योजना (अब रद्द)</b>														
1. 25,000/- रुपये तक	573	0.39	3,955	1.18	3,546	1.11	383	0.13	49	0.04	3,978	1.28	550	0.29
2. 25,000/- रुपये से अधिक और 1 लाख रुपये तक	625	3.55	439	2.31	614	3.31	86	0.47	41	0.24	741	4.02	323	1.85
3. 1 लाख रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक	648	15.87	417	9.02	570	12.43	101	2.26	52	1.27	723	15.96	342	8.91
4. 5 लाख रुपये से अधिक	187	15.52	59	4.88	119	9.47	14	0.98	26	2.10	159	12.55	87	7.86
<b>जोड़ :</b>	<b>2,033</b>	<b>35.33</b>	<b>4,870</b>	<b>17.39</b>	<b>4,849</b>	<b>26.32</b>	<b>584</b>	<b>3.84</b>	<b>168</b>	<b>3.65</b>	<b>5,601</b>	<b>33.81</b>	<b>1,302</b>	<b>18.91</b>

अनुबंध XIII

लघु उद्योगों के लिए लघु गारंटी योजना के अधिन 31 दिसंबर 1987 को दावों का राशिवार और अवधिवार वर्गीकरण

(राशि करोड़ रुपयों में)

दावों की राशि	विचाराधीन के लिए दावे														जोड़	
	3 महीने		6 महीने		6 से 9 महीने		9 से 12 महीने		1 से 2 वर्ष		2 से 3 वर्ष		3 से अधिक वर्ष			
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
<b>अ) निगम की लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981</b>																
25,000 रुपये तक	9483	5.96	1468	0.62	296	0.21	135	0.16	252	0.31	148	0.13	28	0.03	11810	7.42
25,000 रुपये से अधिक और 1 लाख रुपये तक	894	4.20	700	3.60	543	2.77	543	2.71	676	3.67	330	1.85	158	0.88	3844	19.68
1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक	510	9.31	380	6.46	273	4.71	282	5.34	601	10.37	277	4.72	178	3.24	2501	44.15
3 लाख रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक	159	5.35	110	4.45	70	2.70	82	3.13	251	9.66	84	3.28	111	4.08	867	32.65
5 लाख रुपये से अधिक	150	11.72	142	11.68	94	7.82	130	10.94	329	27.00	174	13.53	136	10.60	1155	93.29
<b>जोड़</b>	<b>11196</b>	<b>36.54</b>	<b>2800</b>	<b>26.81</b>	<b>1276</b>	<b>18.21</b>	<b>1172</b>	<b>22.28</b>	<b>2109</b>	<b>51.01</b>	<b>1013</b>	<b>23.51</b>	<b>611</b>	<b>18.83</b>	<b>20177</b>	<b>197.19</b>
<b>आ) सरकार की ऋण गारंटी योजना (अब रद्द)</b>																
25,000 रुपये तक	268	0.10	51	0.03	51	0.03	67	0.02	37	0.03	28	0.04	48	0.04	550	0.29
25,000 रुपये से अधिक और 1 लाख रुपये तक	33	0.23	27	0.16	48	0.26	17	0.11	56	0.36	25	0.14	117	0.59	323	1.85
1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक	33	0.57	22	0.44	22	0.47	21	0.43	34	0.70	18	0.39	87	1.73	237	4.73
3 लाख रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक	6	0.21	8	0.37	6	0.22	12	0.47	23	0.94	19	0.72	31	1.25	105	4.18
5 लाख रुपये से अधिक	9	0.81	5	0.39	3	0.26	7	0.59	15	1.27	13	0.95	35	3.59	87	7.86
<b>जोड़ :</b>	<b>349</b>	<b>1.92</b>	<b>113</b>	<b>1.39</b>	<b>130</b>	<b>1.24</b>	<b>124</b>	<b>1.62</b>	<b>165</b>	<b>3.30</b>	<b>103</b>	<b>2.24</b>	<b>318</b>	<b>7.20</b>	<b>1302</b>	<b>18.91</b>



अनुबंध XIV

निगम की लघु उद्योग से संबंधित ऋण गारंटी योजनाओं के अंतर्गत दावों की प्राप्ति और निपटान दर्शानेवाला विवरण

(राशि करोड़ रुपये)

अवधि	प्राप्त दावे		निपटाये गये दावे		निपटाये गये दावे में से						वर्ष के अंत में अनिर्णीत दावे	
					अदा किये गये दावे		वापस लिये गये दावे		रद्द किये गये दावे			
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>भाग "अ" निगम की लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981</b>												
पहली अप्रैल 1981 से 31 दिसंबर 1981	1308	1.74									1308	1.74
पहली जनवरी 1982 से 31 दिसंबर 1982	4013	9.40	3105	2.13	1542	0.37	1537	1.72	26	0.04	2216	9.01
पहली जनवरी 1983 से 31 दिसंबर 1983	9325	32.58	7328	12.93	5184	3.43	2066	9.00	78	0.50	4213	28.66
पहली जनवरी 1984 से 31 दिसंबर 1984	18300	53.98	9522	13.73	7855	9.91	1610	2.92	57	0.90	12991	68.91
पहली जनवरी 1985 से 31 दिसंबर 1985	22048	71.99	22791	25.08	18264	12.06	4116	11.61	411	1.41	12248	115.82
पहली जनवरी 1986 से 31 दिसंबर 1986	33723	104.92	30299	67.07	19695	24.10	10261	40.30	343	2.67	15672	153.67
पहली जनवरी 1987 से 31 दिसंबर 1987	44711	131.68	40206	88.16	38099	69.09	1580	8.26	527	10.81	20177	197.19
<b>जोड़</b>	<b>133428</b>	<b>406.29</b>	<b>113251</b>	<b>209.10</b>	<b>90639</b>	<b>118.96</b>	<b>21170</b>	<b>73.81</b>	<b>1442</b>	<b>16.33</b>		
<b>भाग "आ" : लघु उद्योगों के लिए सरकार की ऋण गारंटी योजना (अब रद्द)</b>												
पहली अप्रैल 1981 को अनिर्णीत दावे (भारतीय रिज़र्व बैंक से लिये गये)	<b>30826</b>	<b>98.18</b>										
पहली अप्रैल 1981 से 31 दिसंबर 1981	13911	20.56	5447	10.69	4225	6.54	462	1.94	760	2.21	39290	108.05
पहली जनवरी 1982 से 31 दिसंबर 1982	10447	20.53	20445	24.43	16936	14.62	2309	5.37	1200	4.24	29292	104.15
पहली जनवरी 1983 से 31 दिसंबर 1983	7878	20.08	19469	26.78	16394	16.28	1734	7.23	1341	3.27	17701	97.45
पहली जनवरी 1984 से 31 दिसंबर 1984	7921	16.50	18262	33.53	10214	21.32	5496	8.33	2552	3.88	7360	80.42
पहली जनवरी 1985 से 31 दिसंबर 1985	5259	14.07	8597	31.96	5325	12.92	3085	17.24	187	1.80	4022	62.53
पहली जनवरी 1986 से 31 दिसंबर 1986	4914	14.90	6903	42.10	3965	14.32	2480	22.07	458	5.71	2033	35.33
पहली जनवरी 1987 से 31 दिसंबर 1987	4870	17.39	5601	33.81	4849	26.32	584	3.84	168	3.65	1302	18.91
<b>उप-जोड़</b>	<b>55200</b>	<b>124.03</b>	<b>84724</b>	<b>203.30</b>	<b>61908</b>	<b>112.32</b>	<b>16150</b>	<b>66.22</b>	<b>6666</b>	<b>24.76</b>		
<b>जोड़</b>	<b>86026</b>	<b>222.21</b>	<b>84724</b>	<b>203.30</b>	<b>61908</b>	<b>112.32</b>	<b>16150</b>	<b>66.22</b>	<b>6666</b>	<b>24.76</b>		

## अनुबंध XV

वर्ष 1981 से 1987 के दौरान अलग-अलग योजना के अंतर्गत प्राप्त की गयी गारंटी शुल्क को दर्शानेवाला विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

योजना/वर्ष	वर्ष के दौरान प्राप्त						
	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987
1. लघु ऋण गारंटी योजना, 1971	23.29	30.50	35.70	47.69	58.66	69.00	79.56
2. लघु ऋण (वित्तीय निगम) गारंटी योजना, 1971	0.05	0.08	0.25	0.36	0.46	0.55	0.39
3. सेवा सहकारी समितियाँ गारंटी योजना, 1971	*	*	*	*	*	*	*
4. लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984	—	—	—	0.01	0.03	0.09	0.14
5. लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981	16.87	27.09	35.22	39.85	46.51	57.61	65.08
<b>जोड़</b>	<b>40.21</b>	<b>57.67</b>	<b>71.17</b>	<b>87.91</b>	<b>105.66</b>	<b>127.25</b>	<b>145.17</b>

★ 1981 — रु. 39,000/-  
 1982 - रु. 73,000/-  
 1983 - रु. 14,000/-  
 1984 - रु. 25,000/-  
 1985 - रु. 5,000/-

1986 - रु. 1,000/-  
 1987 - रु. 7,000/-

अनुबंध XVI

31 दिसम्बर 1987 को केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में जमा बीमा निधि, ऋण गारंटी निधि और सामान्य निधि के निवेश

(राशि करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	विवरण	बाजार दर प्रतिशत	जमा बीमा निधि				ऋण गारंटी निधि				सामान्य निधि			
			अंकित मूल्य	बही मूल्य	बाजार मूल्य	बही मूल्य की तुलना में बाजार मूल्य का प्रतिशत	अंकित मूल्य	बही मूल्य	बाजार मूल्य	बही मूल्य की तुलना में बाजार मूल्य का प्रतिशत	अंकित मूल्य	बही मूल्य	बाजार मूल्य	बही मूल्य की तुलना में बाजार मूल्य का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>अ) जिन प्रतिभूतियों में मूल्यहास हुआ है।</b>														
1.	5 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> % ऋण 2002	54.00	3.00	1.86	1.62	87.10	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> % ऋण 2002	69.75	-	-	-	-	3.37	3.38	2.35	69.53	-	-	-	-
3.	6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> % ऋण 2003	68.75	-	-	-	-	2.66	2.66	1.83	68.80	-	-	-	-
4.	6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> % ऋण 2004	66.00	15.96	13.91	10.53	75.70	2.80	2.81	1.85	65.84	-	-	-	-
5.	6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> % ऋण 2005	64.00	5.95	5.98	3.81	63.71	3.00	3.02	1.92	63.58	-	-	-	-
6.	6 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> % ऋण 2006	65.00	14.30	14.28	9.29	65.06	2.42	2.42	1.57	64.88	2.15	2.15	1.40	65.12
7.	6 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> % ऋण 2007	64.00	9.41	9.36	6.02	64.32	4.00	4.01	2.56	63.84	-	-	-	-
8.	7% ऋण 2009	68.00	34.63	34.66	23.55	67.95	6.00	6.01	4.08	67.89	0.05	0.05	0.03	60.00
9.	7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> % ऋण 2010	71.50	41.29	39.50	29.52	74.73	11.28	11.13	8.07	72.51	5.88	5.84	4.20	71.92
10.	8% ऋण 2011	80.85	69.12	60.43	55.88	92.47	59.91	59.35	48.44	81.62	6.80	6.24	5.50	88.14
11.	8 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> % ऋण 2010	89.00	0.78	0.78	0.70	89.74	3.00	3.00	2.67	89.00	-	-	-	-
12.	9% ऋण 2013	81.70	39.48	38.48	32.25	83.81	61.65	60.77	50.37	82.89	15.00	15.02	12.25	81.56
13.	9 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> % ऋण 2008	80.00	6.02	5.92	4.82	81.42	17.17	17.04	13.74	80.63	0.65	0.65	0.52	80.00
14.	10% ऋण 2014	88.80	45.76	45.62	40.64	89.08	33.05	33.06	29.35	88.78	12.00	12.02	10.66	88.69
15.	10 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> % ऋण 2012	96.00	13.41	13.42	12.87	95.90	26.17	26.20	25.12	95.88	10.26	10.27	9.85	95.91
16.	10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> % ऋण 1996	100.00	9.11	9.16	9.11	99.45	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> % ऋण 2014	91.75	21.52	21.51	19.75	91.82	34.45	34.45	31.60	91.73	7.39	7.38	6.78	91.87
<b>जोड़ (अ)</b>			<b>329.74</b>	<b>314.87</b>	<b>260.36</b>	<b>82.69</b>	<b>270.93</b>	<b>269.31</b>	<b>225.52</b>	<b>83.74</b>	<b>60.18</b>	<b>59.62</b>	<b>51.19</b>	<b>85.86</b>
<b>आ) जिन प्रतिभूतियों के मूल्य में वृद्धि हुई है।</b>														
1.	6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> % ऋण 2001	79.35	2.50	1.72	1.98	115.12	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> % ऋण 2002	69.75	10.20	6.84	7.11	103.95	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	6 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> % ऋण 1994	90.80	0.14	0.12	0.13	108.33	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> % ऋण 2001	80.50	11.00	8.34	8.86	106.23	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> % ऋण 2006	101.60	5.50	5.52	5.59	101.27	49.35	49.35	50.14	101.60	2.00	2.00	2.03	101.50
6.	11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> % ऋण 2015	101.75	26.25	26.18	26.71	102.02	60.87	60.96	61.93	101.59	11.10	11.12	11.30	101.62
<b>जोड़ (आ)</b>			<b>55.59</b>	<b>48.72</b>	<b>50.38</b>	<b>103.41</b>	<b>110.22</b>	<b>110.31</b>	<b>112.07</b>	<b>101.60</b>	<b>13.10</b>	<b>13.12</b>	<b>13.33</b>	<b>101.60</b>

अनुबंध XVI (जारी)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
इ) "वापस खरीद" व्यवस्था के अधीन केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश @														
1.	7½% ऋण 2010	70.90	3.02	2.14	2.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	7½% ऋण 2010	68.40	0.36	0.25	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	7½% ऋण 2010	68.45	3.00	2.05	2.05	-	-	-	-	-	0.29	0.20	0.20	-
4.	8¼% ऋण 2005	75.50	23.00	17.37	17.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	8¼% ऋण 2005	75.55	1.54	1.16	1.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	8¼% ऋण 2005	76.80	35.60	27.34	27.34	-	-	-	-	-	0.40	0.31	0.31	-
7.	8¼% ऋण 2005	77.20	0.50	0.39	0.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	8¼% ऋण 2005	77.30	0.53	0.41	0.41	-	-	-	-	-	0.14	0.11	0.11	-
9.	10¼% ऋण 2012	92.45	1.16	1.07	1.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	10¼% ऋण 2012	90.05	0.72	0.65	0.65	-	-	-	-	-	0.58	0.52	0.52	-
11.	10¼% ऋण 2012	92.55	0.05	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	10½% ऋण 2005	93.05	4.69	4.36	4.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	10.80% ऋण 2008	100.25	0.05	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	11% ऋण 2002	100.40	3.94	3.95	3.95	-	-	-	-	-	1.02	1.02	1.02	-
15.	11% ऋण 2002	100.55	1.20	1.21	1.21	-	-	-	-	-	0.88	0.88	0.88	-
16.	11.30% ऋण 2004	100.10	-	-	-	-	-	-	-	-	0.49	0.49	0.49	-
17.	11½% ऋण 2006	100.65	-	-	-	-	2.75	2.77	2.77	-	0.20	0.20	0.20	-
18.	11½% ऋण 2006	101.20	0.37	0.38	0.38	-	-	-	-	-	0.08	0.09	0.09	-
19.	11½% ऋण 2006	101.95	0.17	0.17	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जोड़ (इ):		79.90	63.00	63.00		-	2.75	2.77	2.77	-	4.08	3.82	3.82	-
जोड़ (अ+आ+इ):		465.23426	59373.74	87.61383	90382.39340	36	89.01	77.36	77.56	68.34	89.26			

बाजार दरें 24 दिसम्बर 1987 के स्टॉक-एक्सचेंज की दरों के अनुसार हैं, और पिछला कारोबार जिस दर पर किया गया था वह उसकी सूचक हैं।

@ "वापस खरीद" व्यवस्था भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निगम को एक विशेष मामले के तौर पर प्रदान की गयी है। इसके अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक, निगम को केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियाँ बेचता है तथा उसको जब कभी दावों की अदायगी तथा अन्य अदायगियों के लिए नकदी राशि की आवश्यकता हो तो वह उन प्रतिभूतियों को निगम से उन्हीं दरों पर खरीद लेता है जिन दरों पर प्रतिभूतियाँ बेची गयी थीं।

(राशि करोड़ रुपयों में)

निवेशों के बाजार मूल्य में वर्तमान व्यवस्था  
मूल्यहास

	मूल्यहास	वर्तमान व्यवस्था
जमा बीमा निधि	54.51	55.92
ऋण गारंटी निधि	43.79	43.79
सामान्य निधि	8.43	8.61

**निक्षेप बीमा और**  
(निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के  
(विनियम 18  
31 दिसंबर 1984 को कारोबार समाप्त  
। जमा बीमा निधि

पिछले वर्ष		देयताएं	जमा बीमा निधि		ऋण गारंटी निधि	
जमा बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि					
लाख रुपये	लाख रुपये		लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपये
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
28,381.15	18,776.20	1. निधि: (वर्ष के अंत तक शेष) (नीचे टिप्पणी सं. 2 को देखें)	—			30,599.00
नहीं	नहीं	2. अधिशेष (संलग्न आय-व्यय लेखा अनुसार शेष)		8,412.93	—	
5,580.01	4,095.22	3. निवेश प्रारक्षित वर्ष के आरंभ में शेष	5,592.13		4,095.22	
12.12	—	जोड़िए : वर्ष के दौरान उपलब्ध की गयी राशि	—		284.05	
5,592.13	4,095.22	वर्ष के अंत तक शेष		5,592.13		4,379.27
—	95.05	4. वे दावे जिनकी निगम को सूचना दी जा चुकी है परंतु जो स्वीकृत नहीं हुए हैं।		—		1,401.09
4,000.00	17,279.35	5. उन दावों के संबंध में अनुमानित देयता जिनकी निगम को सूचना दी जा चुकी, है परंतु जो स्वीकृत नहीं हुए हैं।		3,300.35		30,179.34
7.06		6. दावा न की गयी बीमा राशियां		6.90		—
117.89	82.49	7. अन्य देयताएँ i) फुटकर देनदार	251.40			87.69
		ii) ऋण गारंटी निधि को देय राशि	26,471.64	26,723.04		
<b>38,099.03</b>	<b>40,328.31</b>	<b>जोड़</b>		<b>44,035.35</b>		<b>66,646.39</b>

**टिप्पणियाँ:**

- तुलन-पत्र की तारीख को जमाकर्ताओं को अदा किये दावों के संबंध में प्रतिस्थापन अधिकारों के रूप में निगम को 4,225.91 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1,405.50 लाख रुपये) प्राप्त करने का अधिकार है। इस संबंध में वसूल होनेवाली राशि निगम को पहले की प्रथा के अनुसार उसी वर्ष हिसाब में ली जायेगी जिस वर्ष वह प्राप्त होगी।
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकृत लेखों के फॉर्मेट के कारण वर्ष के आरंभ की निधि शेष को आय-व्यय लेखा के ज़रिए भेज दिया। इसी तारीख को संलग्न रिपोर्ट के अनुसार।

दलाल एण्ड शाह  
सनदी लेखाकार  
बम्बई, दिनांक 28 मार्च 1988

पी.डी. ओझा  
अध्यक्ष  
आई.टी. वाज़  
महाप्रबंधक

यू. के शर्मा  
निदेशक  
पी.के. नंदी  
मुख्य लेखाकार

ए.के. अग्रवाल  
निदेशक

पी.ए. नायर  
निदेशक



प्रत्यय गारंटी निगम  
अधिनियम 1961 के अधीन स्थापित)  
— फार्म "अ"  
होने के समय का तुलनपत्र  
और ऋण गारंटी निधि

पिछले वर्ष		आस्तियां	जमा बीमा निधि		ऋण गारंटी निधि	
जमा बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि					
लाख रुपये	लाख रुपये		लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपये
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	14
10.48	149.08	1. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा		0.82		165.88
37,632.52	39,335.67	2. केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश (लागत पर)		42,659.31		38,239.03
		जमा बीमा निधि				
		ऋण गारंटी/निधि				
		लाख रुपये				
		(अंकित मूल्य 46,523.07 38,390.19)				
		(बाजार मूल्य 37,373.99 34,035.97)				
444.66	525.37	3. निवेशों पर प्रोद्भूत ब्याज		600.99		513.51
10.39	108.66	4. अन्य आस्तियाँ				
		i) बैंकों/ऋण संस्थाओं से प्राप्य प्रीमियम, गारंटी शुल्क और अतिरिक्त दावों की बकाया राशि	8.82		103.95	
0.92	2.59	ii) अतिदेय प्रीमियम और गारंटी शुल्क पर बकाया ब्याज	1.38		4.28	
0.06	—	iii) एक बैंक के परिसमापक के पास अतिरिक्त रहनेवाले दावों के संबंध में अदा की गयी राशि	0.06		—	
—	206.94	iv) लघु उद्योगों के लिए भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना (पुरानी)	—		327.30	
—	—	v) जमा बीमा निधि से देय राशि	—		26,471.64	
—	—	vi) स्रोत पर आय कर की कटौती	746.72		820.80	
—	—	vii) फ्रुटकर लेनदार	17.25		—	
11.37	318.19			774.23		27,727.97
38,099.93	40,328.31	जोड़		44,035.35		66,646.31

3. कतिपय प्रतिभूतियों के बही मूल्य और बाज़ार मूल्य के बीच रहे अंतर की वजह निवेश प्रारक्षित 5,592.13 लाख रुपये बनती है, जो 141.04 लाख रुपये की मात्रा तक अधिकतम है।

4. पिछले वर्ष के आंकड़े यथावश्यक रूप से पुनर्वर्गीकृत किये गये हैं।

एस. कृष्णमूर्ति  
निदेशक

एस.एस. नाडकर्णी  
निदेशक

के.डी. नायर  
निदेशक

एच.के. सामल  
निदेशक

(निक्षेप बीमा और  
फार्म

31 दिसंबर 1987 को कारोबार समाप्त  
। जमा बीमा निधि

पिछले वर्ष		व्यय	जमा बीमा निधि		ऋण गारंटी निधि	
जमा बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि					
लाख रुपये	लाख रुपये		लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपये
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1,185.63	10,868.86	दावे				
—	95.04	(क) वर्ष के दौरान प्रदत्त दावे	2,842.12		20,467.45	
		(ख) स्वीकृत किंतु अदा न किये गये दावे	—		1,401.09	
		जोड़िए:				
		उन दावों के संबंध में				
		अनुमानित देयता जिनकी वर्ष के				
		अंत तक निगम को सूचना दी जा चुकी है				
4,000.00	17,279.35	परंतु जो स्वीकृत नहीं हुए थे।	3,300.35		30,179.34	
5,185.63	28,243.25		6,142.47		52,047.88	
		घटाइए:				
		उन दावों के संबंध में अनुमानित देयता				
		जिनकी पिछले वर्ष के अंत तक सूचना				
1,270.00	16,816.11	दी जा चुकी है,	4,000.00		17,279.35	
		किंतु जो अभी स्वीकृत नहीं हुए हैं।				
3,915.63	11,427.14	कुल दावें		2,142.47		34,768.53
3,915.63	11,427.14	आगे ले जाया गया		2,142.47		34,768.53

प्रत्यय गारंटी निगम

— "आ")

हुए वर्ष के लिए आय-व्यय लेखा  
और ऋण गारंटी निधि

पिछले वर्ष		आय	जमा बीमा निधि		ऋण गारंटी निधि	
जमा बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि					
लाख रुपये	लाख रुपये		लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपये
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
*	*	वर्ष के आरंभ पर निधि की शेष		28,381.15		18,776.20
4,299.98	—	जमा बीमा प्रीमियम से (अतिदेय प्रीमियम पर ब्याज सहित)		4,798.49		—
—	12,724.94	गारंटी शुल्क से (अतिदेय गारंटी शुल्क पर ब्याज सहित)		—		14,517.09
8.05	1,326.88	जमा बीमा संबंधि दावों के निपटान/ प्रदत्त गारंटी दावों से संबंधित वसूलियाँ		21.75		1,799.60
3,155.68	3,617.17	निवेश से प्राप्त आय (सकल)		3,825.65		4,087.05
		जमा बीमा निधि - स्रोत पर 746.72 लाख रूपयों के आय-कर की कटौती				
		पिछले वर्ष ऋण गारंटी निधि स्रोत पर 820.80 लाख रूपयों के आय-कर की कटौती				
		पिछले वर्ष नीचे लाया गया कुल घाटा				
				—		26,471.64
<u>7,463.71</u>	<u>17,668.99</u>			<u>37,027.04</u>		<u>65,651.58</u>
<b>7,463.71</b>	<b>17,668.99</b>	आगे ले जाया गया		<b>37,027.04</b>		<b>65,651.58</b>

(निक्षेप बीमा और  
फार्म

31 दिसंबर 1987 को कारोबार समाप्त  
। जमा बीमा निधि

पिछले वर्ष		व्यय	जमा बीमा निधि		ऋण गारंटी निधि	
जमा बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि					
लाख रुपये	लाख रुपये		लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपये
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3,915.63	11,427.14	आगे लाया गया		2,142.47		34,768.53
12.12	—	निवेश प्रारक्षित निधि में जमा किये गये गये निवेशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए व्यवस्था		—		284.05
नहीं	नहीं	वर्ष के अंत तक निधि: की शेष (बिमांकिक मूल्यांकन के अनुसार)		नहीं		30,599.00
3,535.96	6,241.85	नीचे ले गया कुल अधिशेष		34,884.57		
7,463.71	17,668.99			137,027.04		65,651.58
—	—	नीचे लाया गया कुल घटा		—		26,471.64
—	—	ऋण गारंटी निधि की ओर अंतरित (दुतरफा)		26,471.64		
3,535.96	6,241.85	तुलनपत्र को ले गया शेष		8,412.93		—
3,535.96	6,241.85	जोड़		34,884.57		26,471.64

\* नीचे टिप्पणी 6 (ii) देखें

**टिप्पणी :**

1. जो दावे सूचित किये जा चुके हैं परंतु स्वीकृत नहीं हुए हैं, उनके संबंध में ऋण गारंटी निधि से संबंधित अनुमानित देयता का हिसाब लगाते समय ऐसे दावों में से सामान्यतः अस्वीकार किये जानेवाले/वापस लिये जानेवाले दावों के संबंध में छोटे उधारकर्ताओं के लिए लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 के मामले में ऐसे दावों की राशि में से 2.83 प्रतिशत जितनी राशि तथा लघु उद्योगों के लिए लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 की इकाइयों के मामले में 11.95 प्रतिशत जितनी राशि (पिछले वर्ष 2.89 प्रतिशत और 11.61 प्रतिशत) घटा दी गयी है।
2. जिन मामलों में ऋण संस्थाओं से गारंटी अग्रिमों के विवरण प्राप्त नहीं हुए थे उनसे गारंटी शुल्क के रूप में प्राप्त तदर्थ भुगतानों को आय-व्यय हिसाब में लिया गया है।
3. लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 के संबंध में जहां गारंटी शुल्क प्राप्त नहीं हुआ अथवा गारंटी शुल्क के रूप में प्राप्त तदर्थ राशियाँ जहां अपर्याप्त समझी गयी हैं वहाँ अपेक्षित राशि के लिए व्यवस्था नहीं की गयी है।

इसी तारीख को संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

दलाल एण्ड शाह  
सनदी लेखाकार  
बम्बई, दिनांक 28 मार्च 1988

पी.डी. ओझा  
अध्यक्ष

आई.टी. वाज़  
महा प्रबंधक

यू. के शर्मा  
निदेशक

पी.के. नंदी  
मुख्य लेखाकार

ए.के. अग्रवाल  
निदेशक

पी.ए. नायर  
निदेशक

**प्रत्यय गारंटी निगम**

— "आ")

हए वर्ष के लिए आय-व्यय लेखा  
और ऋण गारंटी निधि

पिछले वर्ष		आय	जमा बीमा निधि		ऋण गारंटी निधि	
जमा बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि					
लाख रुपये	लाख रुपये		लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपये
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7,463.71	17,668.99	आगे लाया गया		37,027.04		65,651.58
3,535.96	6,241.85	नीचे लाया कुल अधिशेष जमा बीमा निधि से अंतरित (दुतरफा)		34,884.57		26,471.64
<u>3,535.96</u>	<u>6,241.85</u>	जोड़		<u>34,884.57</u>		<u>26,471.64</u>

4. पहले की प्रथा के अनुसार, निवेश की मूल्यहास की व्यवस्था करते समय कतिपय प्रतिभूतियों के बही मूल्य की तुलना में उनके बाजार मूल्य में हुई वृद्धि को हिसाब में नहीं लिया गया है।
5. निगम की पहले की प्रथा के अनुसार, ऋण गारंटी निधि दावों के निपटान पर प्रतिस्थापन अधिकारों की वजह की गयी वसूली जिसे अनुमानित नहीं किया जाता, वर्ष के दौरान प्राप्त उसे हिसाब में लेना होगा।
6. (i) निगम ने बीमांकित देयता की ओर आवश्यक व्यवस्था की है, जैसा कि ऋण गारंटी निधि और जमा बीमा निधि की ओर पहली बार लेखा वर्ष 1987 के समाप्ति तक की निधि की शेष पर स्वीकृत बीमांकिक द्वारा हिसाब लगाया है और इस व्यवस्था के फलस्वरूप, उक्त निधियों का वर्ष के लिए आय से व्यय 5,581 लाख रुपयों से अधिक है।  
(ii) उसी प्रकार निगम ने 1986 के समाप्ति तक इन दोनों निधियों का बीमांकिक मूल्यांकन को प्राप्त किया है और परिणामी 31 दिसंबर 1986 तक के संबंध में जमा बीमा निधि का अधिशेष 28,381.15 लाख रुपये को मिलाकर जमा बीमा निधि का अधिशेष है और ऋण गारंटी निधि में 6,241.80 लाख रुपये शुद्ध घाटा है।

एस. कृष्णमूर्ति  
निदेशक

एस.एस. नाडकर्णी  
निदेशक

के.डी नायर  
निदेशक

एच.के सामल  
निदेशक



**निक्षेप बीमा और**  
(निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम  
विनियम 18  
31 दिसंबर 1987 को कारोबार समाप्त  
II - सामान्य

पिछले वर्ष (लाख रुपये)	देयताएं	लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपये
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5,000.00	1. पूंजी निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 4 के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गयी	—	—	5,000.00
1,228.24	2. प्रारक्षित निधियाँ सामान्य प्रारक्षित निधि पिछले लेखा अनुसार शेष	1,685.47		
457.23	जोड़िए: आय-व्यय लेखा से अंतरित अधिशेष	259.49	1941.96	
<u>1,685.47</u>				
860.88	निवेश प्रारक्षित पिछले लेखा अनुसार शेष		860.88	
—	पूंजीगत प्रारक्षित पिछले लेखा अनुसार शेष	22.51		
22.51	जोड़िए मिनी कम्प्यूटर के अंतरण पर उपलब्ध की गयी राशि	—	22.51	
<u>2,568.86</u>				2,825.35
162.20	3 चालू देयताएँ और प्रावधान अन्य देयताएँ			
0.59	i) बकाया व्यय	139.44		
<u>162.79</u>	ii) फूटकर देनदार	1.17		
				<u>140.61</u>
<u>7,731.65</u>	<b>जोड़</b>			<u>7,965.96</u>

टिप्पणी सं. (1) पहले की प्रथा के अनुसार कतिपय प्रतिभूतियों के बही मूल्य की तुलना में उसके बाज़ार मूल्य में वृद्धि को हिसाब में न लेते हुए निवेश के मूल्यहास को वैसे ही रखा है। निवेश प्रारक्षित की राशि 860.88 लाख रुपये तक बनती है। कतिपय प्रतिभूतियों के बही मूल्य और बाजार मूल्य के बीच अंतर की वजह 17.53 लाख रुपये की मात्रा तक अधिकतम है।

इस तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार.

दलाल एण्ड शाह  
सनदी लेखाकार  
बम्बई, दिनांक 28 मार्च 1988.

पी.डी. ओझा  
अध्यक्ष

यू. के. शर्मा  
निदेशक

ए.के. अग्रवाल  
निदेशक

पी.ए. नायर  
निदेशक

एस. कृष्णमुर्ती  
निदेशक

आई.टी. वाज़  
महा प्रबंधक

पी.के. नंदी  
मुख्य लेखाकार

प्रत्यय गारंटी निगम  
अधिनियम, 1961 के अधीन स्थापित)  
— फार्म "अ"  
होने के समय का तुलन-पत्र  
निधि

पिछले वर्ष (लाख रुपये)	आस्तियाँ	लाख रुपये	लाख रुपये
(6)	(7)	(8)	(9)
0.13	1. नकद		
1.75	(i) हाथ में	0.12	
1.88	(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास	2.93	3.05
7,580.90	2. सामान्य निवेश		
	सरकार की प्रतिभूतियों में (लागत पर)		7,656.87
	(अंकित मूल्य ..	लाख रुपये	
	(बाज़ार मूल्य ..	7,735.85)	
89.01	3. निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज		89.57
	4. अन्य आस्तियाँ		
24.34	i) मूल्यहास घटाकर फर्निचर, जुड़नार	29.80	
1.49	और उपकरण	1.04	
1.37	ii) लेखन सामग्री का स्टॉक	0.55	
	iii) पूर्वदत्त व्यय		
32.66	iv) व्ययों के लिए अग्रिम, भारतीय रिज़र्व बैंक	29.25	
—	आदि से वसूली योग्य स्टाफ को दिये गये	155.83	
59.86	भत्ते और अन्य जमा राशियाँ		
	v) स्रोत पर आय-कर की कटौती		216.47
7,731.65	जोड़		7,965.96

(2) पिछले वर्ष के आंकड़े आवश्यक रूप से पुनर्वर्गीकृत किये गये हैं।

एस.एस. नाडकर्णी  
निदेशक

के.डी. नायर  
निदेशक

एच.के. सामल  
निदेशक

**निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम  
फार्म "आ"**

31 दिसम्बर 1987 को समाप्त हुए वर्ष के लिये आय-व्यय लेखा  
II - सामान्य निधि

पिछले वर्ष लाख रुपये	व्यय	लाख रुपये	पिछले वर्ष लाख रुपये	आय	लाख रुपये
351.29	वेतन और भत्ते तथा कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान	406.94	707.00	निवेशों से प्राप्त आय (सकल) (स्रोत पर 155.83 करोड़ रुपये की आय-कर कटौती)	740.35
9.45	कर्मचारी उपदान निधि में अंशदान	9.81		(पिछले वर्ष की कुछ भी नहीं)	
0.03	निदेशकों और समिति के सदस्यों का शुल्क	0.02		लघु उद्योगों के लिए भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना (पुरानी) के अधीन अदा किये गये दावों के लेखों में से प्राप्त वसूलियाँ (टिप्पणी सं. 1 देखें)	2.83
0.17	निदेशकों और समिति के सदस्यों के यात्रा तथा अन्य भत्ते	0.23	175.03	विविध प्राप्तियाँ	0.30
28.35	किराया कर, बीमा, प्रकाश व्यवस्था आदि	26.85			
3.43	आस्थापना - यात्रा और विराम भत्ते	4.68			
7.14	मुद्रण और लेखण सामग्री	5.32	0.18		
2.70	डाक, तार और टेलिफोन	3.53			
0.35	लेखा परीक्षकों की शुल्क	0.35			
0.79	विधि प्रभार	0.55			
16.16	विविध व्यय	22.24			
5.12	मूल्यहास	6.47			
457.23	सामान्य प्रारक्षित से अंतरित व्यय की तुलना में अधिक आय की शेष राशि	256.49			
<b>882.21</b>	<b>जोड़</b>	<b>743.48</b>	<b>882.21</b>	<b>जोड़</b>	<b>743.48</b>

- टिप्पणी सं.: (1) भारत सरकार द्वारा निगम को लघु उद्योगों के लिए भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना (पुरानी) के अधीन 31 मार्च 1987 तक प्राप्त/प्राप्य वसूलियाँ धारित करने की अनुमति देने का निर्णय लिये जाने के फलस्वरूप वर्ष 1987 के दौरान प्राप्त 2.83 लाख रुपये की राशि को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 24 के अधीन सामान्य निधि के आय-व्यय लेखों में अंतरित किया है।
- (2) वर्ष के समाप्ति पर निधियों के सभी आय-व्यय लेखों के समस्त कुल प्रभाव ने आय से अधिक व्यय को दर्शाया है, इसलिए कराधन के लिए व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है।
- (3) वेतन, भत्ते, भविष्य तथा उपदान निधि में अंशदान जैसे कर्मचारियों की लागत को भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ की गयी व्यवस्था के अनुसार किया, जैसा कि निगम का स्टाफ भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से निगम की सेवा में कार्यरत है।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार।

दलाल एण्ड शाह

सनदी लेखाकार

बम्बई, दिनांक 28 मार्च 1988

पी.डी. ओझा    यू.के. शर्मा    ए.के. अग्रवाल    पी.ए. नायर    एस.कृष्णमुर्ती    एस.एस. नाडकर्णी    के.डी. नायर    एच.के. सामल  
अध्यक्ष    निदेशक    निदेशक    निदेशक    निदेशक    निदेशक    निदेशक    निदेशक

आई.टी. वाज़    पी.के. नंदी  
महा प्रबंधक    मुख्य लेखाकार

**निकषेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम  
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट**

हमने निकषेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम की (i) जमा बीमा निधि और ऋण गारंटी निधि तथा (ii) सामान्य निधि के 31 दिसंबर 1987 तक के संलग्न तुलनपत्रों तथा उपर्युक्त दिनांक को समाप्त हुए वर्ष के लिए ऊपर उल्लिखित तीनों निधियों के आय-व्यय लेखों की भी लेखा परीक्षा कर ली है, तथा हमारी रिपोर्ट निम्नानुसार है:

लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए अपेक्षित सभी स्पष्टीकरण और जानकारी हमें दी गयी है और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है:

उक्त तुलनपत्र तथा आय-व्यय लेखे निकषेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 के निहित रीति की अपेक्षानुसार, तैयार किये गये हैं:

हमारी राय में और जहां तक हमारी जानकारी है और जो स्पष्टीकरण हमें दिये गये हैं, उस पर टिप्पणियों के पठित लेखें निकषेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 द्वारा अपेक्षित जानकारी निहित रूप में यथावश्यक दी गयी है और (i) जमा बीमा तथा ऋण गारंटी निधि और (ii) निगम की सामान्य निधि का तुलनपत्र 31 दिसंबर 1987 तक पूर्ण और सही है। आय - व्यय लेखों के साथ वह सभी आवश्यक विवरणों को दर्शाते हुए उचित रूप से इस प्रकार तैयार किया गया है कि उससे उक्त निधि के कार्य के संबंध में 31 दिसंबर 1987 तक की स्थिति का सही चित्र प्रस्तुत हो।

बंबई  
दिनांक 28 मार्च 1988

दलाल एण्ड शाह  
सनदी लेखाकार

## कार्यो और गतिविधियों की रूपरेखा

### प्रस्तावना

1.1 बैंकों की जमाराशियों का बीमा करने का उद्देश्य यह है कि बैंकों का दिवाला निकलने पर उनके जमाकर्ताओं, विशेषकर छोटे जमाकर्ताओं को उनकी बचतों की राशि की हानि के जोखिम से संरक्षण प्रदान करने का उपाय किया जा सके। इस प्रकार के संरक्षण से जनता के मन में विश्वास पैदा करके बैंकिंग की आदतों को बढ़ाने और बैंकों द्वारा साधनों के जुटाये जाने में सहायता मिलती है और इस प्रकार वह बैंकिंग प्रणाली के विकास में योगदान प्रदान करता है। इसके फलस्वरूप जिन उद्देश्यों को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है उनके लिए इन साधनों का उपयोग किया जा सकता है। छठे दशक और सातवें दशक के पूर्ववर्ती भाग में कुछ बैंकों के दिवालिया हो जाने के कारण और उसके फलस्वरूप राशियाँ जमा करने वाले लोगों का बैंकिंग प्रणाली के प्रति फिर से विश्वास अर्जित करने और उनके हितों की रक्षा करने के लिए निक्षेप बीमा निगम की स्थापना की गई थी।

1.2 तत्कालीन भारतीय ऋण गारंटी निगम मर्यादित, द्वारा जो ऋण गारंटी योजनायें शुरू की गई थीं वे अब तक उपेक्षा किये गये क्षेत्रों, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वाणिज्य बैंकों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सातवें दशक के परवर्ती भाग में की गई कार्रवाई की श्रृंखला के रूप में शुरू की गई थी। वर्ष 1968 में प्रारंभ किये गये सामाजिक नियंत्रण संबंधी कार्यो और उसके बाद प्रमुख वाणिज्य बैंकों के राष्ट्रीयकरण के संदर्भ में बैंकों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई थी कि वे ऐसे छोटे उधारकर्ताओं को अधिकाधिक ऋण प्रदान करें जो संस्थागत ऋण प्राप्त करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। एक ओर जहाँ बैंकों के बीच ऐसे उधारकर्ताओं को अधिक ऋण प्रदान करने की आवश्यकता के प्रति बढ़ती हुई जागरूकता थी वहाँ दूसरी ओर कुछ व्यावहारिक कठिनाईयाँ भी थीं। ये कठिनाईयाँ मुख्यतः ऋण के नये और अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में पदार्पण करने की हिचकिचाहट और सरलता से वसूल होनेवाली जमानत को छोड़कर अन्य किसी जमानत पर ऋण देने में, विशेषकर आधारभूत स्तर पर, उनकी झिझक के कारण उत्पन्न हुई थीं। इस प्रकार भारतीय ऋण गारंटी निगम मर्यादित की कल्पना एक ऐसी एजेंसी के रूप में की गई थी जो उस प्रकार के छोटे और जरूरतमंद उधारकर्ताओं को ऋण संस्थाओं द्वारा प्रदान किये गये ऋणों के लिए सरल परंतु व्यापक श्रेणी वाली गारंटियों की प्रणाली की व्यवस्था कर सके।

1.3 उपर्युक्त दोहरे और मिलते-जुलते कार्यो का एकीकरण करने की दृष्टि से जुलाई 1978 में दोनों संगठनों का समामेलन किया गया तथा निगम को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम का नया नाम दिया गया।

### निक्षेप बीमा योजना : संस्थागत व्याप्ति

2. निक्षेप बीमा योजना 1 जनवरी 1962 से शुरू की गई थी। यह योजना (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) सभी वाणिज्य बैंकों की भारत में प्राप्त जमा राशियों के लिए स्वचालित सुरक्षा प्रदान करती है। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1968 में संशोधन किये जाने के फलस्वरूप ऐसे राज्यों के सहकारी बैंकों के जमाराशियों के लिए भी इसी प्रकार की सुरक्षा प्रदान की गई है जिन्होंने अपने स्थानीय सहकारी समितियाँ अधिनियमों से संशोधन करने के लिए उन्हें समर्थ बनानेवाले विधान को पारित कर लिये हैं। इसके अंतर्गत आनेवाले भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार निक्षेप बीमा का लाभ अब संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को प्राप्त हो रहा है तथा उसके अंतर्गत उन राज्यों के केवल 69 सहकारी बैंक नहीं आते जिन्हें अभी भी आवश्यक विधान को पारित करना है।

### बीमा सुरक्षा की मात्रा

3. इस योजना के अधीन किसी बीमाकृत बैंक का परिसमापन, पुनर्गठन, अथवा समामेलन होने की स्थिति में उस बैंक के प्रत्येक जमाकर्ता 30,000/- रुपयों की अधिकतम मुद्रा-सीमा के अधीन संबंधित बैंक की सभी शाखाओं में एक ही हैसियत और अधिकार से उसके द्वारा धारित जमाराशियों की अदायगी प्राप्त करने का हकदार है।

### बीमा प्रीमियम

4. बैंकों को जो बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है वह प्रति सौ रुपये के लिए 4 पैसे वार्षिक की दर अदा की जानेवाली बीमा प्रीमियम के प्रतिफल में की जाती है। यह प्रीमियम छमाही अंतरावधियों में वसूल की जाती है। बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि इस प्रीमियम को वहन करें ताकि जमाकर्ताओं को बीमा का संरक्षण मुफ्त में ही उपलब्ध हो सके।

### बीमा के दावों की अदायगी।

5.1 जब किसी बैंक का परिसमापन हो जाता है तब निगम प्रत्येक जमाकर्ता को परिसमापक के माध्यम से 30,000/- रुपयों तक की जमाराशियों की अदायगी करता है। जब किसी बैंक का दूसरे बैंक में समामेलन कर दिया जाता है और समामेलन की योजना में जमाकर्ता को यह अधिकार नहीं मिलता कि वह अपनी जमाराशियों का पूरा पैसा जमा करा सके, तब निगम प्रत्येक जमाकर्ताओं को उसकी पूरी जमाराशि तथा समामेलन की योजना के अधीन उसके द्वारा वास्तव में प्राप्त की गई राशि के बीच (अथवा 30,000/- रुपयों में से जो भी कम हो उस तक) के अंतर की अदायगी करता है।



5.2 किसी दावे का निपटान करने के बाद परिसमापक/हस्तांतरिती बैंक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इस प्रकार के अधिकार ग्रहण कर लेने के फलस्वरूप उसके द्वारा परिसमापन/समामेलन किये जानेवाले बीमाकृत बैंक की आस्तियों में से की गई वसूलियों की अदायगी निगम को करें।

### ऋण गारंटी योजनाएं

#### गारंटी सहायता प्रदान करना

6.1 तत्कालीन भारतीय ऋण गारंटी निगम मर्यादीत गैर औद्योगिक क्षेत्र को दिये गये अग्रिमों से संबंधित तीन ऋण गारंटी योजनाओं को चला रहा था और उस उपक्रम के जुलाई 1978 में निक्षेप बीमा निगम को अंतरित किये जाने के फलस्वरूप निक्षेप बीमा निगम ने ऋण गारंटी के उनके कार्यों को भी अपने हाथ में ले लिया। भारतीय ऋण गारंटी निगम मर्यादीत द्वारा जो तीन ऋण गारंटी योजनायें तैयार की गई थी और जो निगम द्वारा जारी रखी गई है उनका उद्देश्य है कि वित्तीय संस्थाओं को इसके लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान किया जाये कि वे (किसानों को अंतर्भूत) गैर औद्योगिक कार्यकल्पों में लगे छोटे उधारकर्ताओं को उनकी आवश्यकता पर आधारित ऋण प्रदान कर सकें।

6.2 भारत सरकार द्वारा लघु उद्योगों के लिए प्रायोजित और तैयार की गई जो लघु उद्योगों के लिए ऋण गारंटी योजना (भारतीय रिजर्व बैंक) जुलाई 1960 से चल रही है। सरकार द्वारा 1979 में गठित कार्यकारी दल की सिफारिशों के अनुसार में यह निर्णय किया गया था कि सभी ऋण गारंटी योजनाओं को एक ही संगठन के अधीन एकीकृत किया जाए और तदनुसार मार्च 1981 में इस योजना को भारत सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया और उसके बदले में 1 अप्रैल 1981 से एक ऐसी नई योजना शुरू की गई जिसके अंतर्गत वाणिज्य बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा लघु उद्योगों को दिये गये अग्रिम आते हैं। निगम को यह जिम्मेदारी भी सौंपी गई कि वह सरकार के एजेंट के रूप में रद्द की गई योजना के फलस्वरूप और उसके अधीन रद्द किये जाने की तारीख तक प्रोद्भूत होनेवाली देनदारियों की अदायगी करे। लघु उद्योग से संबंधित ऋण गारंटी कार्यों का एकीकरण किये जाने से निगम प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अधीन प्रदान किये गये ऋण की भारी मात्रा के लिए गारंटी सहायता प्रदान करता आ रहा है।

6.3 निगम ने कृषि और उससे संबंधित कार्यों के लिए प्राथमिक स्तर की कतिपय सहकारी ऋण संस्थाओं द्वारा दिये गये ऋण और कृष्येतर अग्रिमों के लिए छोटे कृषकों को शहरी सहकारी बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों के लिए चयनात्मक आधार पर गारंटी सहायता प्रदान

की सुविधा प्रदान करने की योजना तैयार की है और यह सुविधा इन बैंकों को प्रदान की गयी है।

### उद्देश्य, विवरण और व्याप्ति

7. जो कार्यरत विभिन्न ऋण गारंटी योजनाएँ हैं उन्हें नीचे दर्शाया है:

- i लघु ऋण गारंटी योजना, 1971
- ii लघु ऋण (वित्तीय निगम) गारंटी योजना, 1971
- iii सेवा सहकारी समितियाँ गारंटी योजना, 1971
- iv लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981
- v लघु ऋण (सहकारी ऋण समितियाँ) गारंटी योजना, 1982
- vi लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984.

7.1 पहली अप्रैल 1971 से लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 अमल में आयी। इस योजना के अंतर्गत कृषकों और काश्तकारों, परिवहन चालको, फुटकर व्यापारियों, छोटे कारोबारी उद्यमियों और व्यावसायिक व्यक्तियों तथा स्वनियोजित व्यक्तियों को वाणिज्य बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दी जानेवाली ऋण सुविधाओं को रक्षा प्रदान की जाती है।

7.2 1 जुलाई 1971 को लघु ऋण (वित्तीय निगम) गारंटी योजना, 1971 शुरू हुई और उसके अंतर्गत बिजली या अन्य ऊर्जा के उत्पादन या वितरण अथवा किसी औद्योगिक बस्ती अथवा परिवहन उपक्रम के विकास में लगे परिवहन चालकों और होटल मालिकों तथा अन्य व्यवसायी उद्यमों को राज्य वित्तीय निगमों द्वारा प्रदान की गई ऋण सुविधायें आती हैं।

7.3 1 अक्तूबर 1971 से सेवा सहकारी समितियाँ गारंटी योजना, 1971 लागू है और उसके अंतर्गत अपने सदस्यों को आर्डर दिलाने, कच्चा माल खरीदवाने, तैयार माल का प्रदर्शन और विपणन कराने जैसी सुविधायें प्रदान करने अथवा माल के निर्माण, प्रदर्शन, प्रस्तुतीकरण और अभिसंस्करण तथा ऐसे माल के विपणन से संबंधित इसी प्रकार की कोई अन्य सहायता प्रदान करने में लगी सेवा सहकारी समितियों को जमा बीमा योजना के अंतर्गत आने वाले समस्त अनुसूचित वाणिज्य बैंकों तथा राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा प्रदान की गई ऋण सुविधायें आती हैं।

7.4 पहली अप्रैल 1981 से लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 शुरू की गई थी और उसके अंतर्गत अचल आस्तियाँ अथवा उपकरण के अर्जन या मरम्मत या उन्हें बदलने तथा उत्पादों की पैदावार और विपणन के लिए कार्यकारी पूंजी की आवश्यकताओं के निमित्त लघु उद्योग यूनितों को वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, राज्य वित्तीय निगमों, और राज्य विकास एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई ऋण सुविधायें आती हैं।

7.5 लघु ऋण (सहकारी ऋण समितियों) गारंटी योजना, 1982 चुनिंदा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, और प्राथमिक भूमि विकास बैंकों, राज्य भूमि विकास बैंकों की शाखाओं द्वारा अपने कृषक/खेतिहर सदस्यों (जिनमें बटाईदार और भूमिहीन श्रमिक शामिल हैं) को कृषि और उससे संबंधित कार्यों तथा साथ ही 1 जनवरी 1983 या योजना में शामिल होने की तारीख में से जो भी पहले हो उससे खपत और आवास वित्त के लिए दी जानेवाली ऋण सुविधाओं के हेतु गारंटी सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत आनेवाले कृषि और उससे संबंधित कार्यों में मौसमी कृषि कार्य, भूमि उद्धार और सुधार, सिंचाई के कुँओं का निर्माण और उन्हें गहरा करना, पंप सेट लगाना, पशुओं की खरीद अथवा अन्य पूंजीगत आस्तियाँ (उदाहरणार्थ फार्म गृह, मवेशी शेड, गोबर गैस संयंत्रों आदि) का अर्जन या इन आस्तियों की मरम्मत, रेशम उद्योग, पशुपालन, मुर्गीपालन, डेरी उद्योग, मछली पालन, आवास वित्तपोषण, उपभोग वित्त तथा योजना में दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार अन्य सहकारी समितियों आदि के श्रेयों के अर्जन के लिए दिये गये अग्रिम शामिल हैं।

7.6 लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984 पहली जुलाई 1984 से छोटे उधारकर्ताओं को प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा प्रदान किये गये कृष्येतर अग्रिमों के लिए (अर्थात् एकल परिवहन चालकों, फुटकर व्यापारियों, कारोबारी उद्यमों और व्यवसायी तथा स्वनियोजित व्यक्तियों) गारंटी सहायता प्रदान करती है। समस्त लाइसेंसीकृत प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक और साथ-साथ जिन गैर लाइसेंसीकृत प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस योजना के लिए सिफारिश की गई हैं वे 1 जुलाई 1984 से और उसके बाद इस योजना में भाग लेने के पात्र हैं।

7.7 विभिन्न योजनाओं की प्रमुख विशेषताओं को अनुबंध में सारणीबद्ध किया है।

### गारंटी शुल्क

8. गारंटी रक्षा प्रदान किये जाने के प्रतिफल के रूप में ऋण संस्थाओं द्वारा गारंटी शुल्क अदा किया जाता है। इसका हिसाब गारंटीकृत खातों में बकाया जमा राशियों पर निर्धारित दरों से लगाया जाता है उसकी अग्रिम अदायगी हर छमाही में करनी पड़ती है। गारंटी लागू रखने के लिए इस शुल्क की अदायगी नियमित रूप से करनी पड़ती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर ऋण संस्थाओं द्वारा छोटे उधारकर्ताओं को दिये गये शुल्क की दर कुल मिलाकर 25,000/- रुपयों तक के अग्रिमों के लिए 0.50 प्रतिशत वार्षिक की रियायती दर सहित 0.75 प्रतिशत वार्षिक है। क्षेत्रीय ग्रामीणों बैंकों के मामले में उनके विकास की वर्तमान अवस्था और समाज के कमजोर वर्गों की ऋण प्रदान करने के संबंध में उनसे

जिस विशेष भूमिका को अदा करने की अपेक्षा की जाती है उसकी दृष्टि से उनसे 1 जुलाई 1979 अथवा उनके लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 में शामिल होने में से जो भी बाद में हो उससे पाँच वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए 0.25 प्रतिशत वार्षिक दर से गारंटी शुल्क वसूल किया जाता है और उक्त तारीख के बाद से उनके लिए यह जरूरी है कि वे संबंधित योजनाओं के अधीन निर्धारित सामान्य दर से गारंटी शुल्क अदा करें।

### गारंटी सुरक्षा:

#### प्रमुख विशेषताएं

#### (क) स्वचालित थोक सुरक्षा

9.1 निगम की गारंटी योजनाओं में भाग लेना ऐच्छिक है और गारंटी की सुरक्षा केवल उन्ही संस्थाओं को उपलब्ध है जो निगम के साथ आवश्यक करार करके इन योजनाओं में शामिल होती है तथा निर्धारित दरों पर नियमित रूप से गारंटी शुल्क अदा करती है। ये योजनायें स्वचालित थोक सुरक्षा के आधार पर चलाई जाती हैं और उनके अंतर्गत सभी पात्र अग्रिम स्वचालित ठीक उसी तारीख से सुरक्षित हो जाते हैं जिस तारीख को उनका पहली बार संवितरण किया जाता है और उनके अंतर्गत प्रदान की गई प्रत्येक ऋण सुविधा की सुरक्षा के लिए ऋण संस्थाओं को पूर्व आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती

#### (ख) लाभ छोटे उधारकर्ताओं तक ही सीमित

9.2 गारंटी योजनाओं का प्रयोजन ऐसे छोटे उधारकर्ताओं को दिये गये अग्रिमों के लिए सुरक्षा प्रदान करना है जिनके लिए इस प्रकार की सहायता के बिना संस्थागत ऋण प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन योजनाओं के लाभ अधिक समृद्ध व्यक्तियों तक ही केन्द्रित न होने पाये, गारंटी योजनाओं के लिए कई शर्तें-निर्धारित की गई हैं जो इस प्रकार हैं; फुटकर व्यापारियों के मामले में कुल बिक्री की उच्चतम सीमा, कारोबारी उद्यमों के मामले में उपकरणों का मूल्य तथा लघु उद्योग के यूनितों के मामले में संयंत्र और मशीनों का मूल्य। इसके अलावा निगम की दावा संबंधी देयता की भी संपूर्ण सीमाओं को निर्धारित किया है।

#### (ग) लाभ सामान्यतः प्रत्यक्ष उधारों तक ही सीमित

9.3 सामान्यतः योजनाओं के अंतर्गत अंतिम लाभार्थियों को प्रत्यक्ष उधार के लिए गारंटी सुविधाओं को प्रदान किया जाता है।

### गारंटी को लागू करना

10. इसके पहले कि किसी ऋण संस्था द्वारा गारंटी के अधीन कोई दावा किया जाए, उसे तीन शर्तें-पूरी करनी होती हैं। वह शर्तें इस प्रकार हैं- (i) ऋणकर्ता को पूरी बकाया राशियाँ चुकाने की माँग का नोटिस जिस तारीख को तामील किया गया हो उसके एक महीने के भीतर गारंटी के अंतर्गत आने वाले अग्रिम की अदायगी न की गई

हो; (ii) ऋण संस्था द्वारा यह मान लिया गया हो कि अग्रिम वसूली के लिए अशोध्य या संदिग्ध है और (iii) ऋण संस्था की बहियों में उसके लिए उसी प्रकार का प्रावधान किया गया हो अथवा उसको उसी प्रकार से हिसाब में लिया गया हो। निगम को ऋण संस्थाओं से यह अपेक्षा करना होगा कि वे गारंटी लागू करने से पहले उधारकर्ताओं, जमानतों के विरुद्ध और जहाँ कहीं जमानतों से वसूली की जा सकती हो वहाँ उसके लिए कारगर कार्रवाई करें। निगम योजनाओं में पात्र कार्यकलापों की विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित कतिपय निरपेक्ष सीमाओं के अधीन, यथास्थित, "चूक की राशि" का 50 प्रतिशत या 60 प्रतिशत (अथवा 28 फरवरी 1983/31 दिसंबर 1984 तक प्रदान की गई कतिपय ऋण सुविधाओं के मामले में 66 2/3 प्रतिशत 75 प्रतिशत या 90 प्रतिशत) अदा करता है। अधिक छोटे उधारकर्ताओं को निगम द्वारा अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। दावों की अदायगी के बाद दावा करनेवाली संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे बकाया राशियों के वसूली

के लिए कारगर कार्रवाई करें और प्रतिस्थापन अधिकारों के फलस्वरूप वसूली के लिए इस प्रकार की जो कार्रवाई की गई हो उसका खर्च वसूल हुई राशि में से शेष घटाकर वसूली की राशि में निगम का अंश उसे प्रेषित कर दें। ऋण संस्थाओं को निम्नलिखित मामलों में निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है प्रतिभूति/जामिन को मुक्त करना, कानूनी कार्रवाई से छूट देना, बकाया राशियों के लिए समझौता करना और उन्हें कम करना तथा अधिकतम निर्दिष्ट सीमा के अंतर्गत आनेवाले मामलों के संबंध में बकाया राशियों को बट्टे खाते डालना। अन्य सभी मामलों में उनके लिए यह आवश्यक है कि वे निगम का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करें। किसी उधारकर्ता से संबंधित गारंटी के लागू किये जाने और उससे संबंधित दावे की अदायगी हो जाने पर उस उधारकर्ता को प्रदान किये जानेवाले दूसरे किसी ऋण के लिए निगम की गारंटी सुरक्षा उस समय तक उपलब्ध नहीं होती जब तक पहले निपटाये गये दावे के लिए निगम को देय राशि की अदायगी न कर दी गई हो।

**अनुबंध**  
**ऋण गारंटी योजनाएं-प्रमुख विशेषताएं**  
**प्रदान की गई गारंटी सुरक्षा की मात्रा और निर्धारित गारंटी शुल्क के दर**

योजनाएं	भाग लेनेवाली पात्र संस्थाएं	उधारकर्ताओं की श्रेणी	गारंटी शुल्क	गारंटी सुरक्षा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
<b>(क) छोटे उधारकर्ता (i) लघु ऋण गारंटी योजना, 1971</b>	वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)	(i) परिवहन चालक	25,000/-रु. तक की ऋण सीमाओं अथवा उससे कम ऋणों के लिए 1/2 प्रतिशत और 25000/- रु. अधिक की राशि के लिए 3/4 प्रतिशत @	चूक की राशि की 60 प्रतिशत अथवा 75,000/- रुपये में से जो कम हो उस तक।	
		(ii) फुटकर व्यापारी, व्यवसायी. और स्वनियोजित व्यक्ति तथा कारोबारी उद्यमों	वही	चूक की राशि की 60 प्रतिशत अथवा 50,000/- रु. में से जो कम हो उस तक।	
		iii) कृषक तथा खेतिहर			
		(1) फसलें उगाही के लिए	वही	चूक राशि का 60 प्रतिशत अथवा 2,500/- रु. में से जो कम हो उस तक।	
		(2) विकास कार्यों के लिए	वही	चूक की राशि 60 प्रतिशत अथवा 10,000/- रुपयों में से जो कम हो उस तक।	
		(3) विशेष परिस्थितियों के अधीन फसली ऋणों के अधिकतम तीन परिवर्तनों के लिए	वही	चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 7,500/- (अर्थात् 2500 रु. × 3) में से जो कम हो उस तक।	
		4 संबद्ध कार्यक्रमों के लिए			
		(i) मछली पालन	वही	चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 37,500/- रुपयों में से जो भी कम हो उस तक।	
		(ii) रेशम उत्पादन	वही	चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 18,750/- रु. में से जो भी कम हो उस तक।	
		(iii) पशुपालन	वही	चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 15,000/- रु. में से जो भी कम हो उस तक।	
(iv) मुर्गी पालन	वही	चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 22,500 /- रु. में से जो भी कम हो उस तक।			
(v) डेरी उद्योग	वही	चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 15,000/- रुपये में से जो भी कम हो उस तक।			

@ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में गारंटी शुल्क 1/4 वार्षिक है जो 1 जुलाई 1979 से अथवा उनके इस योजना में शामिल होने की तारीख से, इनमें से जो पहले हो उससे, पाँच वर्षों की अवधि के लिए है।

## अनुबंध (जारी)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		5 किसी सहकारी समिति अथवा चीनी या किसी अन्य संसाधन कार्यकलाप में लगे निगमित निकाय के शेयर अर्जित करने के लिए	वही	चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 1,000 रु में से जो भी कम हो उस तक
(ii) लघु ऋण (वित्तीय निगम) गारंटी योजना, 1971	राज्य वित्तीय निगम	i) परिवहन चालक	वही	चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 75,000/- रु में से जो भी कम हो उस तक।
		(ii) कारोबारी उद्यम	वही	चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 50,000/- रु. में से जो भी कम हो उस तक।
(iii) सेवा सहकारी समितियाँ गारंटी योजना, 1971	अनुसूचित वाणिज्य बैंक और राज्य तथा मध्यवर्ती सहकारी बैंक	अपने सदस्यों को आदेश प्राप्त कराने, कच्चा माल खरीदने और उत्पादों के विपणन जैसी सुविधायें प्रदान करने में लगी सहकारी समितियाँ	वही	चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 30,000/- रु में से जो भी कम हो उस तक।
(iv) लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना 1984	प्राथमिक (शहरी)	i) परिवहन चालक		चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 75000/- रु. में से जो भी कम हो उस तक।
		(ii) फुटकर व्यापारी		चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 50,000/- रु. में से जो भी कम हो उस तक।
		(iii) व्यवसायी और स्वनियोजित व्यक्ति		चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 50,000/- रु. में से जो भी कम हो उस तक।
		iv) कारोबारी उद्यम		चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 50,000 रु में से जो भी कम हो उस तक।

टिप्पणी : इस श्रेणी के अंतर्गत किसी उधारकर्ता को मंजूर की गई विभिन्न ऋण सुविधाओं के लिए निगम की दावे की कुल देयता 37,500/- रूपये तक सीमित है।



**अनुबंध (समाप्त)**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>(ख) लघु उद्योग लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981</b>	वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित,) सहकारी बैंकों, राज्य वित्तीय निगमों और राज्य विकास एजेंसियाँ	(i) 25,000/- रु. तक की की ऋण सीमाओं (ऋण सीमा अथवा ऋण की राशि) वाले उधारकर्ता	वही	चूक की राशि का 60 प्रतिशत तक
		(ii) तकनीशियन अथवा उद्यमकर्ता जो 2.00 लाख रुपये तक की ऋण सुविधाओंका लाभ उठा रहे हैं	वही	चूक की राशि का 60 प्रतिशत
		2.00 लाख रुपयों से अधिक की राशि के लिए	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत या 10 लाख रुपयों में से जो भी कम हो उस तक
		(iii) 2.00 लाख रुपयों से अधिक की कुछ सुविधाओं का लाभ उठानेवाले उधारकर्ता	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 10 लाख रुपयों में से जो भी कम हो उस तक